लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 54 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. LIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 48—बुधवार, 27 अप्रैल, 1966/7 वैशाख, 1888 (शक)

No. 48—Wednesday the 27th April, 1966/7 Vaisakha, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1364	दिल्ली में नये कालेज	New Colleges in Delhi . .	7393–95
1366	इंडियन आयल कम्पनी द्वारा लिये जाने वाले तेल के दाम	e of Petrol Charged by Indian Oil Company . . .	7395–99
1367	दण्डकारण्य में अभाव की स्थिति	Scarcity Conditions in Dandakaranya.	7399–7400
1368	पंजाब में किराये की इमारतों में डाक घर	Post Offices in Rented Buildings in Punjab	7400–01
1369	पुरातत्वीय संग्रह	Archaeological Treasure . .	7401–03
1371	प्रशासन सुधार आयोग में दर्जा निर्धारित करने की प्रक्रिया (रैंकिंग प्रोसीजर)	Ranking Procedure in Administrative Reforms Commission .	7403–06
1372	बर्मा से स्वदेश लौटे लोग	Repatriates from Burma . .	7406–09

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1365	ताज महल	Taj Mahal	7409
1370	भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान मारे गये असैनिक व्यक्तियों के परिवारों का पुनर्वा	Rehabilitation of Families of Civilians killed in Indo-Pakistan Hostilities	7409
1373	भारतीय समुद्र विज्ञान संस्था	Indian Institute of Oceanography	7410
1374	लोक शिकायत आयुक्त	Public Grievances Commissioner	7410
1375	सोमाली गणतन्त्र तथा भारत की स्वतन्त्र पार्टी के झंडों में साम्यता	Resemblance between Flags of Somalia Republic and the Swatantra Party in India .	7411
1376	पंजाब के तीन प्रदेशों में अन्तरिम सरकारें	Provisional Governments in three regions of Punjab . . .	7411
1377	शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन	Education Commission Report .	7411
1378	पंजाब का पुनर्गठन	Reorganisation of Punjab .	7412
1379	भारत-पाकिस्तान सीमा सुरक्षा दलों की बैठक	Meeting of Indo-Pak. Border Security Teams	7412–13

---

*किसी नाम पर अंकित यह (+) चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1380	पश्चिम बंगाल कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संघ	est Bengal College and University Teachers' Association .	7413
1381	पंजाब में राष्ट्रपति का शासन लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव	Proposal Re : President's Rule in Punjab	7413
1382	कलकत्ता की बन्दरगाह में मिट्टी का तेल लाने वाले सुपर टैंकर	erosene Oil Super-Tankers for Calcutta Port	7413–14
1383	काश्मीर में सशस्त्र पाकिस्तानी लोगों की घुसपैठ	Infiltration of Armed Pakistanis in Kashmir	7414
1384	छत्रपति शिवाजी मराठा की समाधि	Samadhi of Chhatarpati Shivaji Maratha	7414–15
1385	स्कूलों के अध्यापकों के वेतन	Salary of School Teachers . .	7415
1386	दिल्ली और नाभा जेलों में आजीवन कारावास वाले कैदी	Life Convicts in Delhi & Nabha Jails	7416
1387	टेलीफोन के लिए बिल व्यवस्था	Billing System for Telephones .	7416
1388	मध्य प्रदेश विधान सभा से विधान सभा के सदस्यों का निलम्बन	Suspension of M.L.As. from Madhya Pradesh Assembly .	7417
1389	श्रीमती करतार देवी और अन्य व्यक्तियों की मांगों को पूरा करने के लिये दिये गये आश्वासन	Assurances given to fulfil the Demands of Shrimati Kartar Devi and others	7417
1390	वैज्ञानिक अध्ययन	Scientific Studies . .	7418
1391	भारत के इतिहास का फिर से लिखा जाना	Re-writing of Indian History	7418–19
1392	मैसूर के मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र के साथ मिलाने की मांग	Demand for merger of Marathi-Speaking Areas of Mysore with Maharashtra	7419
1393	दिल्ली अभिभावक शिक्षक परिषद द्वारा विरोध	Protest by Delhi Parents-Teachers Council	7419–20

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4414	किसानों की बेदखली	Eviction of Peasants . . .	7420
4415	अलवाय के औद्योगिक कर्मचारी	Alwaye Industrial Workers .	7420–21
4416	उद्योगों पर बिजली की कटौती का कुप्रभाव	Affect of Power cut on industries	7421
4417	फिल्म और सर्कस कलाकार	Film and Circus Artistes . .	7421–22
4418	कुमारा पिल्ले समिति	Kumara Pillai Committee .	7422
4419	खेतिहर मजदूरों में रोजगार के अवसर	Employment among Agricultural Labourers	7422
4420	उड़ीसा में इंजीनियरी कालेज	Engineering Colleges in Orissa .	7422–23

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4421	उड़ीसा में रेलवे डाक सेवा के डाकघर	R.M.S. Post Offices in Orissa .	7423
4422	प्रथम भारतीय संगणक (कम्प्यूटर)	First Indian Computor . .	7423
4423	महाराष्ट्र में राजनीतिक पीड़ित	Political Sufferers in Maharashtra	7423–24
4424	मुख्य डाकघर भवन, तिरुवण्णमलै	Head Post Office Building, Tiruvannamalai	7424
4425	चीनी के कारखानों के कर्मचारी	Workers in Sugar Factories. .	7424
4426	सिनेमा के टिकटों की अनधिकृत बिक्री	Unauthorised Sale of Cinema Tickets	7425
4427	दिल्ली में जीव-रासायनिक पदार्थ (बायोकेमिकल) तैयार करने वाली संस्था	Biochemical manufacturing Institute in Delhi . . .	7425
4428	हनुमान चोटी पर चढ़ना	Scaling of Hanuman Peak . .	7425–26
4429	अध्यापकों को पुरस्कार	Award to Teachers . .	7426
4430	उड़ीसा में तेल के निक्षेप	Oil Deposits in Orissa . .	7426–27
4431	बाड़मेर में विस्थापित व्यक्ति	Displaced persons in Badmer .	7427
4432	भारत-पाकिस्तान संघर्ष में विस्थापित हुए लोगों को सहायता	Relief to Persons displaced during Indo-Pak. Conflict . .	7427
4433	त्रिवेन्द्रम में अप्रचलित पाठ्य पुस्तकें	Obsolete Text Books in Trivandrum	7427–28
4434	सीमेन्ट का उत्पादन	Production of Cement . .	7428
4435	श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages for Labour .	7428
4436	विकलांग और अन्धे व्यक्तियों में बेरोजगारी	Unemployment amongst the Crippled and the Blind . . .	7428–29
4437	उत्तर प्रदेश में डाकघर	Post Offices in U. P. . . .	7429
4438	तार और टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि	Outstanding Telegraph and Telephone Revenue . . .	7429
4439	दिल्ली में टेलीफोन के कनेक्शन काट देना	Disconnection of Telephones in Delhi	7429–30
4440	तेल शोधन क्षमता का विस्तार	Expansion of Refining Capacity	7430
4441	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के विरुद्ध मुकदमे	Litigation Challenging the Payment of Bonus Act, 1965 .	7430–31
4442	स्वदेशी अशोधित तेल का उत्पादन	Output of Indigenous Crude .	7431
4443	विदेशों में भारत के विज्ञान छात्र	Indian Science Scholars Abroad .	7431
4444	चमड़ा श्रमिकों की मजूरी	Wages of Leather Workers .	7431–32
4445	रेडियो सेट	Radio Sets . . .	7432
4446	उत्तर प्रदेश में डाक और तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for P. & T. Employees in U. P.	7432
4447	उत्तर प्रदेश में डाकघर	Post Offices in U. P. . . .	7432–33

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4448	समुद्र सलवर्ती समाक्ष तार (सबमैरीन कोक्सियल केबल)	Submarine Co-axial Cable .	7433
4449	कोरबा उर्वरक	Korba Fertiliser . .	7433–34
4450	खानों में दुघटनाएं	Accidents in Mines . .	7434–35
4451	दंडकारण्य में देवदहारा नदी पर परियोजनाएं	Projects on Deodahara River in Dandakaranya . . .	7435
4452	उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिये सुविधाएं	Facilities for Teachers in U.P. .	7435
4453	कोयला खानों में दुर्घटनाएं	Accidents in Coal Mines . .	7436
4454	राज्य-भूमि सीमा अधिनियम	State Land Ceilings Act . .	7436–37
4455	अन्यापवर्जी (एक्सक्लूसिव) स्कल	Exclusive Schools . . .	7437
4456	मध्य प्रदेश में पुरातत्वीय स्थल	Archaeological sites in Madhya Pradesh	7437–38
4457	शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं का विस्तार	Expansion of Educational Schemes	7438
4458	उड़ीसा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	High Court Judges in Orissa .	7438
4459	नगरपालिका कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता	Interim relief to Municipal Employees	7439
4460	पटेल भवन में हत्या	Murder in Patel House . .	7439
4461	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में परमाणु अनुसंधान केन्द्र	Nuclear Research Centre at Kurukshetra University . . .	7440
4462	सहायता प्राप्त स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों के वेतन	Pay of Hindi Teachers in Aided Schools	7440
4463	जेयपुर (उड़ीसा) में मुख्य डाकघर की इमारत	H.P.O. Building at Jeypore (Orissa)	7440–41
4464	मुख्य डाकघर, कोरापुट जिला	Head Post Office, Koraput District	7441
4465	पंजाब में टेलीफोन	Telephones in Punjab . .	7441
4466	गोदावरी जिले में तेल	Oil in Godavari District . . .	7442
4467	बर्मा से स्वदेश लौट आने वाले लोगों को दुकानों का दिया जाना	Allotment of shops to repatriates from Burma	7442
4468	रिहायशी विश्वविद्यालय	Residential Universities . .	7442–43
4469	पश्चिम बंगाल विधान सभा से विधान सभा के सदस्यों का निलम्बन	Suspension of M.L.As. from West Bengal Assembly . . .	7443
4470	बर्मा से स्वदेश लौट आने वाले लोगों को ऋण	Loans to repatriates from Burma	7443–44
4471	मिजो पहाड़ियां	Mizoland	7444
4472	कोचीन निगम की स्थापना	Formation of Cochin Corporation	7444

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4473	दिल्ली प्रशासन के अधीनस्थ कार्यालय	Offices under Delhi Administration	7445
4474	उर्वरको का दाम तथा बिक्री	Price and sale of fertilizers .	7445
4475	त्रिपुरा के नजरबन्द लोग	Tripura Detenus . .	
4476	केरल में गैर-सरकारी कालेजो के अध्यापकों के वेतनक्रम	Pay scale of Private College Teachers in Kerala . . .	7446
4477	केरल की समस्याएं	Problems Facing Kerala	7446–47
4478	आसाम में तेल शोधक कारखाना	Refinery in Assam .	7447
4479	निरक्षरता को दूर करना तथा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना	Eradication of Illiteracy and Compulsory Primary Education .	7447
4480	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत प्रकाशित पत्रिकायें	Journals Published Under C.S.I.R.	7447–48
4481	पंजाब के स्कूलों और कालेजों के लिये सभा भवन (ऑडिटेरियम)	Auditoria for Punjab Schools and Colleges	7448
4482	गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता विद्यापीठ	Ganesh Shankar Vidyarthi Patrakarita Vidyapeeth .	7448–49
4483	भूतपूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर० एल० सी० सिक्का	Ex-Flt. Lt. R.L.C. Sikka .	7449
4484	राज्यों में हिन्दी माध्यम वाले कालेज	Hindi Medium College in States	7449–50
4485	पेट्रोलियम उत्पादों और मिट्टी के तेल की खपत का विनियमन	Regulation of Consumption of Petroleum Products and Kerosene Oil . . .	7450
4486	सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिये पेंशन	Pensions of aided school teachers	7450–51
4487	सैनिक कर्मचारियो की सम्पत्ति का विवरण	Return of Holdings by Service Personnel	7451
4488	अन्तर्राज्य विवाद	Inter-State Disputes . .	7451
4489	पेट्रो-रसायन निगम	Petro-Chemical Corporation .	7451–52
4490	छम्ब-जौरियां क्षेत्र (जम्मू-काश्मीर) में पुनर्वास कार्य	Rehabilitation in Chhamb-Jaurian Area (J. & K.) .	7452
4491	वालकाट	Walcott	7452–53
4492	कोचीन तेल शोधक कारखाना	Cochin Refinery	7453
4493	मिरि आदिवासियों और नेपालियों के बीच झगड़ा	Clash between Miri Adivasis and Nepalese	7453
4494	कालटैक्स में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Worker in Caltex	7454
495	इम्फाल के साथ दूर संचार तथा बेतार सम्बन्ध	Tele-Communications and Wirless Link to Imphal . . .	7454–55

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4496	आयल इंडिया रिफाइनरिज में श्रमिक संघ	Labour Unions in Oil India Refineries	7455
4497	तम्बुओं में चलने वाले स्कूल	Schools Housed in Tents . .	7455
4498	दिल्ली में स्कूलों की इमारतें	School Buildings in Delhi . .	7455–56
4499	दिल्ली में टैलीफोनों का काटा जाना	Disconnection of Telephones in Delhi	7456
4500	कानपुर में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Kanpur .	7456–57
4501	मिजो विद्रोहियों से भिडन्त	Clash with Mizo Hostiles . .	7457
4502	लानदांग के गांव पर आक्रमण	Attack on Landang Village .	7458
4504	गोविन्दपुरी बस्ती, दिल्ली	Gobindpuri Colony, Delhi . .	7458
4505	तिरुक्कडचूर में टेलीफोन एक्स्चेंज	Telephone Exchange, Tirukoitur .	7458–59
4506	केरल में नये स्कूल	New Schools in Kerala . .	7459
4507	भारत में आत्महत्याओं की घटनायें	Suicide cases in India . .	7459
4508	भूमि अर्जन सम्बन्धी मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgement in Land Acquisition Case . .	7459–60
4509	बिक्री कर की वसूली	Sales Tax Collections .	7460
4510	मद्य निषेध	Prohibition . . .	7460
4511	अन्दमान द्वीपसमूह का विकास	Development of Andamans .	7460–61
4512	चांदा जिले का विकास	Development of Chanda District .	7461
4513	भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत एक मिजो कांस्टेबल की गिरफदारी	Arrest of Mizo constable under D.I.R.	7461–62
4514	राष्ट्रीय मान-चित्रावलि (एटलस) संगठन के छात्र कार्यकर्ता	Student Wokers of National Atlas Organisation . .	7462
4515	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भूतल रूप स्तार(टोपोशीटस)	Toposheets of Survey of India .	7462–63
4516	राष्ट्रीय मान चित्रावलि संगठन	National Atlas Organisation	7463
4517	बर्मा से स्वदेश लौट आने वाले व्यक्तियों के लिये दुकानें	Shops for Repatriates from Burma	463
4518	बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों के लिये नियतन	Allotment to Repatriates from Burma	7463–64
4519	बर्मा से लौटने वाले लोगों को ऋण	Loans to Repatriates from Burma	7464
4520	पश्चिम बंगाल में बरामद किये गये हथियार	Ammunition unearthed in West Bengal	7464–65
4521	दिल्ली में अध्यापकों की छंटनी	Retrenchment of Teachers in Delhi	7465
4522	विश्वविद्यालय शिक्षा	University Education . .	7465
4523	विज्ञान स्नातकों को राष्ट्रीय छात्र-वृत्तियां	National Scholarships to Science Graduates	7465–66

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4524	भारत-पाकिस्तान खेलकूद समारोह	Indo-Pakistan Athletic Meets	7466
4525	भारतीय संगीतज्ञों की मास्को यात्रा	Tour of Indian Musicians to Moscow	7466–67
4526	मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference	7467
4527	मिजो लोगों का पाकिस्तान चले जाना	Mizos crossing over to Pakistan.	7467
4528	भारतीय उर्वरक निगम के कारखाने	Units of Fertilizers Corporation of India	7467–68
4529	उर्वरक कारखानों के लिये भूमि	Land for Fertilizer Factories	7468–69
4530	शिक्षित गृहणियों के लिये काम	Jobs for Educated Housewives	7469
4531	भारतीय प्रशासन सेवा में मैसूर के लिये प्रतिनियुक्ति का अभ्यांश	Deputation quota in I.A.S. from Mysore	7470
4532	कलकत्ता के उद्योगपतियों की नजर-बन्दी	Detention of Calcutta Industrialists	7470
4533	मैसर्स बैनेट कोलमैन एन्ड कम्पनी	M/s. Benett Coleman & Co.	7470–71
4534	खम्बात तेल क्षेत्र	Khambhat Oil Area	7471
4535	राज्यों में नाटक अभियान	Drama Movement in States	7471
4536	उर्वरक कारखाना, गोरखपुर	Fertiliser Factory, Gorakhpur	7471
4537	दिल्ली के घोगा गांव में पुलिस द्वारा अत्याचार	Police Excess in Ghoga Village, Delhi	7472
4538	नये केन्द्रीय स्कूल	New Central Schools	7472
4539	मकान निर्माण उद्योगों के कर्मचारी	Workers in House-building Industries	7473
4540	सीमा को बन्द करना	Sealing of Border	7473
4541	औद्योगिक तकनीकी संस्थायें	Industrial Technical Institutes	7473
4542	तकनीकी शिशिक्षुता योजना	Technical Apprenticeship Scheme	7474
4543	पालम हवाई अड्डे पर एक मजिस्ट्रेट का लूटा जाना	Robbing of a Magistrate at Palam Airport	7474
4545	शिक्षा मंत्रालय के अराजपत्रित कर्मचारी	Non-Gazetted Employees of Ministry of Education	7474
4546	आसाम में गैस का उपयोग	Use of Gas in Assam	7475
4547	उत्तर प्रदेश में तेल के निक्षेप	Oil Deposits in U. P.	7475
4548	बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment Insurance Scheme	7475–76
4549	अनुसन्धान कार्य वाणिज्यिक उपयोग में लाना	Commercial Utilisation of Research Work	7476–77
4550	उर्वरक कारखाने के बारे में पोलैंड के साथ बातचीत	Discussion with Poland for Fertilizer Unit	7477
4551	आजीवन कारावास वाले कैदियों की रिहाई	Release of Life Convicts	7477
4552	तिहाड़ जेल में आजीवन कैदी	Life Convicts in Tihar Jail	7478

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4553	आजीवन कैदी	Life Convicts	7478–79
4554	दिल्ली में अध्यापकों के ग्रेड	Grades of Teachers in Delhi	7479
4555	दिल्ली के अध्यापकों का वेतन निश्चित करना	Fixation of Pay of Delhi Teachers	7479–80
4556	विद्रोही मिजो लोगों का पाकिस्तान में शरण लेना	Hostile Mizos taking Asylum in Pakistan	7480
4557	दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा	Teaching of Science in Delhi Schools	7480
4558	पश्चिम बंगाल में चोरी छिपे हथियारों का लाया जाना	Smuggling of Arms into West Bengal	7481
4559	दिल्ली में टेलीफोन	Telephone Connections in Delhi	7481–82
	ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न)	Re : Calling Attention Notices and Motions for Adjournment queries	7482–84
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	7484–85
	प्राक्कल समिति—	Estimates Committee—	
	एक सौ पांचवां तथा एक सौ छैवां प्रतिवेदन	Hundred and Fifth and Hundred and Sixth Reports	7485
	लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
	इक्यावनवां प्रतिवेदन	Fifty-First Report	7485
	लमडिंग तथा डीफू स्टेशनों पर रेलगाडियों में विस्फोटों के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Explosions in Railway trains at Lumding and Diphu—	
	डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	7485–86
	अनुदानों की मांगे—	Demands for Grants—	
	गृह-कार्य मंत्रालय	Ministry of Home Affairs—	
	श्री नन्दा	Shri Nanda	7487–88
	श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh	7488–
	डा० गोविन्द दास	Shri Govind Das	7490–91
	श्री अ० चं० गुहा	Shri A. C. Guha	7491–93
	डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	7501–03
	श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar	7503–05
	श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	7506–07
	श्री लक्ष्मी दास	Dr. Lakshmi Dass	7507–08
	श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharya	7508–09
	श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi	7509–10
	श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	7510–11

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy .	7511–12
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur	7512–13
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	7513–14
श्री श्यामलाल सर्राफ़	Shri Sham Lal Saraf . .	7514–15
श्री लहरी सिंह	Shri Lahri Singh .	7515–16
संयुक्त राज्य अमरीका के साथ जोखिम प्रत्याभूति करार के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion re : Risk Guarantee Agreement with U.S.A.—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	7516–17
श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachindra Chaudhuri .	7517-18

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 27 अप्रैल, 1966/7 वैशाख, 1888 (शक)
Wednesday, April 27, 1966/Vaisakha 7, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में नये कालेज

+

*1364. **श्री बागड़ी :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री राम सेवक यादव
श्री उटिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से विद्यार्थी दिल्ली के कालेजों में प्रवेश पाना चाहते हैं, सरकार का विचार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कालेजों की संख्या बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा वर्ष 1966-67 में कितने नये कालेज खोलने का विचार है ; और

(ग) उन पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं। दिल्ली के लिए अग्रिम आयोजन-सुविधाओं के कार्यकारी वर्ग (Working Group for advance Planning of facilities) ने सिफारिश की है कि नये कालेज खोलने के बजाय दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बन्धित कालेजों में मौजूदा दाखिलों की संख्या अधिक बढ़ा दी जाए और यह भी सिफारिश की है कि अधिक रात्रि कालेज शुरू किए जाएं। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Shri Bagri : The number of colleges in Delhi is more when compared to other parts of country. I want to know whether the Hon. Minister has thought over the question of providing facilities for technical education in our colleges so that we can have good technicians?

श्री मु० क० चागला : जी हां, हमने माध्यमिक स्तर पर स्कूल में विभिन्न प्रकार की शिक्षा देने के लिये योजनाएं बनाई हैं। हम नहीं चाहते कि सभी लोग कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में जायें और बेकारों की संख्या बढ़ायें। हम उन्हें तकनीकी स्कूलों और जूनियर कृषि स्कूलों में भेजना चाहते हैं ताकि वे हाथ से करने का काम सीख सकें और बाद में जीविका उपार्जित कर सकें। यह एक बड़ी समस्या है और इसे हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं।

Shri Bagri : Firstly the Admission in colleges of Delhi is very difficult and secondly education is very costly. It is difficult for a common man to get education. I want to know whether any steps are being taken for opening educational institutions in far flung tribal areas?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि दिल्ली में किसी भी विद्यार्थी को दाखिले से वंचित नहीं किया जायेगा। कार्यकारी वर्ग ने यह हिसाब लगाया है। वर्तमान कालजों में अधिक संख्या में विद्यार्थी दाखिल किये जायेंगे और अधिक संख्या में रात्रि-कक्षाएं चालू की जायेंगी। हम कोशिश करेंगे कि हाई स्कूल परीक्षा पास करके जो विद्यार्थी दाखिला लेना चाहे उन्हें दाखिल कर लिया जाये।

Shri Vishram Prasad : The hon. Minister is perhaps not aware that a large number of students do not get admission in colleges in Delhi and they have to go to Gaziabad and other nearby places. Keeping this in view how many more colleges would be opened in Delhi? What steps are being taken to open more colleges in other union territories?

Mr. Speaker : This question relates to Delhi.

श्री मु० क० चागला : प्रश्न के पहले भाग से मैं सहमत नहीं हूं। मैंने स्वयं दाखिले के प्रश्न पर ध्यान दिया है और कहा है कि दिल्ली में दाखिले के इच्छुक सभी विद्यार्थियों को दाखिला मिल जायेगा।

नये कालेज खोलने के बारे में स्थिति इस प्रकार है। इस समस्या का समाधान दो प्रकार से हो सकता है। एक यह कि नये कालेज खोले जायें और दूसरे कि वर्तमान कालिजों में दाखिले की सुविधाएं बढ़ा दी जायें। नये कालेज खोलने पर खर्च बहुत होता है और उसके लिये बहुत से अन्य सामान की भी आवश्यकता होती है। विज्ञान के अध्ययन के लिये प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस लिये नये कालेज खोलने की बजाय हम वर्तमान कालेजों में अधिक विद्यार्थियों को दाखिला देंगे और दो पारियां भी की जायेंगी। हमने योजना बनाई है जिस से कम से कम तीन वर्षों के लिये दिल्ली में विद्यार्थियों को कालेजों में दाखिले के बारे में कठिनाई नहीं होगी।

Shri Yashpal Singh : Those who pass in third division neither get admission nor any service. Their number is very large. I want to know what arrangements are being made for these students.

श्री मु० क० चागला : मुझे बेकारी की समस्या की जानकारी है। माननीय सदस्य जानते हैं कि शिक्षा मंत्री इसका समाधान नहीं कर सकते हैं।

Shrimati Savitri Nigam : The technical school and colleges lack adequate equipment and staff. May I know as to what steps are being taken to remove this deficiencies?

श्री मु० क० चागला : इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने नये कालेज नहीं खोले है । मै मानता हूं कि नये खोले गये और कुछ कालेजों में आवश्यक सामान नहीं था । उन्हें बहुत शीघ्रता से बनाया गया था क्योंकि दिल्ली में विद्यार्थियों के लिये आवश्यकता बहुत थी । इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय किया है ।

Shri Bade : Government has laid down certain rules for granting recognition to new colleges. Under these rules some pre-conditions about building, library and teachers are to be fulfilled. As a result of this recognition cannot be got. I want to know whether these rules would be relaxed?

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं समझता कि नियमों में ढील करना ठीक होगा । यह नियम इस आधार पर बनाये गये हैं कि कम से कम दक्षता रखी जाये । यदि हम नियमों में ढील कर दते हैं तो इस से शिक्षा के स्तर में गिरावट आ जायेगी । इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह हल निकाला है कि वर्तमान कालेजों मे ही अधिक संख्या में दाखिले की सुविधाएं उपलब्ध की जायें ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैंने भूतपूर्व शिक्षा मंत्री डा० श्रीमाली को अपनी इन कठिनाइयों के बारे में बताया था कि कालेजों के बस्तियों से दूर स्थित होने के कारण विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है और उनका काफ़ी समय नष्ट होता है । मैंने उनसे अनुरोध किया था कि प्रत्येक विकसित कालोनी में कालेज की व्यवस्था होनी चाहिये । मंत्री महोदय ने इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था । क्या मैं जान सकता हूं कि भूतपूर्व मंत्री द्वारा दिये गये सुझाव पर आगे क्या विचार किया गया है ?

श्री मु० क० चागला : जी हां, अब यथा संभव क्षेत्रीय आधार पर कालेजों में विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाता है । हम यह प्रयत्न करते हैं कि किसी क्षेत्र के कालेज में अधिक से अधिक उसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को दाखिला मिले । अब अधिकांश विद्यार्थियों को दूर स्थित कालेजों में नहीं जाना पड़ता है ।

Price of Petrol charged by Indian Oil Company

+

***1366. Shri M. L. Dwivedi :**
Shri B. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) the reasons for which the price previously being charged by Petrol pumps of the Indian Oil Company which was one paisa less per litre as compared to other petrol pumps in Delhi, has now been increased;

(b) the reasons for which the consumers are not benefited by the reduction in the prices made by the Oil Companies; and

(c) whether the same amount of expenditure as on imported oil is incurred on the Indian Oil which is drilled and transported within the country; and

(d) if not, the reasons for which the price of the Indian Oil has also been equated with that of the imported Oil?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) 20 अगस्त, 1965 से पहले इण्डियन आयल कम्पनी के पेट्रोल पम्पों और दूसरी तेल कम्पनियों के पैट्रोल पम्पों के दामों में भिन्नता का कारण निकटतम पैसे तक मूल्य का पूर्णांकन (rounding off) करना था । यह भिन्नता उक्त तारीख से खत्म हो गई क्योंकि उत्पादन-कर में वृद्धि से इण्डियन आयल कम्पनी के विक्रय मूल्य को निकटतम पैसे तक पूर्णांकन करने के बाद दूसरी तेल कम्पनियों के दाम के बराबर हो गया ।

(ख) तेल कम्पनियों द्वारा दामों में की गइ कटौतियों (reductions) को आय बढ़ाने की पद्धति के तौर पर अतिरिक्त शुल्कों द्वारा सामान्य राजस्व में ले लिया जाता है। इसके अलावा समय समय पर प्राप्त हुई बचत उपभोक्ताओं के लिये अन्तिम मूल्यों में ठीक तरह नहीं दिखाई जा सकती ।

(ग) भारत में कच्चे तेल के उत्पादन की लागत मध्य पूर्व के उत्पादन की लागत के मुकाबले में अधिक है ।

(घ) सरकार और उत्पादकों के बीच हुए किसी करार के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण के लिए विभिन्न आधार युक्त वाले मामलों को छोड़कर, 1-2-1966 से देशीय कच्चे तेल के उत्पादकों को वह मूल्य प्राप्त होता है, जो उतारने की लागत (landed cost) (आयत कर यदि कोई हो, को शामिल न करते हुए) से कम न हो। मध्य पूर्व से आयातित समान कच्चे तेल के पूर्ण दर्जशुदा जहाज पर दामों के आधार पर इस उतारने की लागत का आंकन किया जाता है। उक्त तारीख से आयातित कच्चे तेल पर संरक्षण शुल्क (protective duty) लगाया गया है ताकि उपर्युक्त पद्धति के अनुसार उपभोक्ता के अन्तिम मूल्य को देशीय कच्चे तेल के मूल्य के लगभग बराबर हो जाए ।

Shri M. L. Dwivedi : On what basis the foreign oil companies have reduced their prices and on what basis have we fixed the price of the indigenous oil and what are the reasons for difference in prices between the two?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Iqbal Singh) : There is no difference. The price is charged on the basis of landed cost at Kandla. The former foreign oil companies charged on the basis of nearest paisa. Before August the Indian Oil Company did not charge price on the basis of nearest paisa and therefore they were charging less but after 20th August, 1965 that disparity has been done away with as due to the increase in excise duty the selling price of Indian Oil Company is being rounded of to the nearest paisa.

Shri M. L. Dwivedi : Is it a fact that the foreign oil companies have reduced or stopped the supplies of diesel oil mobil oil, and other products to the pumps of Indian Oil Companies because the prices of products of foreign oil companies have been reduced and if so, what is the difficulty in compelling them to maintain supplies as before?

Shri Iqbal Singh : Supplies have neither been reduced nor increased. In fact the foreign oil companies do not want to extend their areas of supply. At the most they can extend it up to Bombay and Visakhapatnam but I.O.C. is distributing oil all over India by installing new pumps, establishing new stations, opening new depots and appointing dealers.

श्री प्र० चं० बरुआ: क्या यह सच है कि देशी पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अशोधित तेल के निकालने की लागत के आधार पर निर्धारित करने के बजाय उसके बढ़ाये गये मूल्य के आधार पर निर्धारित

किये जाते हैं, और यदि हां, तो सरकार विदेशी तेल कम्पनियों को इण्डियन आयल कम्पनी के साथ प्रतियोगिता के लिये बाध्य करने के बजाय उन्हें अधिक मूल्य पर दशी उत्पाद बेचने की अनुमति क्यों देती है ?

श्री अलगेसन : हमारा तेल उद्योग देश में उत्पादित अशोधित तेल की अपेक्षा आयातित अशोधित तेल पर अधिक निर्भर था। हमें अशोधित आयातित तल में अधिक दर पर बट्टा मिलता था। अशोधित तेल पर अधिक बट्टा मिलने के कारण देश में उत्पादित अशोधित तेल के मूल्य हम आयातित अशोधित तल के मूल्य के बराबर निर्धारित करते थे। यही कारण था कि देश में उत्पादित अशोधित तेल के मूल्य कम थे। इस वर्ष जनवरी के अन्त तक हम यही नीति अपनाते रहे। पहली फरवरी से हमने अशोधित तेल के मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये जिससे देश में अशोधित तेल के उत्पादन को सहायता मिल सके और मूल्य, बिना बट्टा काटे हुए मूल्य के आधार पर निर्धारित किये गये तथा उसमें बीमा तथा भाड़ा आदि भी शामिल कर दिया। इसीलिये देश में उत्पादित अशोधित तेल के लिये हमें अधिक मूल्य देना पड़ता है।

श्री रंगा : इसीलिये उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देना पड़ता है।

श्री अलगेसन : जी, नहीं। उपभोक्ता मूल्य नहीं बढ़े हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether Government propose to appoint a Commission on the basis of Damle Commission to go into the affairs of these foreign oil companies with a view to give benefit of reduction in price of oil to the consumers?

Shri Iqbal Singh : After Damle Commission Taluqdar Committee and working group went into the affairs of these foreign oil companies and their recommendations have been accepted. The entire new policy in this regard are based on their recommendations.

Shri Bhagwat Jha Azad : There is a big difference between a commission and a committee. I want to know whether Government propose to appoint a Commission on the basis of Damle Commission to go into the cost of production, General administration and retrenchment etc. of foreign oil companies in order to reduce the prices of oil.

श्री अलगेसन : दामले आयोग की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थीं और वे अभी हाल तक लागू थी। बाद में हमने एक अन्य समिति नियुक्त की जिसने इस प्रश्न पर विचार किया। उस समिति ने सिफारिश की थी कि खर्चा काटकर कम्पनियों को थोड़ा लाभ दिया जाना चाहिए। हमने उसकी सिफारिशों के अनुसार ही अब तेल उत्पादों के मूल्य निर्धारित किये हैं।

श्री स० चं० सामन्त : देश में उत्पादित अशोधित तेल का अधिकतम मूल्य क्या है तथा आयातित अशोधित तेल का भाड़े को मिलाकर भारत में कितना मूल्य है ? मूल्यों के वर्तमान अन्तर को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अलगेसन : यह प्रश्न पेचीदा है। शायद माननीय सदस्य का मतलब इस से है कि हम देश में उत्पादित अशोधित कच्चे तेल का कितना मूल्य देते हैं। जनवरी के अन्त तक हम देश में उत्पादित अशोधित तेल का मूल्य बट्टा काट कर आयातित तेल के मूल्य के बराबर निर्धारित करते थे। किन्तु अब हम बट्टा काटे बिना ही मूल्य निर्धारित करते हैं। अब हमें देश में उत्पादित अशोधित तेल के थोड़े अधिक मूल्य देने पड़ते हैं और अन्तर को संरक्षण शुल्क द्वारा पूरा किया जाता है।

Shri Buta Singh : The management of the private oil companies are of the view that they can reduce the price of oil to a large extent provided Government of India give up their stringent attitude towards them. I want to know Government's reaction thereto?

Shri Iqbal Singh : There is no question of stringent attitude. We are very much liberal to them.

श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या इस बात की व्यवस्था की गई है कि हाई स्पीड डीजल तेल के मूल्य घटाने से मोबिल तेल की कमी न हो ?

श्री इकबाल सिंह : हमारे पास काफी मात्रा में मोबिल तेल है। इसकी कमी नहीं हो सकती है। कमी केवल ईंधन तेल की है।

श्री रंगा : क्या यह सच है कि बम्बई के लोगों ने शिकायत की है कि वहां पर मिट्टी का तेल आदि कई किस्म के तेलों की कमी है और स्थानीय कम्पनियों को पर्याप्त मात्रा में तेल बेचने की अनुमति नहीं है जिससे बम्बई में कई दिनों तक लम्बी लाइनें लगी रहीं ?

श्री अलगेसन : यह सच है कि स्वतंत्र पार्टी के दो सदस्यों से एक तार और एक पत्र मिला था। मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। उन्हें तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं थी। हम महाराष्ट्र को सबसे अधिक मिट्टी का तेल दे रहे है। इसके बावजुद भी वहां दुकानों पर लम्बी लाइने थी। हमने सम्बन्धित मंत्री तथा सचिव से इस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये अपना एक अधिकारी वहां भजा था और उन्हें बताया कि केन्द्र ने बम्बई को निर्धारित कोटे के अनुसार मिट्टी का तेल दे दिया था। वहां पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल था। हमारे अधिकारी ने उन्हें बताया कि वहां पर प्रति परिवार पांच लिटर मिट्टी का तेल दिया जा रहा था, जब कि बम्बई के लिये इतना अधिक तेल दिया गया था कि प्रति परिवार 10 लिटर तेल दिया जा सकता था।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या सरकार को पता है कि मद्रास में मिट्टी के तेल तथा बसों तथा लारियों में प्रयोग किये जाने वाले डीजल तेल की अत्यन्त कमी है और इसका कारण तेल कम्पनियों की गलत वितरण व्यवस्था है ? क्या मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कोई पूछ ताछ की है, और यदि हां, तो सरकार वहां अधिक तेल भेजने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री अलगेसन : हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां मिट्टी के तेल की कोई कमी नहीं है। मद्रास में विशेषरूप से दक्षिण के जिलों में, केवल हाई स्पीड डीजल तेल की कमी है और हम वहां अतिरिक्त तेल भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने बताया है कि महाराष्ट्र को इतना अधिक मिट्टी का तेल दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर प्रति परिवार 10 लिटर तेल दिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की इस मांग को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है कि वहां पर प्रति व्यक्ति 0·5 लिटर के मिट्टी के तेल के राशन को बढ़ाया जाये, जब कि महाराष्ट्र में प्रति परिवार 10 लिटर तेल दिया जा सकता है ? इस भेद भाव के क्या कारण हैं ?

श्री अलगेसन : हमने राज्यवार मिट्टी के तेल का कोटा निर्धारित किया है और उसी के अनुसार प्रत्येक राज्य को तेल दिया जाता है। यह कोटा पिछली खपत के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

श्री यलमन्दा रेड्डी : कलकत्ता और महाराष्ट्र में इतना अन्तर क्यों है ?

श्री अलगेसन : मैं समझता हूं कि अधिक अन्तर नहीं है। वास्तव में हमें बताया गया है पश्चिम बंगाल सरकार ने जिन नये व्यापारियों को नये लाइसेंस दिये हैं उन्होंने अपना माल नहीं लिया है। मैंने कल बंगाल के मुख्य मंत्री को तार भेजा दिया है कि जब तक व्यापारी अपना माल लें तब तक तेल कम्पनियों के एजेन्टों को अपने कार्डों से तेल बेचने की अनुमति दी जाये।

श्री क० ना० तिवारी : बिहार में तेल के सम्बन्ध में क्या स्थिति है? बिहार की मांग कितनी है और उसका कितना प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है?

श्री इक्बाल सिंह : यह विस्तृत प्रश्न है। इसके लिये समय चाहिए।

श्री अलगेसन : बिहार का मासिक कोटा 12,500 टन है। हम बिहार को तेल दे रहे हैं।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने कहा है कि देश में मिट्टी के तेल की कमी नहीं है। किन्तु क्या मंत्री महोदय को पता है कि गलत वितरण व्यवस्था के कारण गांवों में मिट्टी के तेल के छोटे टिन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जो कम्पनियां ये टिन बनाती थी वे बन्द होने जा रही हैं और उन्होंने अपना काम बन्द कर दिया है? यदि हां, तो इस बात के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि इन टिनों का निर्माण किया जाये और इन्हें सुदूर गांवों में उपलब्ध कराया जाये?

श्री अलगेसन : हम आन्तरिक उत्पादन तथा आयात से मिट्टी के तेल की समूची मांग को पूरा कर रहे हैं इसलिय दश के किसी भाग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यदि उचित वितरण व्यवस्था हो, तो सुदूर गांवों में भी कमी नहीं होगी। हम राज्य सरकारों से कह रहे है कि वे अपनी वितरण व्यवस्था ठीक करें। मैं समझता हूं कि केवल टिनों के कारण वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चूंकि टिनों के निर्माण में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, इसलिये हमने निर्माताओं से कहा है कि चार गैलन के टिन कम बनाये जाये। इनका कम निर्माण होने से निर्माताओं को कारखाने बन्द करने पड़े। फिर भी हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और हमारा विचार इंडियन आयल कम्पनी को सलाह देने का है कि वह एक-दो कारखानों को अपने हाथ में ले ले।

दण्डकारण्य में अभाव की स्थिति

*1367. **श्री मधु लिमये :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दण्डकारण्य क्षेत्र में अत्याधिक अभाव की स्थिति बनी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में राज्य तथा केन्द्रीय सरकार ने सहायता के लिये क्या कार्य किये हैं?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) पछले कृषि वर्ष के दौरान बस्तर जिले की अधिकांश तहसीलों में वर्षा न होने से फसलों की बहुत हानि हुई है। पूण कोरापुट जिले में भी वर्षा न होने का प्रभाव पड़ा है।

(ख) इन क्षेत्रों राज्य सरकारों द्वारा एक बड़ी संख्या में सहायता कार्य आरंभ कर दिये गय हैं। दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन द्वारा बसाये गये विस्थापित व्यक्तियों के खण्डों में लोक निर्माण के कार्यक्रम में प्रगति कर दी गई है जिससे उन क्षत्रों के विस्थापित व्यक्तियों और आदिवासियों को रोजगार पर लगाया जायेगा।

खाद्य सामग्री देने के लिये राज्य सरकारो तथा दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन द्वारा उचित मूल्य की दुकानें खोल दी गई हैं। अपाहिज तथा वृद्धों को निःशल्क खाद्य सामग्री दने तथा बच्चों और गर्भवती तथा जिन स्त्रियों के बच्चे हुये हों उन्हें पाउडर दूध वितरण की व्यवस्था भी कर दी गई है।

Shri Madhu Limaye : This question relates to food situation and the Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation is not here. Therefore how can all the questions be answered?

श्री बाजी : यदि प्रश्न खाद्य मंत्री से पूछा गया है, तो उन्हीं को इसका उत्तर देना चाहिए। दूसरे मंत्री अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकेंगे।

Mr. Speaker : I will put it up in next two or three days.

Shri Madhu Limaye : Then the question of priority will arise.

Mr. Speaker : It will be given priority.

पंजाब में किराये की इमारतों में डाक घर

*1368. **श्री दलजीत सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में इस समय कितने डाकघर किराये की इमारतों में काम कर रहे हैं ; और

(ख) सरकार ने 1965 में इन डाकघरों के लिये कितना किराया दिया था ?

संचार विभाग में संसदीय सचिव (श्री भानु प्रकाशसिंह) : (क) 685।

(ख) 3,20,374 रुपये।

श्री दलजीत सिंह : तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब में डाकघरों की कितनी इमारतें बनाई गई और चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी इमारतें बनाने का कार्यक्रम है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : अधिकांश इमारतें कागड़ा, पटियाला तथा चंडीगढ़ में बन रही हैं। 32 डाकखानों की इमारतें बनाने की मंजूरी दी गई है। इनके लिये 32 स्थानों पर भूमि अर्जित की गई है या की जा रही है। क्योंकि आवश्यकता के अनुसार इमारतें बनाई जाती हैं अतः चौथी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े देना संभव नहीं है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या डाकखानों के अधिकारियों को हिदायतें दी गई हैं कि यदि नये बिकसित क्षेत्रों में डाकखाना खोलने की मांग की जाती है तो वहां पर निशुल्क क्वार्टर देने को कहा जाये, और यदि नहीं, तो क्या नई बस्तियों में डाकखाने खोलने के लिये डाकघर अधिकारियों को कहा जायेगा ?

श्री जगन्नाथ राव : रहने के लिये मकानों की बहुत बड़ी समस्या है। जहां संभव होता है हम राज्य सरकारों से इसकी व्यवस्था करवाते हैं। बिना किराये के मकान मिलना असंभव है। हमें किराया देना ही पड़ता है।

श्री तिम्मया : क्या किराये की इमारतों में डाकघर रखना लाभदायक पाया गया है और यदि नहीं, तो क्या इनके लिये विभागीय इमारतों की व्यवस्था करने की कोई योजना है ?

श्री जगन्नाथ राव : किराये की इमारतें लाभप्रद नहीं होती हैं। किन्तु एकदम विभागीय इमारतों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें बहुत धन की आवश्यकता होती है।

श्री म० रं० कृष्ण : क्या सरकार आदिम जातीय अथवा अन्य क्षेत्रों में, जहां गरीब लोग रहते हैं, डाकखाना खोलने के लिये इस बात पर जोर देती है कि उन क्षेत्रों के लोग इमारत की व्यवस्था करें ?

श्री जगन्नाथ राव : ऐसी कोई बात नहीं है। जहां हम आवश्यकता समझते हैं, डाकखाने खोलते हैं।

Shri Gulshan : How many post offices are located in Government buildings in Bhatinda district?

श्री जगन्नाथ राव : यह जानकारी मुख्य प्रश्न में दी गई है।

श्री दाजी : यह ठीक है कि विभाग के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के विस्तारपूर्वक आंकड़े बताना असंभव है किन्तु अनुमानत: कितनी इमारतें बनाने का विचार है और इस कार्य के लिये योजना आयोग से कितनी रकम मांगी गई है?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : योजना आयोग ने हमारे द्वारा मांगी गई रकम में कटौती कर दी है। हमें मांगी गई रकम के 15 प्रतिशत से अधिक रकम नहीं मिलेगी।

श्री दाजी : कितनी रकम मांगी थी?

श्री सत्यनारायण सिंह : 115 करोड़ रुपये।

पुरातत्वीय संग्रह

*1369. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि भारत का पुरातत्वीय संग्रह बराबर कम होता जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इसे रोकने के उद्देश्य से एक विधान बनाने का है, जिसके अन्तर्गत पुरातन वस्तुओं के सभी गैर-सरकारी स्वामियों को उन्हें घोषित करना आवश्यक होगा ;

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि मूल्यवान पुरातन वस्तुएं विदेशी खरीदारों के लिये कार्य करने वाले व्यापारियों की आपत्तिजनक कार्यवाही के जरिये विदेशी संग्रहालयों में न पहुंचें, सरकार ने कोई कारगर फार्मूला बनाया है ; और

(घ) क्या यह सच है कि केवल पत्थरों का निर्यात करने के लिये लाइसेंस प्राप्त फर्मों ने पत्थरों में छुपाकर बहुमूल्य मूर्तियों का निर्यात किया है?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) लाइसेंस (अनुज्ञापत्र) के अन्तर्गत आई हुई वस्तुओं को छोड़ कर, पुरातन वस्तु (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 सभी पुरातन वस्तुओं के निर्यात को निषेध करता है। निर्यात लाइसेंस केवल ऐसी पुरातन वस्तुओं के लिए जारी किए जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय हित को हानि पहुंचाए बिना निर्यात किया जा सकता है।

(घ) इस मंत्रालय की जानकारी में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे बहुमूल्य संसाधनों का ह्रास हो रहा है, क्या पुरातत्वीय वस्तुओं के निर्यात को रोकने के लिये एक केन्द्रीय संस्था बनाने की सरकार की कोई योजना है?

श्री भक्त दर्शन : निर्यात लाइसेंस देने से पहले पुरातत्व विभाग के महा निदेशक अच्छी तरह जांच पडताल करके अपनी सिफारिश करते हैं और उसके बाद ही लाइसेंस दिये जाते हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि जिस भवन में महात्मा गांधी मरे थे वह आने वाली पीढ़ियों के लिये एक एतिहासिक महत्व की बात होगी, और यदि हां, तो उस भवन को अर्जित करके राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री भक्त दर्शन : यह मामला कई बार सभा में उठाया जा चुका है। मैंने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से बातचीत की थी किन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : गुजरात में लोथला नामक स्थान में खुदाई में मोहंजोदाड़ो युग की कई बहुमूल्य वस्तुएं मिली हैं। वे बड़ौदा तथा अन्य संग्रहालयों में बेकार पड़ी हैं। क्या सरकार का इनके लिये कोई संग्रहालय बनाने का विचार है, जिस में बहुमूल्य पत्थर भी रख जायेंगे ?

श्री भक्त दर्शन : हम इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों की सहायता कर रहे हैं। जहां तक नया संग्रहालय स्थापित करने का सम्बन्ध है, चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रस्तावों में भारी कटौती की गई है।

श्री नाथ पाई : क्या प्रधान मंत्री महोदय को पता है कि प्राचीन स्मारकों से पुरातत्वीय अवशेष की बड़े पैमाने पर चोरी होती है और ये स्थान सुरक्षित कहे जाने पर भी इनमें चोरी की काफी गुंजाइश है ? क्यों कि यह एक गंभीर अपराध है, अतः मैं जानना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के इन वस्तुओं को चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसे कानून के अन्तर्गत कोई कड़ा दण्ड दिया जा सकता है ?

श्री भक्त दर्शन : पुरातन वस्तु निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 में संशोधन किया जा रहा है। यह विधेयक सभा के सामने विचार के लिये पड़ा है। अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्यों के कारण हम इस पर विचार नहीं कर पाये हैं। हम इसको शीघ्र पारित कराने का प्रयत्न करेंगे।

श्री नाथ पाई : मेरा प्रश्न निर्यात के बारे में नहीं अपितु देश के अन्दर होने वाली चोरी से है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कड़ा दण्ड दिया जाता है ?

श्री भक्त दर्शन : मैं नहीं कह सकता।

Shrimati Jayaben Shah : There is no arrangement for the maintainance of protected monuments. There is a best piece of such monuments in Modera (Gujarat). Its condition has become worst. May I know whether Government have taken any special steps to protect the important monuments on priority basis?

Shri Bhakt Darshan : We have a large number of historic places in the country. But unfortunately all of them cannot be maintained properly.

Shrimati Jayaben Shah : We may classify them according to their importance. Those monuments should be declared very important, for the study of which a large number of people come here from abroad. I think this is the solution of the problem.

Shri Bhakt Darshan : The important historic places are of National importance and these are included in the Central list. These places are maintained by the Centre. The second category of places are maintained by the states concerned.

Shri U. M. Trivedi : Is the hon. Minister aware that big people are making money by exporting antiquities from near Ekling temple and Naga Nagari of Rajasthan? If so, has the area near by the Ekling Temple and Naga Nagari been marked a protected area under Ancient Monuments Act by the Government?

Shri Bhakt Darshan : I assure the hon. Member that I will look into the matter and take necessary action.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Is the hon. Minister of Education aware that the Deputy Minister of Education, Shri Bhakt Darshan and the ex. Minister of State in the Ministry of Education visited the Archaeological Museum at Gurukul, Jhajjar and gave some financial assistance to the museum? Will he also be pleased to visit the museum and try to give some assistance to it?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं पिछले महीने नागार्जुन सागर तथा सांची में पुरातत्व संग्रहालय देखने गया था और इस संग्रहालय को देखने के लिये भी अवश्य समय निकालने का प्रयत्न करूंगा।

Shri Raghunath Singh : Some time back several old manuscripts relating to vedic literature and Buddhist literature were found in Russia. May I know whether some persons will be sent to Russia to study those manuscripts?

Shri Bhakt Darshan : We will certainly take action if the hon. Member gives more information about it.

Shri Madhu Limaye : I visited Vaishali to see archaeological remains and I was shocked to see that neither the excavation work was going on satisfactorily nor the condition of the museum was satisfactory. I also visited Dev in Bihar and found there that the images in the temples were scattered here and there in a very bad condition. May I know what steps are being taken by the Government to maintain these temples and archaeological remains?

Shri Bhakt Darshan : I do not know whether these two places, refered to by the hon. Member are in the Central list or not. If these are in the Central list, certainly it is our resposnibility otherwise it is the responsibility of the State.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय को पता है कि सरकार विभिन्न पुरातत्व इमारतों तथा स्मारकों से निकाली गई पुरातत्वीय वस्तुओं को अपने हाथ में लेने के बजाय निजी संगठनों तथा व्यक्तियों को उनके संरक्षण के लिये सहायता देती है और यदि हां, तो इन वस्तुओ को प्राप्त करके राष्ट्रीय संग्रहालय में रखने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री भक्त दर्शन : मुझे इस सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य मुझे पूरी जानकारी दें तो मैं इस सम्बन्ध में पूछताछ करूंगा।

प्रशासन सुधार आयोग में दर्जा निर्धारित करने की प्रक्रिया (रैंकिंग प्रोसीजर)

+

*1371. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मधु लिमये :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० प्र० शर्मा :
श्री लखमू भवानी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रधान और सदस्यों का दर्जा निर्धारित करने की कोई प्रक्रिया (रैंकिंग प्रोसीजर) निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) : आयोग अपने सदस्यों के दर्जों के निर्धारण की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं कराना चाहता। अतः उन्हें इस सूची में कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वह स्वयं किसी प्रकार के दर्जा निर्धारित किये जाने की इच्छा नहीं रखता और बाद में आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह किसी प्रकार का दर्जा निर्धारित किये जाने के इच्छुक नहीं है, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह विवाद कैसे उत्पन्न हुआ और आयोग को बदनाम करने के लिये सारे देश में इस विवाद को इतना तूल कैसे दिया गया ?

श्री हाथी : सरकार ने इसका कोई प्रचार नहीं किया। इसके विपरीत सबसे पहली बार इस सभा में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में बताया था कि आयोग अपना काय करने के लिये सुविधाएं चाहता है। आयोग का कहना था कि यदि आयोग मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को बुलायें तो उन्हें आयोग के सामने आकर उसके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये। आयोग ने दर्जा निर्धारित किये जाने की कोई मांग नहीं की थी। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि आयोग कार्य करना चाहता है और उसके लिये सुविधाएं चाहता है। हमने सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है कि आयोग को सभी सुविधाएं दी जाये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले आयोगों और समितियों के पूर्वता अधिपत्र और दर्जा निर्धारित किये जाने के बारे में कोई विशेष प्रक्रिया है और क्या भारत सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि आयोगों, समितियों, सदस्यों तथा गणमान्य व्यक्तियों के इस प्रकार के दर्जा निर्धारित किये जाने तथा पदक्रम विवरण की प्रणाली समाप्त किया जाना चाहिए ?

श्री हाथी : मैं माननीय सदस्य के सुझाव का आदर करता हूं। कार्य करने के लिये समितियों को सुविधाएं और सहायता चाहिए न कि दर्जा। मैं मानता हूं कि दर्जा निर्धारित करने की अधिक बात करना अधिक लाभदायक और वांछनीय नहीं है। समितियों में जो अस्थायी होती हैं, आम तौर पर दर्जा निर्धारित करने की बात पैदा ही नहीं होती है। जिन मामलों में यह प्रश्न सामने आता है कि समिति के सदस्यों को किस श्रेणी का यात्रा भत्ता दिया जाना चाहिए और उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाये तथा किस प्रयोजन के लिये दी जाये, उनमें दर्जा निर्धारित किया जाना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस सम्बन्ध में दर्जा निर्धारित किये जाने की कोई प्रक्रिया नहीं होगी?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय माननीय सदस्य से सहमत है किन्तु वह इस पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि प्रशासन सुधार आयोग ने प्रधान मंत्री से लिखित रूपमें यह मांग की थी कि जब तक उन्हें प्रधान मंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों से ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता, आयोग मंत्रियों और मुख्य व्यक्तियों को बुलाकर उन से पूछताछ नहीं कर सकता?

श्री हाथी : मैंने भी यही कहा था। यह प्रधान मंत्री के बाद के दर्जे का प्रश्न नहीं है, किन्तु काफी ऊंचे दर्जे का है ताकि यदि आयोग मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों को बुलाये तो वे आयोग को सभी जानकारी दें और वे इसे एक छोटा आयोग न समझें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उन्होंने मांग की थी ?

श्री हाथी : जी, नहीं।

Shri Madhu Limaye : Does the hon. Minister realise that disparity in different sections of society and disparity in Castes has ruined the country. Now the

controversy has arised regarding the Administrative Reform Commission. Keeping in view this fact do the Government propose to do away with this disparity between the highest and the lowest officials in the Government?

Shri Hathi : There is no such proposal. We want to bridge the disparity but the differences in the working cannot be avoided in order to run the administration efficiently.

Shri Madhu Limaye : My question is regarding status and not about the facilities and powers.

Mr. Speaker : The hon. Minister says that it cannot be done.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि कुछ राज्य सरकारों ने गृह-कार्य मंत्री को लिखा है अथवा उन्हें मौखिक रूप से बताया है कि यह प्रशासन आयोग बेकार का खर्चा है और यह राज्य सरकारों के लिये, जिनके अपने प्रशासनिक सुधार आयोग है, कोई उपयोगी नहीं होगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इसे आयोग का समापन करने का विचार कर रही है?

श्री हाथी : सरकार का विचार इस आयोग का समापन करने का नहीं है । इसके विपरीत सरकार सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे आयोग को अपना पूरा सहयोग दे ताकि वह यथासंभव शीघ्र अपना कार्य पूरा कर सके ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आयोग की नियुक्ति के बारे में सभा में बताये जाने के इसकी वास्तविक नियुक्ति में इतना विलम्ब क्यों हुआ और आयोग के एक सदस्य को मंत्री नियुक्त किये जाने से जो स्थान रिक्त हुआ था, उस पर अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई ?

श्री हाथी : रिक्त स्थान पर नियुक्ति कर ली गई है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया । मैंने पूछा था आयोग की नियुक्ति में विलम्ब क्यों हुआ ।

श्री हाथी : हमें बहुत सावधानी तथा सोच विचार कर सदस्यों का चुनाव करना था इसलिये इस में समय लगना स्वाभाविक ही था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह आयोग जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त नहीं किया गया है अतः हम इसको आयोग कैसे कह सकते है तथा इसमें और समिति में क्या अन्तर है ?

श्री हाथी : इस प्रकार कई आयोग नियुक्त किये गये हैं, उदाहरणार्थ, वित्त आयोग आदि यह आयोग समिति की तुलना में व्यापक होगा और इस के उत्तरदायित्व तथा कार्य भी व्यापक होंगे ।

Shri Bade : Is it a fact that some States raised objection to the appointment of this Commission and that was why the Chairman of the commission demanded that he should be given a special status after the Prime Minister. It was given great publicity in newspapers.

श्री हाथी : आयोग की नियुक्ति के बारे में किसी राज्य ने आपत्ति प्रकट नहीं की है । वास्तव में हमने राज्य सरकारों से परामर्श करके ही यह आयोग नियुक्त किया ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को पता है कि प्रजातंत्र में दर्जे निर्धारित करने ही पड़ते है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आयोग के सदस्यो का दर्जा किसी विशेष बात के ध्यान में रख कर निर्धारित किया है ?

श्री हाथी : उनका कोई दर्जा निर्धारित नहीं किया गया है।

Shri Tyagi : How much staff has been sanctioned to this Commission including Secretary, Joint Secretary and Deputy Secretary?

Shri Hathi : There is a long list of it. Did you ask how much has been sanctioned?

Shri Tyagi : Yes, Sir.

श्री हाथी : सदस्य-सचिव 1; अतिरिक्त सचिव 1; संयुक्त सचिव 4; उप-सचवि 10; अवर सचिव 1; हिन्दी अधिकारी 1 तथा अन्य (**अन्तर्बाधायें**)

श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री जी का उत्तर आश्वासन दिलाने वाला तो है परन्तु अधिक संतोषजनक नहीं है। इसका दर्जा निर्धारित करने से काफी सम्बन्ध है क्योंकि एसा मालूम होता है कि किसी समय यह पता लगा था कि इसके सदस्य भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के समान दर्जा चाहते थे। क्या यह सच नहीं है कि सरकार की सारी विचारधारा पूर्वता अधिपत्र नामक दस्तावेज पर आधारित है जो कि बहुत पुराना तथा दकियानूसी है और यदि हां, तो सरकार ने इसकी जांच करने तथा इसको समय के अनुकल बनाने के लिये क्या प्रयत्न किया है ?

श्री हाथी : मुझे इस बात का हर्ष है कि माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को आश्वासन दिलाने वाला समझा है। यदि वे इस उत्तर को संतोषजनक नहीं समझते है, तो मुझे खेद है कि मैं उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त और मै क्या कह सकता हूँ ? (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते है कि क्या इस पूर्वता अधिपत्र को, जो कि दकियानूसी है, बदलने के बारे में कोई विचार किया जा रहा है।

श्री हाथी : इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

बर्मा से स्वदेश लौटे लोग

+

*1372. **श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री म० प० स्वामी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री रा० बरुआ :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री : श्री नि० रं० लास्कर :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री लीलाधर कटकी :
श्री यलमन्दा रेड्डी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 16 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 206 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि पुनर्वास मंत्रालय निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय को धन दे तो निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय बर्मा से स्वदेश लौटे लो ों को देने हेतु कुछ दुकानें पुनर्वास मंत्रालय को देने के लिये सहमत है; और

(ख) यदि हां, तो बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को दुकानें देने के लिये पुनर्वास मंत्रालय ने निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय को धन देने के लिये क्या कार्यवाही की है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know why Government has not allotted shops to the repatriates from Burma like other refugees?

श्री दा० रा० चव्हाण : इन बर्मा के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये सारे देश में अनेक कदम उठाये जा रहे है। वस्तुत: माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं उन्हे बता दूं कि लगभग 14,000 परिवारों को सारे देश में पुनर्वास ऋण देकर बनाया गया है। यह विचार है कि 1966–67 में लगभग 12,000 परिवारों को पुनर्वास सम्बन्धी सहायता दी जायेगी।

Shri Onkar Lal Berwa : Have Government sanctioned money in this scheme to Ministry of Works and Housing for the construction of shops for repatriats from Burma? If not, the reasons therefor and how many repatriates from Burma have been allotted shops?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं उनका प्रश्न समझ नहीं सका हूं। क्या माननीय सदस्य अपने प्रश्न को स्पष्ट रूप से दोहरायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते है कि बर्मा के कितने शरणार्थियों को दुकानें दी गई है।

श्री दा० रा० चव्हाण : दिल्ली में या सारे देश में?

Shri Onkar Lal Berwa : In Delhi.

श्री दा० रा० चव्हाण : दिल्ली में अभी तक कोई दुकान नहीं दी गई है। मुख्य प्रश्न का प्रथम भाग यह है कि क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को कुछ दुकानें देने की स्थिति में है।

Shri Onkar Lal Berwa : Has any amount been earmarked for them in this scheme? If not, the reasons therefor?

श्री दा० रा० चव्हाण : इस मामले के बारे में दिल्ली प्रशासन के साथ बातचीत की गई है। हमने दिल्ली प्रशासन से प्रार्थना की है कि वह दुकानों तथा व्यापार गृहों के निर्माण के लिये प्रस्ताव भेजे और हम उनके प्रस्तावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : यह प्रश्न पहिले श्री मेहर चन्द खन्ना से पूछा गया था जिन्होंने यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया था कि जब तक पुनर्वास मंत्रालय अथवा वित्त मंत्रालय निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय को कुछ रुपया मंजूर नही करेगा तब तक क्वार्टर अथवा दुकानें नहीं बन सकतीं। बर्मा के शरणार्थियों को, उन्हें दुकानें देकर, बसाने का यह मामला एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को कब तक सौंपा जाता रहेगा तथा इस मामले को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जहां तक दिल्ली में दुकानों के निर्माण के प्रश्न का सम्बन्ध है यह समस्या केवल बर्मा के बहुत थोडे शरणार्थियों की है क्योंकि इनमें से अधिकांश शरणार्थी मद्रास अथवा तामिलनाड़, बिहार और उड़ीसा आये है। हमने उनको बसाने के लिये वहां पर्याप्त कार्यवाही की है। बर्मा के कुछ शरणार्थी दिल्ली में हैं। जसा कि उपमंत्री जी ने बताया है, दिल्ली प्रशासन से कहा गया है कि वह पुनर्वास कार्यवाही के लिये, जैसा कि वह आवश्यक समझे, एक प्रस्ताव तैयार करे।

श्री यलमन्दा रेड्डी : क्या मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान श्री मेहर चन्द खन्ना द्वारा राज्य सभा में 16 फरवरी को दिये गये उत्तर की ओर दिला सकता हूँ कि यदि उनके मंत्रालय

को रुपया दिया जाय तो वह मकान देने के लिये तैयार है। इस मंत्रालय का दिल्ली प्रशासन को कहने का क्या अर्थ है जो इस काम को करने के लिये तैयार नहीं है। जब एक अन्य मंत्रालय इस कार्य को करने के लिये तैयार है, तो फिर उस मंत्रालय को कुछ वित्तीय सहायता क्यों नहीं दी जाती ?

श्री जगजीवन राम : मैं किसी अन्य मंत्रालय को रुपया क्यों दूं ? यह कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा ही किया जाना है। दूसरे हम यह नहीं चाहते कि शरणार्थी दिल्ली में जमा हों जहां पहिले ही घनी आबादी है ?

श्री रा० बरूआ : क्या इन शरणार्थियों के व्यवसायों तथा धंधों का पता लगाया गया है और यदि हां, तो वे क्या क्या है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जहां तक विभिन्न व्यवसायों तथा धंधों में उनके लगाने का सम्बन्ध है, वह कार्य पहिले ही किया जा रहा है।

श्री नि० रं० लास्कर : उत्तर से हमें पता चलता है कि इन व्यक्तियों को दिल्ली में बसाने के लिये एक प्रकार से कुछ भी नहीं किया गया है। सरकार इन लोगों को दिल्ली में ही बसाने के लिये क्या निश्चित कदम उठा रही है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह कहना ठीक नहीं है कि कुछ भी नहीं किया गया है। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां बहुत ही थोड़े परिवार आये हैं। उनमें से अधिकांश मद्रास तथा अन्य राज्यों में आये हैं। यहां आने वाले परिवारों की संख्या बहुत कम है। बर्मा के इन शरणार्थियो से लगभग 31 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं तथा अब तक 28,500 रुपये पुनर्वास ऋण अथवा व्यापार सहायता के रूप में दिये जा चुके हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या यह मंत्रालय उन भारतीयों के मामलें में भी सहायता देता है जिन्हे नवोदित अफ्रीकी देशों से, उन्हें उनके धन तथा सम्पत्ति से वंचित करके, बाहर निकाल दिया गया है और यदि नहीं तो उनके पास क्या उपाय है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बर्मा के शरणार्थियों के बारे में है।

श्री बड़े : श्री ओंकार लाल बेरवा के प्रश्न का उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली प्रशासन को लिखा है। पिछली बार भी सभा को यही जानकारी दी गई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने दिल्ली प्रशासन को अब कब लिखा और यह मामला दिल्ली प्रशासन के पास कब से लम्बित है ?

श्री जगजीवन राम : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कि बताया गया है। कुछ परिवारों को ही पुनर्वास सहायता दी गई है .....

श्री बड़े : मैं तिथि चाहता हूँ।

श्री जगजीवन राम : मैं तिथि बताने के लिये तयार नहीं हूँ क्योंकि मैं बर्मा के शरणार्थियो को दिल्ली आने के लिये प्रोत्साहित नहीं करना चाहता।

श्री बड़े : क्या उन्होंने दिल्ली प्रशासन को लिखा है ?

श्री जगजीवन राम : मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि हम बर्मा के शरणार्थियो को दिल्ली आने के लिये प्रोत्साहित नहीं करना चाहते क्योंकि उनमें से अधिकांश अन्य क्षेत्रों के है।

Shri Briji Raj Singh : Can the hon. Minister withhold an answer without assigning any reason ? If he does not want to reply, he should give reason for it.

Mr. Speaker : He said that he wants the people of Madras, Tamilnad and other areas to settle there.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : वह यह कह सकते हैं कि "मैं उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हूँ" परन्तु वह यह कैसे कह सकते है कि "मैं उत्तर नहीं दे सकता" ?

अध्यक्ष महोदय : वह भारी संख्या में शरणार्थियों को यहां आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहते ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ताज महल

*1365. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्केण्डेनेवियाई तथा प्राच्य अध्ययन संबंधी अमरीकी संस्था के प्रधान डा० एम० फ्लेग्मीयर द्वारा व्यक्त मत की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्हों ने भारतीय विद्वान डा० पी० एम० बाक से सहमति प्रकट की है, कि मुस्लिम मकबरे के रूप में प्रयोग किये जाने से पहले ताजमहल एक राजपूत महल था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) क्या भारतीय इतिहास के इतिहासकारों का एक सम्मेलन बुलाने तथा भारतीय इतिहास के अशान्तिमय अध्याय का पुनर्विलोकन करने की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां । श्री पी० एन० बाक का निर्देश स्वीकार्य है ।

(ख) डा० फ्लेग्मीयर के मत को नोट कर लिया है।

(ग) जी, नहीं ।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान मारे गये असैनिक व्यक्तियों के परिवारों का पुनर्वास

*1370. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में कुल कितने असैनिक व्यक्ति मारे गये; और

(ख) दोनों देशों के बीच संघर्ष आरम्भ होने के समय से मारे गये असैनिक व्यक्तियों के परिवारो को सहायता और पुनर्वास सुविधायें देने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भारतीय समुद्र विज्ञान संस्था

*1373. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री दी० चं० शर्मा : **श्री फिरोडिया :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवनिर्मित भारतीय समुद्र-विज्ञान संस्था ने भारत के तटवर्ती समुद्रों में शीघ्र ही तेल के लिये जोरदार खोज आरम्भ करने की एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यह खोज कब आरम्भ की जायेगी ; और

(घ) इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्था के कार्यक्रम में महाद्वीपीय भग्नतटभूमि के गहरे क्षेत्रों में तेल, कच्ची धातु और खनिज पदार्थों के भविष्य की एक योजना शामिल की गई है।

(ख) योजना की मुख्य बातें महाद्वीपीय भग्नतटभूमि के विभिन्न क्षेत्रों में तलछटों के व्यापक नमूने, तलछटों के शैतजीव सम्बन्धी अध्ययन, तलछटों का कार्बनिक अंश तथा महाद्वीपीय भग्नतटभूमि की भूकम्पीय विशेषताएं हैं।

(ग) संस्था की अर्जित अनुसंधान-वाहिका के बाद खोज आरम्भ की जायेगी।

(घ) योजना सम्बन्धी व्यय का अनुमान अभी नहीं लगाया गया है।

लोक शिकायत आयुक्त

*1374. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

श्री महेश्वर नायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता की शिकायतों के लिये एक आयुक्त नियुक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कार्य क्या होंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) वह प्रत्येक मंत्रालय/विभाग तथा उनके अधीन कार्यालयों में जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये पहले से किये गए प्रबन्धों के क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करेगा और उनकी समीक्षा करता रहेगा। इस कार्य को करते हुए वह उन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगा ताकि ये अच्छी प्रकार काम करते रहें, कार्यकारी अधिकारियों को सलाह देगा और अपनी सम्मति से आवश्यकतानुसार विभागाध्यक्ष अथवा सचिव को अवगत करायेगा। इसके अलावा जनता उससे सीधे शिकायतें करती है। वह सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों की सलाह से उनकी जांच करता है।

सोमाली गणतन्त्र तथा भारत की स्वतन्त्र पार्टी के झंडों में साम्यता

*1375. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सोमाली गणराज्य के राष्ट्रीय झंडे और भारत की स्वतंत्र पार्टी के झंडे में कथित साम्यता संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस स्थिति की जांच की है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ऐसा नहीं समझती कि इस मामले में कोई कार्यवाही करने की जरूरत है ।

पंजाब के तीन प्रदेशों में अन्तरिम सरकारें

*1376. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकाली दल की कार्यकारिणी समिति (सन्त गुट) ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह संसदीय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर पंजाबी सूबा, हरियाना प्रान्त तथा विशाल हिमाचल के लिये पृथक-पृथक अंतरिम सरकारें बनाये ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) सरकार ने एक ऐसी प्रेस सूचना देखी है जिसके अनुसार शिरोमनी अकाली दल (संत गुट) की साधारण सभा ने 29 मार्च, 1966 को अपनी बैठक में इस बात पर बल दिया कि "प्रस्तावित पंजाबी सूबा, हरियाना प्रांत तथा विशाल हिमाचल प्रदेश" के लिये अस्थायी सरकारों का निर्माण अविलम्ब किया जाय ।

(ख) जब तक पंजाब राज्य के पुनर्गठन के लिये आवश्यक संसदीय विधिनियम स्वीकृत नहीं हो जाता तब तक इस राज्य में सम्मिलित क्षेत्रों के लिये एक से अधिक सरकारें नहीं हो सकतीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

*1377. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री धुलेश्वर मीना : **श्री दे० शि० पाटिल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री 16 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग ने इस बीच सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उनके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब का पुनर्गठन

*1378. **श्री किन्दर लाल :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित पंजाबी और हरयाना राज्यों की सीमाएं निर्धारित करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) उस समिति में कौन कौन व्यक्ति होंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : सरकार ने 23 अप्रैल, 1966 के संकल्प संख्या ऐफ़० 17।7।66-ऐस० आर० द्वारा एक आयोग नियुक्त किया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

(1) श्री न्यायाधिपति जयंतीलाल छोटे लाल शाह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश । . अध्यक्ष

तथा

(2) श्री ऐस० दत्त
(3) श्री ऐम० ऐम० फिलिप } . . . . . सदस्य

उक्त संकल्प की एक प्रति 25 अप्रैल 1966 को सदन के सभा-पटल पर रखी गई थी ।

भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा दलों की बैठक

*1379. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा दलों की हाल में एक बैठक बाधा सीमा के परे पाकिस्तान सीमा में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई है ; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार तस्कर व्यापार संबंधी गतिविधियों को प्रभावी रूप से रोकने के लिये तथा स्थल-नियमों (ग्राउन्ड रूल्स) का निर्दिष्ट रूप में पालन करने के लिये सहमत हो गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1961 के स्थल-नियमों की व्यवस्था के अनुसार पंजाब और पश्चिम पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा दलों की एक बैठक बाधा में 30-3-1966 को हुई थी ।

(ख) 1961 के स्थल-नियमों की व्यवस्थाओं के दोनों पक्षों द्वारा क्रियान्वयन से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया गया ।

(ग) दोनों ओर के दल सीमा के आर-पार तस्कर व्यापार को रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाने पर सहमत हो गए हैं।

पश्चिम बंगाल कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संघ

*1380. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के परीक्षाओं का बहिष्कार करने के निर्णय पर कालेज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन-मानों में संशोधन करने के संबंध में सरकार के निर्णय की घोषणा का कोई प्रभाव नहीं पडा है, और

(ख) उक्त निर्णय के संबंध में अध्यापकों के अन्य संघों की ओर से सरकार को क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकारी घोषणा के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय अध्यापक-संघ ने परीक्षाओं का बहिष्कार करना छोड़ दिया है।

(ख) अध्यापकों के अन्य संघों ने विश्वविद्यालय तथा कालेज-अध्यापकों के वेतनमानों के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय का स्वागत किया है।

पंजाब में राष्ट्रपति का शासन लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

*1381. **श्री बसवन्त :** **डा० महादेव प्रसाद :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पंजाब में राष्ट्रपति का शासन लागू करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) ऐसी व्यवस्था करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

कलकत्ता की बन्दरगाह में मिट्टी का तेल लाने वाले सुपर टैंकर

*1382. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने सुझाव दिया है कि पश्चिमी बंगाल क्षेत्र मे मिट्टी के तेल की कमी को दूर करने के लिये रूस से आयात किया गया मिट्टी का तेल लाने वाले सुपर-टैंकरों को कलकत्ता गोदी में ठहराया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय तेल निगम को बन्दरगाह के अधिकारियों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया के कारण कोई कठिनाई हुई है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अय्यगेसन) : (क) कम उत्पादों के आयातों को अधिक सुविधा देने के लिए भारतीय तेल निगम ने कलकत्ता गोदी (Docks) में बड़े टकरों को ठहराने का सुझाव दिया है क्योंकि इस परिवहन के लिए इस समय छोटे टकरों की कमी है। किन्तु ऐसी सुविधाओं के न होने से अब तक कलकत्ता में समुद्री-मार्ग द्वारा की जाने वाली सप्लाई में कमी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : भारतीय तेल निगम ने कलकत्ता बन्दरगाह अधिकारियों के साथ इस विषय पर बातचीत की और यह तय हुआ कि बज-बज पर बड़े टैंकरों को ठहराने के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जायगा।

Infiltration of Armed Pakistanis in Kashmir

*1383. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri M. R. Krishna :**
Shri Brij Raj Singh : **Shri Sham Lal Saraf :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri Bade : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Ramapathi Rao :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news-item published in the 'Indian Express', dated the 25th March, 1966 wherein the Home Minister of Jammu and Kashmir State has been reported to have observed in the State Legislative Assembly that the report regarding the armed Pakistani infiltrators entering Kashmir was passed on to the Central Government in May, 1965; and

(b) if so, the reasons for not taking any action in regard thereto upto August, 1965?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Government have seen the press report. What the Home Minister of Jammu and Kashmir actually stated in the State Assembly on the 24th March 1966 was that the State Government as well as the Central Government were aware that Pakistan was preparing and training Mujahids, Razakars and guerilla fighters, that the situation was under constant review since May, 1965, that what came in August, 1965 was candestine invasion on a mass scale, with an element of surprise and suddenness which accompany such invasions and that our knowledge of Pakistan's preparations was fully made use of and our defences nad been strengthed, with tne result that our security forces were able to give a fitting and quick reply to Pakistan and to deal with the infiltrators.

छत्रपति शिवाजी मराठा की समाधि

*1384. **श्री दिगे :** **श्री बसवन्त :**
श्री मुकाने : **श्री कांबले :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि महाराष्ट्र राज्य में रायगढ़ दुर्ग में बनी छत्रपति शिवाजी मराठा की समाधि का प्रबन्ध उसे सौंप दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या रायगढ़ दुर्ग में जो इस महान राजा की राजधानी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक उपयक्त स्मारक बनाने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो कैसा स्मारक बनाने का विचार किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकृत नहीं किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

स्कूलों में अध्यापकों के वेतन

*1385. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मुहमद इलियास :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बूटा सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बिशनचन्द सेठ :
श्री नाथ पाई :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री मौर्य :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों में असन्तोष की भावना बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता मंजूर करने के हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : उच्चतर माध्यमिक स्तर सहित सभी स्तरों पर अध्यापकों को समुचित वेतन देने की समस्या मुख्य रूप से राज्य सरकारों से सम्बन्धित है । भारत सरकार राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर दे रही है कि शिक्षा की कोटि में सुधार की दृष्टि से, अध्यापकों के वेतनों, सेवा की शर्तों तथा उनकी योग्यताओं में सुधार की आवश्यकता है । उसने राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी है कि वे इमदादी तथा सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों की असमानता को दूर करें । केन्द्रीय सरकार राज्य क्षेत्र की योजना के रूप में, अध्यापकों के वेतनों में सुधार के लिए 50:50 के आधार पर राज्य सरकारों को सहायता दे रही है । अनुमान है कि तीसरी आयोजना के दौरान इन प्लान-योजनाओं पर लगभग 37 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा । कुछ राज्य सरकारों ने गैर आयोजना क्षेत्र में अध्यापकों के वेतन मानों में भी सुधार किया है । इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप, अध्यापकों के वेतनों में सुधार हुआ है यद्यपि विशेषरूप से कुछ राज्यों में आगे सुधार की गुंजाइश है ।

भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों में कोई ऐसी विशेष असन्तोष की भावना जागृत हो रही है । अध्यापकों की साधारण रूप से वेतन-वृद्धि की मांग जीवन निर्वाह के बढ़ते व्यय से भी सम्बन्धित है ।

Life convicts in Delhi and Nabha Jails

*1386. **Shri Hem Barua :**
Shri S. M. Banerjee :
Shri Balmiki :
Shri Yashpal Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri N. N. Patel :
Shri Narendra Singh Mahida:
Shrimati Ganga Devi :
Shri Madhu Limaye :
Shrimati Basant Kunwar Ba:
Shri Solanki :
Shri Priya Gupta :
Shri Bagri :
Shri Buta Singh :
Shri Yajnik :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the conduct of the life convicts of Maharashtra in Delhi Central Jail and Nabha Jail has been very good during the period of their imprisonment;

(b) if so, whether the Union Government propose to advise the Government of the State concerned to issue orders for their release after the completion of the period of life imprisonment, including the remission period; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) The conduct of life convicts of Maharashtra in Delhi Jail is reported to be good. No life convict of Maharashtra has been lodged in the Nabha Jail.

(b) No, Sir. In law, the term 'life imprisonment' means imprisonment for the rest of the life of the prisoner, unless the appropriate Government remit the unexpired portion of the sentence under Section 401 of the Code of Criminal Procedure.

(c) Does not arise.

टेलीफोनों के लिए बिल व्यवस्था

*1387. **श्री रा० बरुआ :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में तथा देश में टेलीफोन का प्रयोग करने वाले लोगों के लिये बिल बनाने की व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या टेलीफोन विभाग टेलीफोन के मालिकों की शिकायतों पर शीघ्र ध्यान देता है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता की तरह आंशिक रूप से बिलों की यंत्रीकृत प्रणाली लागू करके, दिल्ली में कड़ाई से नियमों के परिपालन और काम की पुनर्व्यवस्था करके तथा जहां कहीं तरीके कारगर हों वहां काम को विकेन्द्रीकृत करके ।

(ग) जी हां ।

Suspension of M. L. As. from Madhya Pradesh Assembly

*1388. **Shri Bade :** **Shri Warior :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Gauri Shankar Kakkar**
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Indrajit Gupta : **Shri Madhu Limaye :**
Shrimati Renu Chakravartty : **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Hem Barua : **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri S. M. Banerjee : **Dr. L. M. Singhvi :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a report has been received by the Central Government to the effect that two Members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly had been suspended;

(b) if so, the main points raised therein; and

(c) Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) No; Sir.

(b) and (c). Do not arise.

श्रीमती करतार देवी और अन्य व्यक्तियों की मांगों को पुरा करने के लिये दिये गये आश्वासन

*1389. **श्री बाल्मीकी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 अप्रैल, 1966 को गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री सेन्ट्रल जेल, दिल्ली में गये और उन्होंने भूख हड़ताली श्रीमती करतार देवी तथा चार अन्य व्यक्तियों को कुछ आश्वासन दिया कि उनकी मांगें पूरी की जायेंगी, और उस पर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी ;

(ख) यदि हां, तो गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री ने क्या आश्वासन दिया था ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि जब उन्होंने राजघाट पर भूख-हड़ताल आरम्भ की थी तब गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा न किये जाने के कारण ही उनको भूख हड़ताल करनी पड़ी थी और उनकी मांगें पूरी न किये जाने के क्या कारण है ; और

(घ) इन प्रवक्ताओं की संघर्ष समिति द्वारा रखी गयी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : उपगृह मंत्री महोदय भूख हड़तालियों से मिले, तथा उन्हें यह बताया, कि उनकी मांगों पर विचार किया जायगा। उन्होंने एसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि उनकी मांगें पूरी की जायेंगी।

(ग) गृह मन्त्री जी द्वारा ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(घ) मांगों पर विचार किया जा रहा है।

वैज्ञानिक अध्ययन

*1390. **श्री मधु लिमये** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा ब्रिटेन की उच्च वैज्ञानिक अध्ययन सम्बन्धी संस्थाओं के बीच सहयोग स्थापित करने के बारे में सरकार ने कोई योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन की मुख्य रूप रेखा क्या है ; और

(ग) क्या अन्य विकसित देशों की संस्थाओं के साथ भी इस प्रकार के करार किये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने ब्रिटिश कौंसिल, यू० के० के साथ वैज्ञानिकों के आदान प्रदान का प्रबन्ध किया है ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

वैज्ञानिकों के आदान प्रदान के लिए ब्रिटिश कौंसिल यू० के० के साथ अन्तिम निर्णय की शर्तें नीचे दी गयी हैं :—

(i) यह प्रबन्ध 21 अक्टूबर, 1965 से दो वर्ष की अवधि के लिए है । ब्रिटिश कौंसिल यू० के० ने सीमित संख्या में भारत से वर्ष में 5 वरिष्ठ तथा 10 कनिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों को लेना स्वीकार किया है । विशिष्ट वैज्ञानिकों के ठहरने की अवधि में अन्तर है : वरिष्ठ वैज्ञानिकों के लिए 2 से 4 सप्ताह तथा कनिष्ठ वैज्ञानिकों को तीन महीने (अपवाद रूप से अधिक भी हो सकते हैं) । भारतीय वैज्ञानिकों का चुनाव तथा ब्रिटिश वैज्ञानिक संस्थाओं में उनके वर्गीकरण का सी० एस० आई० आर० द्वारा निर्णय किया जाएगा । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (C.S.I.R.) यदि जरूरी समझती है, तो वह ऐसी स्थापना के प्रबन्ध में सहायता के लिए ब्रिटिश कौंसिल से अनुरोध कर सकती है ।

(ii) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (C.S.I.R.), उन भारतीय वैज्ञानिकों के—जो योजना के अन्तर्गत इंग्लैंड के दौरे पर हैं, इंग्लैंड के आने जाने के अन्तर्राष्ट्रीय किराये के भुगतान की जिम्मीवार होगी । ब्रिटिश कौंसिल इंग्लैंड में निर्वाह-साधन तथा यात्रा भत्ते की जिम्मेवार होगी ।

(iii) इसी प्रकार ब्रिटिश कौंसिल, वर्ष में 6 ब्रिटिश वैज्ञानिकों को, जो सी० एस० आई० आर० के कर्मचारियों के साथ 4 महीने तक सम्पर्क करने के दौरे पर हैं, वित्तीय सहायता देगी । ब्रिटिश वैज्ञानिकों के भारत के जाने आने का अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का व्यय ब्रिटिश कौंसिल द्वारा वहन किया जाएगा । भारत में ब्रिटिश वैज्ञानिकों का निर्वाह तथा स्थानीय यात्रा व्यय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (C.S.I.R.) द्वारा वहन किया जाएगा ।

(ग) वैज्ञानिक सहयोग के इस प्रकार के करार कुछ विकसित देशों के साथ किये जा चुके हैं तथा कुछ और करार बातचीत की विभिन्न स्थितियों में हैं ।

भारत के इतिहास का फिर से लिखा जाना

*1391. **श्री श्रीनारायण दास** :

श्री श्यामलाल सर्राफ :

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत का इतिहास फिर से लिखने में रूचि ले रही हैं, जिसके लिये श्री पी० एन० ओक की अध्यक्षता में भारतीय इतिहास पुर्नरचना संस्था द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार किस रूप में रूचि ले रही है, और

(ग) क्या इस संस्था ने सरकार से वित्तीय अथवा अन्य रूप में सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) : भारतीय इतिहास पुर्नरचना राष्ट्रीय संस्था (National Institute for Re-Writing Indian History) ने सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी है।

Demand for merger of Marathi-speaking areas of Mysore with Maharashtra

*1392. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
Shri D. S. Patil : **Shri Bade** :
Shri P. Venkatasubbaiah : **Shri Firodia** :
Shri Dharmalingam : **Shri Nath Pai** :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether both the Houses of the Maharashtra State Legislature have unanimously put forth a demand that the Marathi-speaking areas of Mysore be merged with Maharashtra before the next General Elections;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) when a final decision will be taken on this issue ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The matter is under consideration.

दिल्ली अभिभावक शिक्षक परिषद् द्वारा विरोध

*1393. **श्री बाल्मीकी** : **श्री किशन पटनायक** :
श्री मधू लिमये : **डा० राम मनोहर लोहिया** :
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री० सरजू पाण्डेय** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली अभिभावक-शिक्षक परिषद के सदस्यों ने 11 अप्रैल, 1966 से संसद् भवन के सामने भूख हड़ताल आरम्भ कर रखी है ;

(ख) यदि हां, तो उन की मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन की समस्याओं को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) मांगों की संख्या में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली, दिल्ली नगर-पालिका समिति और प्राईवेट इमदादी स्कूलों के इन्तजामों के विरूद्ध कुछ आरोपों की जांच पडताल भी शामिल है। परिषद की मुख्य मांग सांविधिक आयोग की स्थापना करने के सम्बन्ध में है, जो दिल्ली की शिक्षा की मौजूदा समस्याओं की जांच करे, जिसमें क्षति, भ्रष्टाचार तथा अत्याचार के मामले भी शामिल हैं।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

किसानों की बेदखली

4414. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कालियानथोडू के निकट 30,000 एकड़ भूमि से किसानों को बेदखल करने का है ;

(ख) इस क्षेत्र से कितने परिवार बेदखल किये जायेंगे,

(ग) क्या उनके फिर से बसाने के लिये कोई योजनाएं बनाई गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि योजनाएं नहीं बनाई गई हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) माननीय सदस्य द्वारा कालियानथोडू नाम से सम्बोधित स्थान कल्याणप्पार्थन्दु कोट्टायम फ़ारेस्ट डिवीज़न में स्थित है। इस क्षेत्र में अवैध रूप से भूमि पर कब्ज़ा करने वालों की बेदखली वन-संरक्षण तथा पन-बिजली योजनाओं के कारण आवश्यक हो सकती है।

(ख) उन परिवारों की ठीक-ठीक संख्या ज्ञात नहीं है जिन के बेदखल होने की सम्भावना है क्योंकि अवध कब्ज़ा करने वालों की गणना का काम अभी पूरा किया जाना है।

अल्वाय के औद्योगिक कर्मचारी

4415. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्वाय औद्योगिक कर्मचारियों की 31 दिसम्बर, 1965 को विरोध स्वरूप हड़ताल करने के निर्णय की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या थीं ; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) श्रमिकों की शिकायतें निम्नलिखित मामलों के बारे में थीं :—

(1) फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स, ट्रैवनकोर लि० में जबरी छुट्टी।

(2) समयावधि को ध्यान में रखे बिना पूरी मजूरी की अदायगी।

(3) क्षेत्र में थरमल पावर प्लांट लगाना।

(4) राशन की पर्याप्त सप्लाई।

(ग) केरल सरकार की औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी ने हस्तक्षेप किया है और वह (1) और (2) मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की कोशिश कर रही है। चौथी योजना के अन्तर्गत कोचीन के पास 30,000 किलोवाट का एक थरमल पावर स्टेशन लगाना मंजूर हो गया है। जहां तक राशन की सप्लाई का सम्बन्ध है, सभी प्रकार के लोगों को जिनमें औद्योगिक श्रमिक भी शामिल हैं, खाद्यान वितरण काट दिए गए हैं।

उद्योगों पर बिजली की कटौती का कुप्रभाव

4416. श्री अ० क० गोपालन : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट के फेरोक तथा चेरूवानूर क्षेत्रों में उद्योगों पर बिजली की कटौती का क्या कुप्रभाव पड़ा था ;

(ख) इसका कितने उद्योगों पर कुप्रभाव पड़ा था ;

(ग) कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये थे ; और

(घ) क्या सरकार ने उन्हें कोई सहायता दी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) उत्पादन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

(ख) एक आरा मशीन तथा तीन अन्य यूनिटें, जो कि टाइल, माचिस और मिट्टी के बर्तन बनाती हैं, प्रभावित हुईं।

(ग) केवल नैमित्तिक मजदूरों पर, जिन्हें दिहाड़ी पर लगाया जाता है बेरोजगार हुए हैं ; किसी भी स्थायी श्रमिक पर कुप्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) कोई सहायता नहीं दी गई है।

फिल्म और सर्कस कलाकार

4417. श्री अ० क० गोपालन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
डा० रानेन सेन :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्म और सर्कस कलाकारों की रोजगार की स्थिति के बारे में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह कब पुरःस्थापित किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) फिल्म उद्योग में रोजगार की स्थितियों को नियमित करने के लिए विधान की एक ड्राफ्ट योजना पर एक त्रिपक्षीय समिति द्वारा, जो कि गठित की जा रही है, विचार किया जाना है। सर्कस कलाकारों के बारे में विधान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) फिल्म उद्योग में रोज़गार नियमित करने के संबंध में विधान के ड्राफ्ट की एक प्रति सभा की मेज़ पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6156/66।]

(ग) फिलहाल सरकार त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों की इंतजार करेगी।

कुमारा पिल्ले समिति

4418. श्री अ० क० गोपालन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच-सदस्यीय कुमारा पिल्ले समिति ने केरल में साम्प्रदायिक आधार पर आरक्षण करने के बारे में अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : इस प्रतिवेदन को अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है और फिलहाल राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

खेतिहर मजदूरों में रोजगार के अवसर

4419. श्री प० कुन्हन : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी योजना अवधि की तुलना में तीसरी योजना अवधि में खेतिहर मजदूरों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ;

(ग) क्या दूसरी खेतिहर मजदूर जांच समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिश को कार्यान्वित करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1964-65 की ग्राम श्रमिक जांच के अन्तर्गत एकत्रित रोजगार और बेरोजगारी सम्बन्धी ब्यौरे का विश्लेषण होने के बाद ही स्थिति बताई जा सकती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूसरी खेतिहर मज़दूरी जांच एक तथ्य-निर्धारण जांच थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में इंजीनियरी कालेज

4420. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा राज्य में कितने इंजीनियरी कालेज खोले जाने की संभावना है ; और

(ख) वे किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना के दौरान, उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में आरम्भ किये जाने वाले इंजीनियरी कालजो की संख्या के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में रेलवे डाक सेवा के डाकघर

4421. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय रेलवे डाक सेवा के कितने डाकघर हैं ; और

(ख) 1966-67 में उड़ीसा में कितने डाकघर खोलने का विचार है तथा वे किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 'आर० एम० एस० पोस्ट आफिस' नाम का कोई कार्यालय नहीं है। उड़ीसा राज्य में फिलहाल 13 रेल डाक व्यवस्था कार्यालय हैं ।

(ख) 1966-67 के दौरान दो रेल डाक व्यवस्था कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है जिनमें से एक जयपुर (कोरापुट) में दूसरा भद्रक रेलवे स्टेशन पर ।

प्रथम भारतीय संगणक (कम्प्यूटर)

4422. श्री राम हरख यादव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये प्रथम भारतीय संगणक ने काम करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के निर्माता का नाम क्या है तथा इसकी क्षमता कितनी है ; और

(ग) इसके निर्माण पर अनुमानत: कितना खर्च हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) इसका निर्माण, यादवपुर विश्वविद्यालय और भारतीय सांख्यकीय संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय की इलेक्ट्रानिक और दूर संचार (टेली कम्यूनिकेशन) इंजीनियरी प्रयोगशाला में एक संयुक्त प्रायोजना के रूप में किया गया है। 11 अंक की संख्या का कार्य करते हुए यह प्रति सेकंड 10,000 जमा और घटा ; 1,500 गुणा और 1,200 भाग कर सकता है ।

(ग) 4,00,000 रु० (लगभग) ।

Political sufferers in Maharashtra

4423. Shri Kamble :

Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the financial assistance given to the political sufferers in Maharashtra during 1965-66; and

(b) the number of political sufferers for whom assistance on monthly basis has been provided?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Rs. 7,572·50 P.

(b) Nil.

मुख्य डाकघर भवन, तिरुवण्णमलै

4424. श्री धर्मलिंगम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ अर्काट जिले में तिरुवण्णमलै में मुख्य डाकघर की इमारत बनाने के लिए स्थान चुन लिया गया है ;

(ख) क्या इस काम के लिये भूमि अर्जित कर ली गई है ;

(ग) निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ होगा ; और

(घ) इमारत बनाने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

चीनी के कारखानों के कर्मचारी

4425. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि चीनी के कारखानों के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर बनाये गय सूत्र के लाभ तथा हानियों क्या हैं ; तथा लाभ कमाने वाले चीनी के कारखानों के मौसमी कर्मचारियों के संबंध में बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत लगाये गये हिसाब का ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : चीनी उद्योग के मजूरी बोर्ड का बोनस फार्मूला उन चार क्षत्रों में से, जिनमें बोर्ड ने देश को इस उद्योग के लिए विभाजित किया है, केवल दो उद्योगों के लिए था। इन क्षेत्रों में इस उद्योग की विशेष बातों और पिछली प्रथाओं को ध्यान में रख कर यह फार्मूला तैयार किया गया था। इस फार्मूले के अन्तर्गत सभी कर्मचारियों की गन्ना पैरने के मौसम की समायावधि की कमाई (मूल मजूरी और महंगाई भत्ता) पर बोनस दिया जाना है, बशर्ते कि इसकी राशि तीन माह की मजूरी से अधिक न हो। वर्ष के दौरान हानि में जाने वाले या थोड़ा लाभ कमाने वाले चीनी कारखानों को, सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली त्रिपक्षीय समिति के सामने बोनस न देने का मामला रखने का अधिकार था और इस समिति का निणय सम्बंधित फैक्टरी और उसके कर्मचारियों पर बाध्य कर था। इसके विपरित बोनस भगतान अधिनियम में निर्दिष्ट फार्मूला देश के सभी क्षेत्रों और सभी उद्योगों पर, जिनमें चीनी उद्योग भी शामिल है, समान रूप से लागू होता है। इस फार्मूले के अन्तर्गत बोनस लेखा वर्ष में अर्जित कर्मचारियों के वेतन या मजूरी पर देय है, बशर्ते कि यह (लाभ और हानि को ध्यान में रखे बिना) कम से कम वतन या मजूरी का 4 प्रतिशत हो और अधिक से अधिक 20 प्रतिशत हो। यह अधिनियम हाल ही म लागू हुआ है। अतः इतनी जल्दी मजूरी बोर्ड के फार्मूले की तुलना में चीनी श्रमिकों को इसके लाभ या हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

सिनेमा के टिकटों की अनधिकृत बिक्री

4426. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में दिल्ली में सिनेमा के टिकटों की अनधिकृत बिक्री के कितने मामले पकड़े गये ;

(ख) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) कितने मामलों में दंड दिया गया ; और क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 264।

(ख) अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये थे।

(ग) 188 मामलों में दोष सिद्ध हुए तथा अपराधियों को जुर्माना किया गया। 75 मामलों की अभी जांच हो रही है।

दिल्ली में जीव-रासायनिक पदार्थ (बायोकेमिकल) तैयार करने वाली संस्था

4427. **श्री रामानन्द शास्त्री** :

श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में जीव-रासायनिक पदार्थ तैयार करने वाली प्रथम संस्था स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस की उत्पादन क्षमता कितनी है और इस पर कुल कितना खर्च हुआ है ; और

(ग) क्या इस संस्था ने अब तक कोई जीव-रासायनिक पदार्थ तैयार किये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) कुछ दुर्लभ जीव-रासायनिक तैयार करने के लिये वल्लभभाई पटेल इंस्टीटयूट, दिल्ली में 1-1-66 से एक यूनिट स्थापित किया गया है।

(ख) और (ग) : अब तक यूनिट द्वारा थोडी थोडी मात्रा में निम्नलिखित तीन जीव-रासायनिक तैयार किये गये हैं :

(एक) ऐडीनोसिन ट्राइफास्फेट ;

(दो) साइटोक्रोम सी ; और

(तीन) ग्लूकोज-1-फास्फेट।

1966-67 में यूनिट द्वारा 9 और जीव-रासायनिकों की तैयारी का कार्य आरंभ किया जाएगा।

1965-66 वर्ष के लिये यूनिट को 1 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था और 1966-67 के लिए वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार किया जा रहा है।

हनमान चोटी पर चढना

4428. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई के पर्वतारोहियों के एक दल ने उत्तर प्रदेश के गढ़वाल पर्वतों में स्थित हनुमान चोटी पर चढ़ने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन पर्वतारोहियों का विवरण तथा उनकी अर्हतायें क्या हैं; और

(ग) इस पर्वतारोहण के कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है, जिसमें सूचना दी गई है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 6157/66 ।]**

(ग) जून, 1966 ।

अध्यापकों को पुरस्कार

4429. **श्री बसुमतारी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को वित्तीय सहायता देने की अपनी योजना के अन्तर्गत 1966–67 में पुरस्कार देने के लिये 112 अध्यापकों को चुना है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) 1. छः अध्यापक; प्रति अध्यापक 2,000 रुपये

2. एक अध्यापक; 1,600 रुपये

3. छः अध्यापक; प्रति अध्यापक 1,500 रुपये

4. 37 अध्यापक प्रति अध्यापक 1,000 रुपये

5. 12 अध्यापक; प्रति अध्यापक 750 रुपये

6. एक अध्यापक 700 रुपये

7. एक अध्यापक 600 रुपये

8. 45 अध्यापक, प्रति अध्यापक 500 रुपये

9. एक अध्यापक 400 रुपये

10. दो अध्यापक; प्रति अध्यापक 300 रुपये ।

उड़ीसा में तेल के निक्षेप

4430. **डा० कोहोर :**

श्री महानन्द :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग दो वर्ष पहले उड़ीसा राज्य में क्योंझर के जिला मुख्यालय से 25 मील दूर तुरूमुंग नामक गांव में जो एक कुआं पाया गया था उसमें से अब मिट्टी के तेल की गंध आ रही है ;

(ख) क्या कुएं के मालिक ने राज्य सरकार को पहले ही इस बात की सूचना दे दी है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई सूचना मिली है और यदि हां, तो राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। लगभग दो साल पहले मिट्टी के तेल की संदिग्ध गंध के बारे में मालिक ने सूचना दी थी।

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। राज्य सरकार ने मामले की छानबीन की और उन्हें मालूम हुआ कि यह सूचित गंध कुएं के पास रखे हुए दो मिट्टी के तेल के ड्रमों के चूने के कारण थी।

Displaced persons in Badmer

4431. Shri Tan Singh : Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Displaced Persons who came to India during Indo-Pak. conflict and who were lodged in camps in Badmer district;

(b) the total assistance granted to them so far in the form of foodgrains, money and clothes; and

(c) whether plots of land would be allotted to them before the start of rainy season?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) Out of the people who migrated to India 2,525 were lodged in camps in border districts.

(b) Till 31-3-1966, assistance to the extent of Rs. 1,33,750 was granted to them. In addition, a substantial number of quilts, clothes and utensils have been distributed to them and they have also been provided free ration.

(c) Rajasthan Government is making efforts to allot land before the rainy season.

Relief to persons displaced during Indo-Pak. Conflict

4432. Shri Tan Singh : Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Indian Nationals who had to leave their villages in the border areas of Rajasthan during the Indo-Pak conflict;

(b) the total amount of relief given by Government to such displaced persons in the shape of foodgrains, clothes and money so far; and

(c) whether the payment of relief is proposed to be given to these people before they return to their places to enable them to reconstruct their houses?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) 7,464.

(b) Rs. 2,08,905

(c) Yes, Sir.

त्रिवेन्द्रम में अप्रचलित पाठ्य पुस्तकें

4433. **श्री अ० व० राघवन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 को पाठ्य पुस्तक कार्यालय, त्रिवेन्द्रम (केरल) में जमा अप्रचलित पाठ्य पुस्तकों का कुल मूल्य क्या था ;

(ख) गत छः वर्षों में अप्रचलित पाठ्य पुस्तकों के रखरखाव पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या एक सूची, जिसमें गत छः वर्षों में अप्रचलित घोषित की गई पुस्तकों के शीर्षक उनकी संख्या तथा उनके लेखकों के नाम दिये हुए हों, पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Production of Cement

4434. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Research Laboratory, Jorhat has discovered a new process of manufacturing cement in which sulphur will not be required and no expenditure will be incurred on the import of sulphur; and

(b) if so, whether any scheme has been formulated for its propagation?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The Regional Research Laboratory, Jorhat, has worked out a process for manufacturing cement using the high sulphur Assam Coal as fuel. In this process the clinker obtained need not be blended with gypsum as the sulphur present in the coal becomes available for retarding the setting of the cement.

(b) Not yet, Sir.

Minimum Wages for Labour

4435. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the proposals made at the annual function of Rajasthan unit of the All India Trade Union Congress held on the 18th and 19th December, 1965 to the effect that the minimum wages for every class of labourers should be fixed and that the bonus must be paid to workers by the end of January every year; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes. The matters mainly concern the State Government of Rajasthan.

(b) Necessary action is being taken by the Government of Rajasthan.

विकलांग और अन्धे व्यक्तियों में बेरोजगारी

4436. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री 8 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 249 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में विकलांग और अन्धे व्यक्तियों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है ; और

(ख) यदि हां तो उन्हें रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) दिल्ली के विशेष रोजगार कार्यालयों में नियुक्ति सहायता के लिय नाम दर्ज कराने वाले विकलांगों अर्थात अंगों की विकृति से पीड़ित लोगों की संख्या सन 1963 के मुकाबिले में बढ़ी है। नियुक्ति सहायता चाहने वाले अंधे उम्मीदवारों की संख्या कुछ कम हुई है।

(ख) सरकारी और निजी क्षेत्र के नियोजकों से आग्रह किया जाता है कि वे ऐसे उम्मीदवारों को, अपने यहां रिक्त होने वाले स्थानों पर नियुक्त करें। सरकारी विभागों/दफ्तरों में ऐसे विकलांग उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिये भारत सरकार द्वारा अग्राधिकार तीसरा वर्ग (प्रायारिटी III) स्वीकृत है। इसके अलावा दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य परीक्षा के विशेष बोर्ड द्वारा उम्मीदवार को, टाइपिंग के लिये अयोग्य घोषित किए जाने पर लोअर डिवीजन क्लर्क नियुक्त करते समय टाइपिंग जानने की अनिवार्य शर्त में छट दी जाती है। ऐसे विकलांगों को, जिन्हें उक्त बोर्ड द्वारा नौकरी के लिय स्वस्थ मान लिया जाता है, सरकारी विभागों में नियुक्त होने पर सामान्य डाक्टरी जांच के लिये नहीं जाना पड़ता।

उत्तर प्रदेश में डाकघर

4437. श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1966–67 में कितने उप-डाकघरों को मुख्य डाकघर तथा शाखा डाकघर बनाये जाने की संभावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : उत्तर प्रदेश में 1966–67 के दौरान तीन उपडाकघरों का दर्जा बढ़ाकर प्रधान डाकघर बनाने तथा 130 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को विभागीय उपडाकघरों में परिवर्तित करने की संभावना है।

तार और टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि

4438. श्री यशपाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 को देश में जिलावार तार और टेलीफोन का कुल कितना बकाया राजस्व वसूल करना था ; और

(ख) इसके क्या कारण है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख) : एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जा रहा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6158/66।**]

दिल्ली में टेलिफोन के कनेक्शन काट देना

4439. श्री सुबोध हंसदा : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री बसुमतारी :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उन व्यक्तियों को, जिन्होंने टेलीफोन के बिलों का भुगतान नहीं किया है, उनके टेलीफोन कनेक्शन काट देने के नोटिस जारी किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) जून 1965 से अब तक 23,500 उपभोक्ताओं के नाम रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

तेल शोधन क्षमता का विस्तार

4440. श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तेल-शोधन क्षमता का विस्तार करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) इस विस्तार का कितना भाग (एक) नये सरकारी तथा गैर सरकारी तेल शोधक कारखाने खोल करके पूरा किया जायेगा और कितना (दो) वर्तमान सरकारी तथा गैर-सरकारी तेल शोधक कारखानों का विस्तार करके पूरा किया जायगा ; और

(ग) अगली पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक तैयार पैट्रोलियम उत्पादों का वार्षिक आयात बीजक क्या होगा?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) चौथी योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में लगाई जाने वाली प्रस्तावित नई शोधन शालाओं की क्षमता प्रतिवर्ष 7.5 मिलियन मीटरी टन होगी।

चौथी योजना के आरम्भ में सरकारी क्षेत्र की वर्तमान शोधन शालाओं के विस्तार से 2 से लेकर 2.5 मिलीयन तक मीटरी टन की शोधन क्षमता पैदा की जायेगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी भी शोधनशाला के विस्तार के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) चौथी योजना के अन्त तक तैयार पैट्रोलियम उत्पादों के वार्षिक आयात बीजक के लगभग 6 करोड़ रूपये तक होने की सम्भावना है।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के विरुद्ध मुकदमे

4441. श्री मधु लिमये : श्रम, रोजगार तथा **पुनर्वास** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियोजकों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में आरम्भ किये गये मुकदमों के बारे में, जिनमें बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के महत्वपूर्ण उपबन्धों को चुनौती दी गई है, नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने त्रिपक्षिय सम्मेलन अथवा किसी अन्य माध्यम के जरिये नियोजकों को न्यायालय में मुकदमे कर के औद्योगिक सम्बन्धों में कटुता पैदा करने से रोकने के बारे में प्रयास किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रयासों की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अनेक उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। जो मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास पड़े हैं उनकी सुनवाई हो रही है।

(ख) और (ग) : त्रिपक्षीय स्थायी श्रम समिति के पिछले अधिवेशन में भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों ने बोनस अधिनियम के बारे में मुकदमे और बोनस का भुगतान न होने के कारण मजदूरों में व्याप्त बैचेनी का जिक्र किया । कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर संबंधित पक्षों के जाने हुए रवये के कारण कोई विशिष्ट प्रस्ताव सामने नहीं आया।

स्वदेशी अशोधित तेल का उत्पादन

4442. **श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले पांच वर्षों में स्वदेशी अशोधित तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने कोई योजनाएं तैयार की है;

(ख) क्या इसके बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) अगली पंचवर्षीय योजना-अवधि के अन्त तक देश में अशोधित तेल का उत्पादन कितना हो जायेगा और अशोधित तेल का वार्षिक आयात बीजक अनुमानत: क्या होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) चौथी योजना के अन्त तक देशीय कच्चे तेल का उत्पादन 211.5 मिलियन मीटरी टन तक होने की सम्भावना है। उस समय आयात प्रति वर्ष 67.5 करोड़ रुपये का होगा।

विदेशों में भारत के विज्ञान-छात्र

4443. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकीय की शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या अनुमानत: कितनी है; और

(ख) कितने भारतीय वैज्ञानिक तथा इंजीनियर विदेशों में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) उपलब्ध आंकडों के अनुसार 1-1-1965 को विज्ञान और इंजीनियरी तथा टेक्नोलोजी में विदेश में शिक्षा और प्रशिक्षण पाने वाले भारतीय विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों की संख्या (लगभग) क्रमश: 1,675 और 4,084 थी

(ख) 1-4-1965 को लगभग 1,663 वैज्ञानिक और 2,930 इंजीनीयर (टक्नोलोजी-विज्ञ समेत) विदेश में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे ।

चमड़ा कर्मिकों की मजूरी

4444. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजूरी देश में सब से कम है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मजूरी बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर (क) में व्यक्त स्थिति पर ध्यान दिये बिना न्यूनतम मजूरी में संशोधन के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। चमड़ा और चमड़े के सामान के लिये भी हाल ही में एक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया गया है।

रेडियो सेट

4445. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मार्च, 1966 को भारत में कुल कितने रेडियो सेट प्रयोग में लाये जा रहे थे; और

(ख) उस तिथि तक कितने लाइसेंसों का नवीकरण किया गया ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 30 मार्च, 1966 को भारत वर्ष में प्रयोग में लाये जा रहे रेडियों सेटों की कुल संख्या 64,45,588 थी।

(ख) 31 मार्च, 1966 तक 44,73,882 लाइसेंसों का नवीयन कराया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में डाक और तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

4446. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 तक उत्तर प्रदेश में कितने डाक और तार कर्मचारियों के पास क्वार्टर थे; और

(ख) क्या 1966–67 में उत्तर प्रदेश में डाक और तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 2868।

(ख) जी हां। कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की 86 यूनिटों की मंजुरी दी गई थी जिनमें से 34 यूनिटों का निर्माण जारी है और शेष 52 यूनिटों का कार्य 1966–67 के दौरान हाथ में लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश परिमण्डल में विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों के लिये 104 क्वार्टरों के निर्माण की योजनाएं तथा मुरादाबाद और बरेली में डाक-तार कालोनियों की योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश में डाकघर

4447. श्री विश्वनाथ पाण्डय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1966 को उत्तर प्रदेश में कितने डाकघर किराये की इमारतों में काम कर रहे थे ;

(ख) 1964–65 और 1965–66 में अब तक सरकार ने कितना किराया दिया; और

(ग) वे डाकघर कब तक अपनी इमारतों में काम करना आरम्भ कर देंगे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1425।

(ख) 1964-65 के दौरान 5,58,677 रुपये

1965-66 के दौरान 5,75,899 रुपये 20 पैसे

(ग) मौजूदा व भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भूमि अधिग्रहण की दिशा में सरकार कदम उठा रही है। जहां कहीं भी भूमि उपलब्ध होती है, वहां जल्दी ही इमारतें बनाने की कार्रवाई की जाती है।

समुद्र तलवर्ती समाक्ष-तार (सबमेरीन कोक्सियल केबल)

4448. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री बागड़ी :

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसार के अन्य देशों के साथ 'समुद्रतलवर्ती समाक्ष-तार' के द्वारा भारत का सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या हैं और कब तक इसके पूरा होने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां। इस प्रश्न पर मार्च 1966 में लंदन में हुए राष्ट्रमंडलीय दूरसंचार सम्मेलन में विचार हुआ था। क्योंकि कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया इस कारण लगभग 2 महीनों में इस प्रश्न पर आगे विचार होने की संभावना है।

(ख) प्रस्ताव यह है कि राष्ट्रमंडलीय समुद्री सहधरीय तार (कामनवेल्थ सबमेरीन कोक्सियल केबल) को पैनांग से मद्रास तक और मद्रास से आगे कोलम्बो तक बढ़ा दिया जाय। समुद्री तार डालने का पक्का निश्चय होने के पश्चात् $2\frac{1}{2}$ या 3 साल के अन्दर यह लाइन व्यवसायिक कार्य के लिये उपलब्ध हो जायेगी।

कोरवा उर्वरक

4449. **श्री कोला वैंकैया :**

श्री लक्ष्मी दास :

श्री म० ना० स्वामी :

श्री दशरथ देव :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के कोरवा डिवीजन के कर्मचारियों ने निगम के चैयरमैन तथा प्रबन्ध-निदेशक को अपनी छंटनी के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन में निम्नलिखित मुख्य बातें थीं :—

(i) प्रबन्धकों द्वारा कुछ कर्मचारियों की छंटनी के फैसले की न्यास संगति ;

(ii) निगम के अन्य यूनिटों एवं प्रभागों तथा सरकारी क्षेत्र की दूसरे उपक्रमों में स्टाफ के इस्तेमाल करने की सम्भाव्यता की खोज के लिये प्रार्थना; और

(iii) सरकारी क्षेत्र के दूसरे उपक्रमों या किसी स्वायत्त (autonomous) सरकारी निकाय में फालतू कर्मचारियों को लगाने के लिये रोजगार एवं प्रशिक्षण के प्रधान निदेशक की सहायता प्राप्त करना।

(ग) इस बारे में प्रबन्धकों द्वारा निम्न कार्यवाही की गई है :—

(i) छंटनी की आवश्यकता का पूरे तौर पर अध्ययन किया गया और यह मालम हुआ कि इस बारे में की गई कार्यवाही पूर्णतया न्याय संगत थी और कानून के अनुसार थी।

(ii) छंटनी की कार्यवाही करने से पहले कोरवा के फालतू स्टाफ को निगम के अन्य यूनिटों/प्रभागों तथा भारत सरकार के कई दूसरे उपक्रमों में लगाने के लिये यत्न किये गये। उनको दूसरे सरकारी उपक्रमों में लगाने की सम्भावयताओं की खोज के लिय रोजगार एवं प्रशिक्षण के महानिदेशक को भी फालतू स्टाफ के दौरे भेजे गये।

(iii) उपर्युक्त (ii) में बताये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कारवा प्रभाग के उपलब्ध कुल 226 काम कर रहे कर्मचारियों में से केवल 24 कर्मचारियों के लिये ही अन्तिम छंटनी कार्य आवश्यक हुआ और शेष को निगम के अन्य यूनिटों/प्रभागों में स्थानान्तरित किया/लगाया गया है या भारत सरकार के अन्य उपक्रमों में लगाया गया।

(iv) जिन कर्मचारियों की छंटनी की गई है उन्हें इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट (Industrial Dispute) एक्ट के अन्तर्गत केवल उनके सारे देय (dues) ही नहीं बल्कि कुछ अनुग्रहपूर्वक (ex-gratia) अदायगी भी की गई।

खानों में दुर्घटनाएं

4450. श्री कोल्ला वैंकैया :

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में छोटी खानों तथा बड़ी खानों में हुई विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) छोटी खानों तथा बड़ी खानों में दुर्घटनाओं की संख्या में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6159/66।]**

(ख) जैसा कि उक्त विवरण से स्पष्ट है, यह आवश्यक है कि कोयला खानों और गैर-कोयला खानों को अलग अलग लिया जाए। कोयला खानें सदृश्य ग्रुप की खाते हैं। यद्यपि खुले मुंह की बड़ी बड़ी कोयला खानें हैं, परन्त अधिकांश बड़ी कोयला खानों में भूमि के नीचे काम होता है और वहां काम की स्थिति अधिक कठिन है। खानों की गहराई, गैसयुक्त सीमें, तह

नियंत्रण की समस्याएं, विस्फोटकों का अधिक प्रयोग और यंत्रीकरण की अधिक मात्रा आदि ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण इस प्रकार की खानों में काम करना अधिक खतरनाक बन जाता है। छोटी कोयला खानों में काम की अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षात्मक स्थिति है।

जहां तक गैर-कोयला खानों का सम्बन्ध है, वे तदृश रूप में नहीं आतीं। जबकि सोना भूमि के नीचे बहुत ज्यादा गहराई में निकाला जाता है। बहुत से अन्य खनिज पदार्थ खुले मुंह की खुदाई से निकाले जाते हैं। गैर-कोयला खानों के बारे में कोई सामान्यीकरण कुछ अवास्तविक होगा, क्योंकि प्रत्येक किस्म की खान में काम की स्थिति सामान्यतः भिन्न भिन्न है।

दंडकारण्य में देवदहारा नदी पर परियोजनाएं

4451. **श्री कोल्ला वैंकैया :**

श्री म० ना० स्वामी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंडकारण्य विकास प्राधिकार ने देवहारा नदी पर कुछ परियोजनाओं के लिये कोई योजनाएं बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) । दण्डकारण्य के परालकोट खण्ड में दियोरानाला पर 168 लाख रुपये की लागत से एक सिंचाई बांध बनाने की मंजूरी हाल ही में दे दी गई है । इस बांध द्वारा लगभग 25,000 एकड़ कृष्य क्षेत्र की सिंचाई प्रस्तावित की गई है। इसमें लगभग 17,000 एकड़ भूमि पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति जो इस खण्ड में बसाये गये हैं उनके हित के लिये तथा शेष भूमि स्थानीय आदिवासियों के लाभ के लिये प्रयोग में लाई जायेगी।

Facilities for Teachers in U. P.

4452. **Shri Bhagwat Jha Azad :**

Shri S. C. Samanta :

Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the scheme of U. P. Government for providing facilities such as pension, provident fund, gratuity to two lakh and thirtyfive thousand teachers who are mostly primary school teachers is being adopted by other State Governments also; and

(b) whether the Central Government have given any suggestions to the State Governments in this regard?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. Many States have adopted the scheme of providing these facilities and others are taking it up as and when funds permit.

(b) The Central Government have been suggesting to all the State Governments that they should adopt the Triple Benefit Scheme for teachers in aided schools. Government school teachers have the usual benefits available in the Government employment.

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

4453. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई, उनके क्या कारण थे और उनके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; और

(ख) नवीनतम सुरक्षा सम्बन्धी उपायों की व्यवस्था किये जाने के बावजूद भी, बार-बार दुर्घटनाएं होने के प्रश्न पर विचार करने के लिये क्या सरकार ने कोई विशेष समिति बनाई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कोयला खानों में 1965 में हुई घातक दुर्घटनाओं के कारण-वार वर्गीकरण के संबंध में एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6160/66 ।]**

(ख) खानों में खतरा स्वाभाविक है—विशेषकर गहरी और यंत्रीकृत खानों में, जहां स्तर नियंत्रण, ऊंचे तापमान और आद्रता/ज्वलनशील गैस, धूलि आदि से उत्पन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खानों में सुरक्षा के प्रश्न के समस्त पहलुओं पर विचार करने और इस सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिय, 1958-59 में सरकार ने खान-सुरक्षा सम्बन्धी एक सम्मेलन बुलाया। जसा कि सम्मेलन द्वारा सिफारिश की गई, कुछ अधिक महवपूर्ण पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार करने के लिये निम्नलिखित समितियां बनाई गई :—

(1) खान-संचालन, प्रकाश और खानों के मान-चित्र आदि के स्टैंडर्ड सम्बन्धी तकनीकी समिति ।

(2) खानों में धूलि की समस्याओं सम्बन्धी तकनीकी समिति।

(3) खान-श्रमिकों में थकान सम्बन्धी समिति।

(4) सुरक्षा शिक्षा और प्रचार सम्बन्धी समिति।

(5) सुरक्षा उपकरण सम्बन्धी समिति ।

(6) स्थायी सुरक्षा सलाहकार समिति ।

पहले सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करने और सुरक्षा सम्बन्धी अन्य मामलों पर विचार करने के लिये खानों में सुरक्षा सम्बन्धी दूसरा सम्मेलन 17–18 मई, 1966 को कलकत्ता में बुलाया जा रहा है।

राज्य-भूमि सीमा अधिनियम

4454. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व शासकों की राज्य भूमि सीमा अधिनियम से छूट देने की मांग के बारे में उनके तथा राज्य सरकारों के बीच दीर्घकालिक विवाद की जांच की है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के 70 भूतपूर्व शासकों ने छूट देने पर जोर दिया है तथा केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) मध्य प्रदेश के कुछ शासकों ने मध्य प्रदेश सरकार से शासकों को मध्य प्रदेश कृषि भूमि पर सीमा अधिनियम की व्यवस्थाओं से छूट देने के लिये अनुरोध किया था। भारत सरकार से हस्तक्षेप के लिये अनुरोध नहीं किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्यापवर्जी (एक्स्लूसिव) स्कूल

4455. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पब्लिक स्कूल के कार्य संचालन तथा शिक्षा प्रणाली पर उनके प्रभाव का सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) इन स्कूलों से धनी और निर्धनों में कहां तक तीव्र विषमता पैदा होती है जिसके परिणामस्वरूप लोकतंत्रात्मक अवसर लाने के प्रयास निष्फल हो जाते हैं;

(ग) क्या कतई अपर्याप्त शिक्षा सुविधाओं के प्रयत्क्ष परिणामस्वरूप ही अधिकांश सहायता प्राप्त स्कूल अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि शिक्षा व्यवस्था ही बुद्धीजीवियों में अभिजांतत्र भावना पैदा करने के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी है; और

(ङ) यदि हां, तो लोकतंत्रात्मक अवसर सुनिश्चित करने के हेतु शिक्षा का पुनरनुस्थापन करने के लिये क्या योजना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) जहां तक सरकार को पता है पब्लिक स्कूलों में दाखिले के सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। इसके अतिरिक्त भारत सरकार और राज्य सरकारों की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे योग्य निर्धन बच्चों को पब्लिक स्कूलों और अन्य रिहायशी स्कूलों में शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

(ग) सभी सहायता-प्राप्त स्कूलों में विद्यार्थियों का कार्य असंतोषजनक नहीं है यद्यपि कुछ सहायता-प्राप्त और राज्य प्रशासित स्कूलों में शिक्षा सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है।

(घ) हम शिक्षा में स्तर ऊंचा उठाने और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ढूंढने और उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विकास करने का हर अवसर देने पर जोर देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

(ङ) इस बारे में हमारी राष्ट्रीय छात्रवृत्रियों से बडा लाभ हुआ है।

मध्य प्रदेश में पुरातत्वीय स्थल

4456. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय पुरातत्वीय सलाहकार बोर्ड ने भारतीय अध्ययन सम्बन्धी अमरीकी संस्था को मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर खुदाई करने की अनुमति नहीं दी है ;

(ख) क्या बोर्ड ने मैलबोर्न और सिडनी विश्वविद्यालयों के पुरातत्ववेत्ताओं के एक दल को भी पश्चिमी बंगाल में कुछ स्थानों पर खुदाई करने की अनुमति नहीं दी है ;

(ग) क्या बोर्ड का विचार अध्ययन कार्य के लिये बनाई गयी किसी एजन्सी के जरिये अनुसंधान कार्य आरंभ करने का है ; और

(घ) पुरातत्वीय खोज के लिये देश के भीतरी आदिम जातीय क्षेत्रों को दौरा करने के अमरीकी विशेषज्ञों के प्रयासों को कहां तक प्रोत्साहन दिया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) जहां तक उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कार्य का संबंध है, केन्द्रीय पुरातत्वी सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि इस कार्य को डा० एच० डी० संकालिया के पर्यवेक्षण में दक्कन कालेज, पूना, द्वारा किया जाना चाहिये। प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित कार्य के संबंध में सिडनी विश्वविद्यालय की श्रीमती जे० बर्मिंगहम को अजय घाटी तथा उसके इर्द-गिर्द, पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य सरकार के सहयोग से, सतह की खुदाई करने की अनुमति दी गई है।

(घ) ऐसा कोई मामला नहीं है जहां किसी जनजातीय क्षेत्र में कोई अमरीकी विशेषज्ञ किसी पुरातत्वीय खुदाई में कार्य कर रहा हो।

शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं का विस्तार

4457. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार को राज्य में शिक्षा योजनाओं के विस्तार के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में नियत की गई राशि में से अग्रिम भुगतान के तौर पर कुछ राशि दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : लड़कियों की शिक्षा और अध्यापक-प्रशिक्षण की योजनाओं पर अग्रिम कार्यवाही करने के लिये उड़ीसा को छः लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

उड़ीसा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

4458. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है; और

(ख) उड़ीसा के लिये उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या निर्धारित है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) चार।

(ख) पांच, किन्तु एक पद की पूर्ति नहीं की गई है।

नगरपालिका कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

4459. **श्री कोल्ला वैंकैया :**

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त किये गये मजूरी बोर्ड ने नगरपालिका कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कर्मचारी को कितनी अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश की गई है;

(ग) क्या कर्मचारियों ने अन्तरिम सहायता की धनराशि न दिये जाने के विरुद्ध हड़ताल का कोई नोटिस दिया है ;

(घ) कितने कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देनी पड़ेगी; और

(ङ) अन्तरिम सहायता देने तथा हड़ताल को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) केरल सरकार द्वारा नगरपालिका श्रमिकों के लिए एक मजूरी बोर्ड की स्थापना की गई थी। बोर्ड ने अंतरिम सहायता की, मजूरी के लिये सिफारिशें कीं और ये सिफारिशें केरल सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।

(ख) कालीकट नगरनिगम, नगरपालिकाओं (क्विलोन नगरपालिका को छोड़कर) और गुरुवायर टाऊनशिप के लिए 7.50 रु० प्रति मास तथा त्रिवेन्द्रम नगरनिगम और क्विलोन नगरपालिका के लिये 2.50 रु०।

(ग) अनेक मजदूर यूनियनों ने 19-2-1966 से हड़ताल करने का नोटिस दिया था।

(घ) लगभग 4330।

(ङ) सरकारी आदेश जिसमें बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार की गई हैं, 14-1-1966 को जारी किए गए। 19-2-1966 को कोई हड़ताल नहीं हुई।

पटेल भवन में हत्या

4460. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1966 में विठलभाई पटेल भवन, नई दिल्ली में की गई एक हत्या का पता लगा था ; और

(ख) यदि हां, तो हत्या किन परिस्थितियों में की गई थी तथा जांच का क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) मामले की अभी जांच हो रही है।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में परमाणु अनुसंधान केन्द्र

4461. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के रोचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान करने के लिये साइक्लोट्रोन दिये जाने के परिणामस्वरूप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने अपने भौतिकी विभाग में एक परमाणु अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहले से ही मन्द न्यूक्लीय ऊर्जा और उच्च न्यूक्लीय ऊर्जा भौतिकी से संबंधित समस्याओं पर अनुसंधान कर रहा है। अमरीका के रोचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा दानस्वरूप दिया गया साइक्लोट्रान जब प्राप्त हो जाएगा और चलाने के लिये स्थापित हो जाएगा तब वह महत्वपूर्ण अनुसंधान सुविधा प्रदान करेगा ।

(ख) सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहमत है, जिसने इस दान का स्वागत किया है।

Pay of Hindi Teachers in Aided Schools

4462. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hindi language teachers employed in aided Higher Secondary Schools and in Delhi Municipal Corporation Schools with F.A., Prabhakar and Sahitya Ratan qualifications have not been given the scale of pay starting with Rs. 160 after the scales were announced by the Second Pay Commission whereas the Hindi teachers employed prior to this date with same or even lesser qualifications are getting that scale; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

जेयपुर (उड़ीसा) में मुख्य डाकघर की इमारत

4463. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरापुट जिला (उड़ीसा) में जेयपुर में मुख्य डाकघर की इमारत बनाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इमारत पर कुल कितना खर्च होगा ; और

(ग) मुख्य डाकघर नई इमारत में कब से काम करना आरम्भ कर देगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) डाकघर की इमारत के निर्माण का काम कहले ही पूरा किया जा चुका है।

(ख) 1,28,700 रुपये ।

(ग) इस डाकघर ने 8 मार्च, 1966 से ही नई इमारत में काम करना आरम्भ कर दिया है ।

मुख्य डाकघर, कोरापुट जिला

4464. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में सामान्यतया एक मुख्य डाकघर होता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कोरापुट (उड़ीसा) के जिला मुख्यालय में मुख्य डाकघर नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो कोरापुट में मुख्य डाकघर की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं । विभाग के मौजूदा मानकों के अनुसार प्रत्येक जिले में (आवश्यक नहीं कि जिला मुख्यालय हो) एक प्रधान डाकघर होना चाहिये बशर्ते कि कम से कम 20 उप-डाकघर उसके साथ सम्बद्ध किये जा सकें ।

(ख) जी हां ।

(ग) कोरापुद में प्रधान डाकघर खोलने के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जबकि उसी जिले में स्थित जयपुर प्रधान डाकघर के साथ सम्बध्द उप-डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो जाए ।

पंजाब में टेलीफोन

4465. श्री दलजीत सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1966 को पंजाब के कितने पंचायत समिति कार्यालयों में टेलिफोन लगे हुए थे; और

(ख) 1966-67 में उस राज्य के कितने पंचायत समिति कार्यालयों में टेलिफोन लगाये जायेंगे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 31 जनवरी 1966 तक 174 स्थानों पर पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन सम्बन्धी सुविधाओं (सार्वजनिक टेलीफोन घर) की व्यवस्था की गई ।

(ख) 1966-67 के दौरान पंजाब में ऐसे दो स्थानों पर टेलीफोन सम्बन्धी सुविधाएं (सार्वजनिक टेलीफोन घर) दिये जाने की संभावना है बशर्ते कि सामान समय के भीतर उपलब्ध हो जाए ।

गोदावरी जिले में तेल

4466. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से एक दल ने आन्ध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के भीमवरम क्षेत्र में तेल के लिये कोई खोज की है ;

(ख) यदि हां, तो खोज-कार्य कब आरम्भ किया गया था;

(ग) प्रारम्भिक खोज में तेल मिलने के क्या संकेत मिले थे; और

(घ) प्रारम्भिक खोज कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर, 1965 के अन्त में एक भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। मार्च, 1962 में आकर्षण एवं चुम्बकीय सर्वेक्षण कार्य शुरू किये गये थे।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस के संग्रह के अनुकूल स्थानीय संरचनाओं की विद्यमानता के अब तक कोई चिन्ह प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) इस समय ये बताना कठिन है।

बर्मा से स्वदेश लौट आने वाले लोगों को दुकानों का दिया जाना

4467. **श्री रा० बरुआ :**

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री लीलाधर कटकी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य/दिल्ली प्रशासन ने भी बर्मा से लौटने वाले लोगों को दुकानें नियत करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली प्रशासन को बर्मा से लौटे लोगों को दुकाने देने के बारे में दूरस्थ औद्योगिक क्षेत्रों में दुकानें/स्टाल (खोके) बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने के लिये कहा गया है। उनके प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

रिहायशी विश्वविद्यालय

4468. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने रिहायशी विश्वविद्यालय हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि विद्यार्थियों में अनुशासन बढाने तथा उनका चरित्र निर्माण करने के लिये रिहायशी विश्वविद्यालय अधिक सहायक होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में रिहायशी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अपने अधिनियमों के अनुसार 21 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनका स्वरूप रिहायशी और शिक्षण है। तथापि, 1964–65 के दौरान छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता को देखते हुए केवल तीन विश्वविद्यालयों में सभी विद्यार्थी छात्रावास में रह रहे थे।

(ख) यद्यपि उसी प्रांगण में एक साथ रहना, विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में अधिक प्रेरक है, किन्तु विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता की समस्या गैर-रिहायशी विश्वविद्यालयों तक ही सिमित नहीं है।

(ग) पूर्णतया रिहायशी विश्वविद्यालयों की स्थापना में अधिक लागत आती है और इसीलिये ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करने में कठिनाई होती है। फिर भी, विश्वविद्यालय और कालेजों में विद्यार्थियों के लिये छात्रवास की अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च प्राथमिकता देता है और विद्यार्थियों के लिये छात्रवासों के निर्माण के लिये उनके लिए नियत स्रोतों की सीमा के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों और कालेजों की यथासंभव सहायता कर रहा है।

पश्चिम बंगाल विधान सभा से विधान सभा के सदस्यों का निलम्बन

4469. डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल की सरकार से पश्चिम बंगाल की विधान सभा में हुई घटनाओं के बारे में, जिनके परिणामस्वरूप बहुत से विरोधी दलों के सदस्यों को निलम्बित किया गया था, कोई समाचार प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बर्मा से स्वदेश लौट आने वाले लोगों को ऋण

4470. श्री रा० बरुआ :

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री लीलाधर कटकी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन बर्मा से स्वदेश लौट आने वाले लोगों को पुनर्वास ऋण के रूप में 2000 रुपये दे रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन की यह शर्त है कि ऋण उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जिनके पास दुकानें हैं; और

(ग) यदि हां, तो बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को दुकानें देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां, किन्तु 1,000 रुपये या उससे अधिक तक ऋण दो किश्तों में दिया जाता है और प्रत्येक किश्त 1,000 रुपये से अधिक नहीं होती।

(ख) जी, नहीं। तथापि दूसरी किश्त देने से पूर्व जहां आवश्यक हो यह निश्चित कर लिया जाता है कि ऋणी ने अपना छोटा-मोटा कार्य या व्यापार चलाने के लिये लाइसेंस प्राप्त कर लिया है।

(ग) सब को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि लाइसेंस/पर्मिट जारी करने के लिये बर्मा से लौट लोगों को प्राथमिकता दी जाये।

मिजो पहाड़ियां

4471. श्री हेम बरुआ :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के मिजो पहाड़ी जिले में हुए उपद्रव के कारण छिन्न-भिन्न हुए नागरिक प्रशासन को फिर से पूर्ववत करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) मिजो नेशनल फ्रंट के नेताओं और सदस्यों के विरुद्ध जिन्होंने इस सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) मिजो जिले में विद्रोहियों द्वारा छिन्न-भिन्न नागरिक प्रशासन को लीरानोट, कोलोसिब, ऐजल, लुंगलेइ, चम्फे तथा अन्य सभी स्थानों पर पुनर्स्थापित कर लिया गया है।

(ख) मिजो नेशनल फ्रंट के सदस्यों के खिलाफ खास तौर पर मामले दर्ज किये गये हैं और बहुतों को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अंतर्गत पकड़ा गया है।

कोचीन निगम की स्थापना

4472. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 25 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 602 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कोचीन निगम स्थापित करने के प्रश्न पर कोई अन्तिम निर्णय किय गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय करने में क्या बाधायें हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जी नहीं। प्रस्तावित निगम की सीमाओं के बारे में कुछ आपत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

Offices under Delhi Administration

4473. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of new offices set up during the last one year under the Delhi Administration and the number of new offices or organisations which are proposed to be set up;

(b) the number of those among them which have been named or are proposed to be named in the Indian languages; and

(c) the reasons for not giving names in Indian languages to those new offices or organisations which have been given English names?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). During the last year the Delhi Administration has set up two new offices. These have been given names both in Hindi and the English languages. The Administration proposes to set up another new office and this office will also be given names both in Hindi and the English language.

(c) Does not arise.

उर्वरकों का दाम तथा बिक्री

4474. श्री लिंग रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक अनाज उपजाने में सहायता देने के लिये उर्वरकों का उत्पादन करने के लाइसेंस देने के लिये किन किन विदेशी फर्मों को चुना गया है ;

(ख) उन्हें किन शर्तों पर लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) क्या लाइसेंस प्राप्त फर्मों को उर्वरकों का विक्रय मूल्य स्वयं निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा के नजरबन्द लोग

4475. श्री दशरथ देब : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 23 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 781 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा के नजरबन्द व्यक्तियों को कम से कम तीन महीनों में एक बार उनके अपने अपने जिलों में ले जाने का है, ताकि वे अपने परिवारों के लोगों से मुलाकात कर सकें, क्योंकि उन्हें अपने राज्य से बाहर रखे जाने के कारण अपने परिवारों के लोगों से मुलाकात करने से वंचित रखा गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार नजरबन्द व्यक्तियों के सम्बन्धियों को यात्रा भत्ता देने का विचार कर रही है ताकि जहां पर नजरबन्द व्यक्ति रखे गये हैं वहां आकर वह उनसे मुलाकात कर सकें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। उन्हें त्रिपुरा की किसी जेल में रखने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) नजरबन्दी की शर्तों का नियमन करने वाले नियमों में इस उद्देश्य के लिये यात्रा भत्ता देने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

केरल में गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतनक्रम

4476. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय ने यह सिफारिश की है कि केरल राज्य में गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के नये वेतनक्रम भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात् 1 अक्टूबर, 1964 से लागू होने चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) केरल के प्राइवेट कालेजों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूसरी पंचवर्षीय आयोजना अवधि के दौरान की गई जांच तथा उस संबंध में की गई सिफारिशों से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए केरल विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि प्राइवेट कालेजों के अध्यापकों के नए वेतनमान पिछली तारीख अर्थात् 1-10-1964 से लागू कर दिए जाएं।

(ख) विश्वविद्यालय की सिफारिश की राज्य सरकार द्वारा जांच की गई, जिसने विश्वविद्यालय को सूचित किया कि राज्य सरकार, प्राइवेट कला, विज्ञान और प्रशिक्षण कालेजों को केवल 1-10-1965 से संशोधित वेतनमानों के अनुसार सहायक अनुदान नियमित करने के लिये तयार है। विश्वविद्यालय ने सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने लिये कहा है ताकि प्राइवेट कालेजों के अध्यापकों के संशोधित वेतनमान पिछली तारीख अर्थात् 1-10-1964 से लागू किए जा सकें। विश्वविद्यालय की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

केरल की समस्याएं

4477. श्री वासुदेवन नायर :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सार्वजनिक प्रशासन पत्रिका 'इंडियन जरनल आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन' के नवीनतम अंक में केरल राज्य के मुख्य सचिव ने केरल राज्य की कुछ समस्याओं के बारें में एक लेख लिखा है ;

(ख) क्या मुख्य सचिव ने कुछ ऐसी राय व्यक्त की हैं जिनका स्वरुप राजनीतिक हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस बात को ठीक समझती है कि मुख्य सचिव ऐसा लेख लिखे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) केरल के मुख्य सचिव श्री एन० एम० पटनायक ने 'इंडियन जरनल आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन' के जुलाई-सितम्बर के अंक में कलेक्टर के योगदान पर एक लेख दिया था ।

(ख) इस लेख में राज्य में कलेक्टर के सामने आने वाली प्रशासकीय समस्याओं को छुआ गया है न कि किसी राजनीतिक विषय को ।

(ग) सरकार को इस लेख में कोई ऐसी सामग्री नहीं मिली जिसे आपत्तिजनक समझा जा सके ।

आसाम में तेल शोधक कारखाना

4478. श्री रा० बरुआ :

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री लीलाधर कटकी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम की बजाय किसी अन्य स्थान पर दूसरा तेलशोधक कारखाना स्थापित किया जायेगा, जो आसाम से अशोधित तेल लेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस तेल शोधक कारखाने को आसाम में न लगाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) कोई भी विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निरक्षरता को दूर करना तथा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना

4479. डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री मधु लिमये :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान निरक्षरता को दूर करने तथा प्राथमिक स्कल शिक्षा को सर्वत्र और अनिवार्य बनाने के मामले में तीसरी योजना की अवधि में कुछ राज्यों द्वारा धीमी प्रगति करने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों को अन्य राज्यों के समान प्रगति करने योग्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि निरक्षरता को दूर करने तथा प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के मामले में विभिन्न राज्यों द्वारा की गई प्रगति में समानता नहीं है।

(ख) चौथी आयोजना में अधिक राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ताकि असमानता दूर हो सके। इन क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं भी बढ़ा दी गयी है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत प्रकाशित पत्रिकायें

4480. श्री सुबोध हंसदा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं द्वारा कितनी पत्रिकायें प्रकाशित की जाती हैं ;

(ख) इन परिकाओं पर प्रतिवर्ष कुल कितना खर्च होता है ; और

(ग) क्या विभिन्न प्रयोगशालाओं में सफलतापूर्वक टैस्ट की गई उनकी नई प्रक्रियायें (प्रोसेस) इन पत्रिकाओं में प्रकाशित की जाती हैं ; और यदि हां, तो क्या उनकी नई प्रक्रियाओं के लिये लाइसेंस लेने के हेतु लोग आवेदन-पत्र देते हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा उसके अंतर्गत आने वाली संस्थाओं द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशनों से संबंधित विवरण, 1965–66 के खच सहित सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6161/66 ।]**

(ग) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं द्वारा विकसित प्रक्रियाओं की सूचना इन प्रकाशनों में प्रकाशित की जाती है । इन प्रक्रियाओं से लाभ उठाने के लिये लोग आवेदन पत्र देते हैं ।

पंजाब के स्कूलों और कालेजों के लिये सभा-भवन (ऑडिटोरियम)

4481. श्री दलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1965–66 और 1966–67 में अब तक पंजाब में विभिन्न स्कूलों और कालजों में सभा-भवन (ऑडिटोरियम) बनाने के लिये कितनी राशि दी है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) 1965–66 . . . . 20,105 रुपये ।
1966–67 . . . . अब तक कुछ नहीं ।

(ख)

संस्थाका नाम	योजना स्वीकृति का वर्ष	कुल स्वीकृत अनुदान	1965–66 में मंजूर शुदा रकम
		रुपये	
हिन्दू कालेज, सोनीपत	1957–58	35,000	4,000 रुपये चौथी व अन्तिम किश्त
एस० डी० कुमार सभा गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल, पटियाला	1960–61	35,000	11,000 रुपये तीसरी किश्त
एस० डी० कालेज, बरनाला	1960–61	35,000	5,105 पये चौथी व अन्तिम किश्त ।

Ganesh Shankar Vidyarthi Patrakarita Vidyapeeth

4482. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recognition has not been accorded so far to Ganesh Shankar Vidyarthi Patrakarita Vidyapeeth;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government for the development of the said Vidyapeeth?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government only grants recognition to degrees/diplomas for purposes of employment under the Central Government. Since under the Central Information Service Rules, 1959, it is not obligatory for any candidate to possess either a degree or a diploma in Journalism for appointment to any grade of the Central Information Service, it has not been considered necessary to grant recognition to the diplomas awarded by this Institute.

(c) Government has not taken any steps in this connection.

भूतपूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर० एल० सी० सिक्का

4483. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 29 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1444 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर० एल० सी० सिक्का इस समय भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द है; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों के आधार पर?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) श्री आर० एल० सी० सिक्का को भारत की प्रतिरक्षा लोक सुरक्षा तथा विदेशी सत्ताओं के साथ भारत के सम्बन्धों के विषय में अवांछित कार्यवाही करने से रोकने के उद्देश्य से नजरबन्द किया गया है।

राज्यों में हिन्दी माध्यम वाले कालेज

4484. श्री जेना :

श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा आयोग ने राज्यों में हिन्दी माध्यम वाले कालेज खोलने का समर्थन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : राजभाषा आयोग ने राज्यों में हिन्दी माध्यम वाले कालेज स्थापित करने के बारे में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। तथापि उनका यह मत था कि जहां कहीं हिन्दी माध्यम से शिक्षा की मांग हो, वहां विश्वविद्यालय और शिक्षा अधिकार उस प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में इस मांग को पूरा करने का भरसक यत्न कर। तथापि, उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम का प्रश्न मुख्यत: विश्वविद्यालय प्राधिकारियों पर छोड़ दिया है।

तथापि, अहिन्दी भाषी राज्य में हिन्दी के प्रचार के लिये मंत्रालय के कार्यक्र के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी क्षत्र में हिन्दी माध्यम वाले स्कूल और कालज स्थापित करने की एक योजना बनाई गई है और इसको राज्य क्षेत्र के अन्तगत चतुथ पंचवर्षीय ोजना शामिल कर लिया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों और मिट्टी के तेल की खपत का विनियमन

4485. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री बसुमतारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बड़े :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिट्टी के तेल समेत पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को विनियमन करने और इनके दुरूपयोग को रोकने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) हाल ही में राज्य सरकारों के संभरण मंत्रियों के दिल्ली में हुए सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार किया गया; और

(ग) सम्मेलन के बाद क्या निष्कर्ष निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने मिट्टी का तेल (प्रयोग पर प्रतिबन्ध) आदेश 1966 जारी किया है; जिसमें राज्य सरकार के विशेष आदेशों को छोड़कर रोशनी एवं पकाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिय मिट्टी के तेल की खपत पर रोक लगाई गई है। ऐस्सैन्शल कामोडीटिज एक्ट (Essential Commodities Act) के अन्तर्गत कई राज्य सरकारें मिट्टी के तेल के वितरण एवं विक्रय पर नियंत्रण कर रही है।

(ख) और (ग) : राज्य सरकारों के सिविल सप्लाईज मंत्रियों के दिल्ली में हुए सम्मेलन में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान म तल उत्पादों के सुप्लाईऔर मांग के सामान्य विषय पर विशेषकर मिट्टी के तेल, लाइट डोजल आयल, हाई स्पीड डीजल आयल एवं फार्नेस आयल की तथा राज्य सरकारों एवं तेल कम्पनियों के बीच और राज्य सरकारों एवं पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के बीच सम्पर्क व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श किया गया। बात चीत सामान्य थी ; जिसका उद्देश्य विचारों का विनियम और एक-दूसरे की समस्याओं को अच्छे ढंग से समझना तथा उन को सुलझाने के सर्वोत्तम तरीकों के लिये था।

सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिये पेंशन

4486. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मालाबार तथा कासरगाड के सहायत प्राप्त स्कल के अध्यापकों को मिल सकने वाली न्यूनतम पेंशन के संबंध में शर्तें लागू करने के आदेश जारी किये हैं ; और

(ख) क्या सरकार का इरादा केवल उन अध्यापकों को ही पेंशन देने का है जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक है और जो अपनी भविष्य निधी के खाते में सरकारी अंशदान को छोड़ने के इच्छुक हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

सैनिक कर्मचारियों की सम्पत्ति का विवरण

4487. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 141 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने इस समय सेना में कार्य कर रहे भूस्वामी सैनिक कर्मचारियों द्वारा अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देने की अवधि बढ़ाई जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार के सुझाव पर अब विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरणमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम के उन उपबन्धों को अभी तक लागू नहीं किया है, जिनके अधीन सम्पत्ति के ब्यौरे देने होते हैं। अत: अभी सेना में कार्य कर रहे भूस्वामी सैनिक कर्मचारियों द्वारा अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देने की अवधि बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राज्य विवाद

4488. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 170 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के आपसी विवादों को निपटाने के लिये कोई सरकारी व्यवस्था कायम करने के बारे में कोई निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जी नहीं। मामला अभी तक विचाराधीन है।

पट्रो-रसायन निगम

4489. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 16 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 213 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एक पट्रो-रसायन निगम स्थापित करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

Rehabilitation in Chhamb Jaurian Area (J. & K.)

4490. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Rameshwaranand :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Brij Raj Singh :**

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up a comprehensive programme for rehabilitation in Chhamb Jaurian area; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). Yes, Sir. The Government of Jammu and Kashmir have drawn up a programme of rehabilitation of the presons uprooted from the Chhamb Jaurian area during the Indo-Pakistan conflict.

The displaced persons are provided with free transport upto a suitable point near their villages and immediate relief in the form of tented accommodation, maintenance assistance and supply of foodgrains at subsidised rates have been made.

Liberal assistance for the reconstruction of the houses both in rural and urban areas, for the re-construction of shops and for various aids to the agriculturists and non-agriculturists are being provided. A statement showing the details of the rehabilitation assistance sanctioned for the displaced persons of this area is attached. **[Placed in Library. See. No. Lt 6162/66.]**

This State Government are also taking action to restore medical, educational, water supply, public health and other common facilities in this area. Town planning is also being arranged under expert supervision. Arrangements have been made to assist the agriculturists by tractorising their land at subsidized cost to enable the sowing of Kharif crop in India.

वाल्काट

4491. **श्री गुलशन :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाल्काट भारत में कब से तस्कर व्यापार कर रहा था;

(ख) सरकार को उसकी तस्कर व्यापार सम्बन्धी गतिविधियों का कैसे पता चला ;

(ग) कितनी विदेशी सरकारों ने अपने अपने अभियोगों में उसकी मांग की है ; और

(घ) कुछ समय पूर्व बम्बई में उसे गिरफ्तार करने के समय तक सरकार ने कुल कितना खर्च किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) वाल्काट की तस्कर व्यापार सम्बन्धी गतिविधियां उसके 8-6-1964 को एक वायुयान द्वारा मुरुद में उतरने के बाद ध्यान में आई।

(ख) मुरुद में वायुयान के उतरने की जांच के परिणामस्वरूप।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उपलब्ध सूचना के अनुसार, वाल्काट की संयुक्तांगल राज्य में स्काटलण्ड यार्ड की तलाश है किन्तु इस बारे में उनके द्वारा अभी तक कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(घ) इस राशि का अंशतः सही सही अनुमान लगाना भी कठिन है क्योंकि जांच समय-समय पर भारत तथा विदेशों में भी ऐसे अनेक अधिकारियों द्वारा की गई है जो साथ ही साथ अंशकालिक रूप से अन्य काम भी कर रहे थे।

कोचीन तेल शोधक कारखाना

4492. श्री वासुदेवन नायर : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाना केवल 30 मेगावाट तापीय संयंत्र के निर्माण के लिये भट्टी का तेल दे सकता है अथवा क्या भट्टी का अधिक तेल देना संभव है ; और

(ख) इस तेल शोधक कारखाने की बिजली की अनुमानित खपत कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) यह परीक्षाधीन है।

(ख) 8,000 किलो वाट।

मिरी आदिवासियों और नेपालियों के बीच झगड़ा

4493. डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री मधु लिमये :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के लखीमपुर सब-डिवीजन में मिरी आदिवासियों ने हाल में कुछ नेपालियों को मार दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन दो दलों के बीच झगड़ा होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) झगड़ा मिरियों, नेपालियों तथा अन्य लोगों द्वारा नार्थ लखीमपुर सब-डिवीजन के आरक्षित बनों की भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कब्जा करने के कारण शुरू हुआ। मिरी उस क्षेत्र का केवल अपने लिये आरक्षण चाहते थे और उन्होंने अन्य लोगों को निकालने के लिये कानून को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने एक नेपाली को मार दिया और एक अन्य के घ को आग लगा दी। एक मामला दर्ज कर लिया गया है।

Retrenchment of workers in Caltex

4494. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 50 per cent of the employees in Caltex working at various district headquarters have been retrenched;

(b) whether it is also a fact that on the 14th March, 1966 the management forcibly snatched away stationery including pens and papers from the employees and did not allow them to work;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the action taken by Government in regard thereto?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) No such report has been received.

(b) and (c). At Delhi District Headquarters, about 40 employees, described as surplus, were made to sit in a separate room.

(d) Discussions were held with the management, and they were requested to give full justification for declaring these employees as surplus. The management's reply is still awaited.

इम्फाल के साथ दूर संचार तथा बेतार सम्बन्ध

4495. श्री रिशांग किशिंग : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 मार्च को इम्फाल और देश के शेष भाग के बीच दूर-संचार तथा तार बेतार सम्बन्ध समाप्त हो गया था और 27 मार्च, 1966 तक पुनः स्थापित नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) कितने तार डाक द्वारा भेजे गये ; और

(घ) तारबेतार तथा दूर संचार लाइनों को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं। 34 से 27 मार्च की अवधि के दौरान केवल भूसंचार लाइनों में गड़बड़ी हुई थी। बेतार टेलीग्राफ सेवा, कार्यक्रम के अनुसार, सामान्य रूप से कार्य करती रही।

(ख) उस अवधि के दौरान अत्यन्त खराब मौसम होने के कारण भूगर्भ संचार लाइनों में गड़बड़ी हुई। संचार सेवा का पुनः चालू होना इसलिये अवरुद्ध रहा क्योंकि ये लाइनें अत्यन्त कठिन भूप्रदेश से होकर गुजरती है।

(ग) डाक द्वारा इम्फाल से भेजे गए तथा वहां से प्राप्त हुए तार संदेशों की संख्या इस प्रकार है:—

	24 तारीख	25 तारीख	26 तारीख	27 तारीख
इम्फाल को भेजे गए	90	85	26	47
इम्फाल से प्राप्त	26	40	40	39

(घ) बेतार टेलीग्राफ संयोजन तो अब भी 400 वाट के एक ट्रांसमीटर द्वारा कार्य कर रहा है और बिल्कुल पक्का है। जब भू-संचार लाइनों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है तो बेतार टेलीग्राफ संयोजन का कार्य-समय बढ़ा दिया जाता है। एक किलोवाट का सिंगल साइड-बैण्ड रेडियो टेलिफोन ट्रांसमीटर तथा सम्बद्ध रिसीवरों और टेलीफोन टर्मिनल यूनिटों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

Labour Unions in Oil India Refineries

4496. Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Shri Sarjoo Pandey :
Shri S. M. Banerjee :
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether an enquiry was conducted into the question of granting recognition to the labour unions in the Oil India Refineries;

(b) if so, whether the report of that inquiry has since been received;

(c) the action taken on the report of the inquiry and

(d) whether it is a fact that before the report of Inquiry was received, a telegram was sent by the Ministry to suspend the inquiry due to Emergency?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjiwan Ram) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) It was noticed that spot verification had not been conducted in accordance with the prescribed procedure. It was, therefore, decided to have a fresh verification.

(d) Fresh verification was suspended for security reasons.

तम्बुओं में चलने वाले स्कूल

4497. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अधीन कितने स्कूल इस समय तम्बुओं में काम कर रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक स्कूल के तम्बुओं पर औसतन कितना खर्च करना पड़ता है तथा इन तम्बुओं पर सरकार प्रति वर्ष कुल कितना खर्च कर रही है ; और

(ग) तम्बुओं वाले इन स्कूलों को पक्की इमारतों में ले जाने के सम्बन्ध में यदि सरकार की कोई योजना है, तो क्या है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली में स्कूलों की इमारतें

4498. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में बहुत से उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की इमारतों के निर्माण के लिये दिये गये अनुदान की राशि व्यपगत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने स्कूलों की और वर्षवार कितनी राशि व्यपगत हुई है ;

(ग) क्या कारण थे कि सरकार स्कूलों की इमारतों के निर्माण के लिये अनुदान की राशि का उपयोग नहीं कर सकी ; जिसके लिये दिल्ली प्रशासन के आयव्ययक में व्यवस्था की गई थी ; और

(घ) अनुदान की राशि व्यपगत होने देने के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागैला): (क) से (घ) : दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में टेलीफोन का काटा जाना

4499. श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती अकम्मा देवी :
श्री हुकम चन्द कच्छवाय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दाजी :
श्री बसुमतारी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के टेलीफोन विभाग ने हाल में दिल्ली में लगभग 1200 टेलीफोन काट दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बीच कितने टेलीफोन फिर से चालू कर दिये गये हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां। फरवरी तथा मार्च, 1966 के दौरान लगभग 2300 टेलीफोन काट दिये गए थे।

(ख) शुल्क की अदायगी न करने के कारण।

(ग) लगभग 1900।

कानपुर में उर्वरक कारखाना

4500. श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज को कानपुर में एक उर्वरक उद्योग-समूह स्थापित करने के लिये एक लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षमता अधिष्ठापित की जायेगी ; और

(ग) प्रस्तावित उद्योग-समूह की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) 28 मार्च, 1966 को मैसर्ज इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लि० को कानपुर में एक उर्वरक प्लांट लगाने के लिए एक औद्योगिक लाइसेन्स मंजूर किया गया है।

(ख) प्लांट की स्थापित क्षमता निम्न प्रकार होगी :—

(i) अमोनिया	300,000	मी० टन प्रति वर्ष
(ii) यूरिया	45,000	वही
(iii) पोलोथीन बोरिया	2,500	वही

(ग) परियोजना पर लगभग 44.81 करोड़ रुपये (4.52 करोड़ रुपये की विनिर्माण पूंजी को शामिल करते हुए) की लागत पूंजी होने का अनुमान है ; जिसमें विदेशी मुद्रा 16.58 करोड़ रुपये होगी। विदेशी मुद्रा लागत निम्न प्रकार पूरी की जायेगी :—

(i) साम्य साझेदारी द्वारा

आई० सी० आई० . . .	5.29 करोड़ रुपये
आई० एफ० सी०	1.51 करोड़ रुपये

(ii) ऋण द्वारा

आई० एफ० सी०	4.98 करोड़ रुपये
जापान बैंक	4.80 करोड़ रूपये

1968-69 के अन्त तक इस परियोजना के पूरे होने की आशा है।

मिजो विद्रोहियों से भिडन्त

4501. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री राम हरख यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एजल-सैराग सड़क पर 30 मार्च, 1966 की रात को मिजो विद्रोहियों ने सुरक्षा सेनाओं पर हमला किया था;

(ख) यदि हां, तो इन धावों में दोनों ओर के कितने व्यक्ति हताहत हुए और यह घटना किन परिस्थितियों में हुई ;

(ग) मार्च, 1966 के चौथे सप्ताह में तथा उसके पश्चात् मिजो विद्रोहियों द्वारा लूट, आगजनी तथा धावे करने की अन्य घटनाओं का ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक ज्ञात नहीं।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है, तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(घ) विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही पहले से ही चालू है।

लानदांग के गांव पर आक्रमण

4502. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री धर्मलिंगम :
श्री बडे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दाजी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री फिरोदिया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र विद्रोही नागाओं के एक बड़े दल ने 31 मार्च, 1966 को अथवा उसके आसपास लानदांग के नागर गांव पर आक्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो जान व माल का कितना नुकसान हुआ ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) लानदांग ग्राम पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था। परन्तु 31 मार्च, 1966 को इस ग्राम के समीप तीन बार गोली चलाये जाने की आवाज़ सुनाई दी।

(ख) जान व माल की कोई हानि नहीं हुई।

(ग) मनीपुर राइफ़ल्स ने इस ग्राम की सुरक्षा के लिये कदम उठाये, तथा जनता में आत्म-विश्वास पुनः स्थापित किया।

Gobindpuri Colony, Delhi

4504. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to declare Gobindpuri Colony near Kalkaji, Delhi as an authorised colony;

(b) if so, when the declaration is likely to be made; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, the reasons therefor, in view of the fact that people have constructed nearly 18,000 houses there?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). As the Municipal Corporation of Delhi have already approved Govindpuri Colony as a regularised colony by a resolution of the Standing Committee of the Corporation dated the 3rd March, 1962, the question of declaring it as an authorised colony does not arise. There is, however, in the vicinity of this colony an unauthorised colony which has not been approved by the Delhi Municipal Corporation.

तिरुक्कडयूर में टेलीफोन एक्सचेंज

4505. **श्री धर्मलिंगम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुक्कडयूर, साउथ आर्काट जिला में टेलीफोन एक्सचेंज बोर्ड पूरी तरह से खराब हो गया है और बहुत समय से उचित ढंग से काम नहीं कर रहा है ;

(ख) क्या टेलीफोन प्रयोगकर्त्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं। यह टेलीफोन केन्द्र 1962 में स्थापित किया गया था और तभी से यह सन्तोषजनक ढंग से काम कर रहा है।

(ख) और (ग) : जब कभी उपभोक्ताओं से आम शिकायतें प्राप्त होती हैं उनके प्रति तत्काल ध्यान दिया जाता है।

केरल में नये स्कूल

4506. श्री वासुदेवन नायर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में 1966–67 में नये स्कूल खोलने के लिये कुल कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कितने नये स्कूल मंजूर किये गये हैं ; और

(ग) नये स्कूल किस आधार पर मंजूर किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही हैं और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में आत्महत्याओं की घटनायें

4507. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रा० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्रति वर्ष आत्महत्याओं की घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की संख्या को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

भूमि अर्जन सम्बन्धी मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

4508. श्री शिव चरण गुप्त : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत, इसमें बताये गये विभिन्न क्षेत्रों के बारे में धारा 4 के अधीन अधिसूचना के सम्बन्ध में दिये गये अनेक निर्णयों के औचित्य के विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार और अन्य व्यक्ति बनाम दुर्ग के विष्णु प्रशाद शर्मा और अन्य व्यक्तियों के मामले में 9 फरवरी, 1966 को निणय दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका दिल्ली प्रशासन और अन्य राज्यों द्वारा पिछले दो वर्षों में विभिन्न कार्यों के लिये अर्जित किये जाने के लिये अधिसूचित किये गये भूमि के बड़े क्षत्र के सम्बन्ध में की जा रही अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) उक्त निर्णय में बताई गयी कमियों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मध्य प्रदेश सरकार और अन्य व्यक्तियों बनाम दुर्ग के विष्णु प्रसाद शर्मा और अन्यों के मामले में 9 फरवरी 1966, को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इस फैसले का समर्थन किया कि भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 6 के अधीन भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4(i) के अधीन जारी एक अधिसूचना में उल्लिखित क्षेत्र की भूमि के बारे में एक के बाद दूसरी अधिसूचनाएं जारी नहीं की जा सकतीं।

(ख) और (ग) : दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिये बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। जहां तक इन अर्जन कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, पंजाब उच्च न्यायालय की डिवीज़न बैंच ने 8 मई, 1964 को निर्णय दिया है कि अपने तथ्यों के सम्बन्ध में, दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 6 के अधीन जारी की गई अधिसुचनाएं वैध थी। यह निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद किया गया था। पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक अपील भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय के लिये लम्बित है।

बिक्री कर की वसूली

4509. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1952–53 से 1965–66 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिल्ली में बिक्री कर की कितनी धनराशि वसूल की गई ;

(ख) उक्त अवधि में अलग-अलग वस्तुओं अथवा वस्तुओं के वर्गों से कितनी धनराशि वसूल की गई ; और

(ग) केन्द्रीय बिक्री-कर आरम्भ करने की तिथि से लेकर 1965–66 तक उक्त कर के रूप में प्रति वर्ष कितनी धनराशि वसूल की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना के तीन विवरण संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6163/66।]**

Prohibition

4510. **Shri D. S. Patil :** **Shri R. Barua :**
Shri D. J. Naik : **Shrimati Johraben Chavda :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the names of States in which total prohibition and of those in which partial prohibition is in force at present?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Total prohibition is in force in the States of Madras, Maharashtra and Gujarat. There is partial prohibition in Andhra Pradesh, Assam, Kerala, Madhya Pradesh, Mysore, Orissa and Punjab and in the Union Territory of Himachal Pradesh .

अन्दमान द्वीपसमूह का विकास

4511. **श्री राम हरख यादव** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीपसमूह के विकास में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या वहां विशेष रूप से भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा रबड़ के पेड़ उगाने के लिये कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस कार्यक्रम पर कुल कितना अनुमानित व्यय होगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) अन्दमान द्वीप-समूह की प्रगति के सम्बन्ध में एक विवरण लगा दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6164/66 ।]**

(ख) से (घ) : इन द्वीपसमूहों के समेकित साधन विकास कार्यक्रम के लिये एक अन्तर्विभागीय टीम स्थापित की गई थी। टीम की रिपोर्ट संसद की लाईब्रेरी में रख दी गई है। इस टीम ने भूमि सुधार, तथा उसे कृषि योग्य बनाना जिसमें प्लान्टेशन फसलें भी सम्मिलित हैं के बारे में विशेष कार्यक्रम की सिफारिश की है। आगामी 10 से 15 वर्षों के बीच लगभग 1,25,000 एकड़ भूमि का सुधार दृष्टि में रखा गया है। जलवायु और भूमि के लक्षण जो इन द्वीप समूहों में पाये जाते हैं, उनके अनुसार इस भूमि में अन्य खेतियों को बजाये रबड़ के पेड़ लगाना अधिक उपयुक्त है। 40 लाख रुपये की लागत से दक्षिणी अन्दमान में रबड़ अनुसन्धान तथा विकास स्टेशन, जिसके अन्तर्गत 500 एकड़ क्षेत्र भूमि होगी, स्थापित किया जा रहा है। वाणिज्य दृष्टि से बड़े पैमाने पर रबड़ प्लान्टेशन के विकास के सम्बन्ध में यह एक पूर्वगामी कदम है। प्रारंभिक परियोजना की एक रूपरेखा, जिसके अंतर्गत लगभग 30,000 एकड़ क्षेत्र पर रबड़ प्लान्टेशन का विकास किया जायेगा, तैयार कर ली गई है। आरंभ करने के लिये एक परियोजना कचाल (निकोबार द्वीप समूह) जिसके अंतर्गत 10,000 एकड़ क्षेत्र है उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र मंजूरी के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। इस पर लगभग 400 लाख रुपये व्यय होंगे।

भूमि सुधार के कार्यक्रम पर कुल खर्च का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है किन्तु अनुमान है कि इस पर लगभग 750 लाख रुपये खर्च होंगे।

चांदा जिले का विकास

4512. श्री फिरोदिया : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य के चांदा जिले के विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) वहां कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चांदा जिले के विकास के बारे में महाराष्ट्र राज्य के प्रतिनिधियों से बात-चीत हुई थी। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिये इस क्षेत्र को विशेष परियोजनाओं के कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा तैयार की जाये। यह अब प्राप्त हो चुकी है और सम्बन्धित विशेषज्ञों के विचाराधीन है। आशा है कि इस क्षेत्र के विकास कार्यक्रम जिसमें उद्योगों का स्थापित किया जाना भी सम्मिलित है, के बारे में अन्तिम निर्णय राज्य सरकार, योजना आयोग तथा भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों से बातचीत करने के बाद ही लिया जायेगा।

भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत एक मिजो कान्स्टेबल की गिरफ्तारी

4513. श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैकण्ड आसाम पुलिस बटालियन का एक मिजो कांस्टबल भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तगत गिरफ्तार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके पास से बरामद किये गये आपत्तिजनक दस्तावेजों का विवरण क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) । (क) जी हां।

(ख) यह सूचना देना इस अवस्था में लोक हित में नहीं है, जबकि जांच अभी पूरी की जानी है।

राष्ट्रीय मान-चित्रावलि (एटलस) संगठन के छात्र कार्यकर्ता

4514. श्री चांडक : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मान-चित्रावलि संगठन द्वारा जब सर्वप्रथम छात्र कार्यकर्ता योजना आरम्भ की गई थी, तो उस समय उस में क्या शैक्षिक अर्हताएं निर्धारित की गई थीं;

(ख) राष्ट्रीय मान-चित्रावलि संगठन ने वर्ष 1965–66 में जिन छात्र कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां की हैं, उनकी शैक्षिक अर्हताएं क्या है;

(ग) क्या उन में से सभी छात्र कार्य-कर्ता विश्वविद्यालय के वास्तविक छात्र थे अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय के थे; और

(घ) क्या छात्र कार्यकर्ताओं को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृति निषिद्ध भूतल रूप स्तरों (टोपोसीट) को देखने तथा उनके सम्बन्ध में काम करने की अनुमति प्राप्त थी और यदि हां, तो क्या उनके पूर्व इतिहास का सत्यापन करवाया गया था ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चगला) : (क) कोई शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई थीं।

(ख) भूगोल, भूगर्भ विज्ञान तथा अन्य सम्बद्ध विषयों की स्नातकोत्तर कक्षाओं के 86 विद्यार्थी, भूगोल, भूगर्भ विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य तथा अन्य विषयों की अवर-स्नातक कक्षाओं के 65 विद्यार्थी तथा इंजीनियरी और तकनीकी विषयों के दो विद्यार्थी थे।

(ग) सभी विश्वविद्यालय के असली विद्यार्थी थे, सिवाय दो के, जिनमें से एक यादवपुर पोलीटेक-नीक का तथा दूसरा कलकत्ता तकनीकी स्कूल का विद्यार्थी था।

(घ) विद्यार्थी कामगरों को कड़ी निगरानी के अधीन सीमित टोपोशीट्स के सम्बन्ध में कार्य करने की अनुमति दी गयी थी। उनके पूववृत्त का सत्यापन नहीं कराया गया था।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भूतल रूप स्तार (टोपोशीट्स)

4515. श्री चांडक : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भूतल रूप स्तारों सम्बन्धी असंगत चित्रों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक निकाय के पदाधिकारियों के टिप्पण पर राष्ट्रीय मान-चित्रावलि संगठन ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भूतल रूप स्ता ों के स्टाक के वास्तविक सत्यापन के बारे में क्या स्थिति है और राष्ट्रीय मान-चित्रावलि संगठन से कितने स्तार (शीट्स) गायब हैं यद्यपि वह प्रवेश निषिद्ध क्षेत्र में है; और

(ग) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भूतल रूप स्तारों को राष्ट्रीय मान-चित्रावलि संगठन द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को दिये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पता नहीं कि किस टिप्पण का निर्देश किया जा रहा है। तथापि, भूतल रूप स्तारों में किसी विभेद का पता नहीं चला है ।

(ख) समूचे स्टाक का नियमित रूप से वास्तविक सत्यापन किया जाता है और चालू वर्ष के लिये यह सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक किसी भी भूतल रूप स्तारों के खोये जाने के बारे में पता नहीं चला है।

(ग) भूतल रूप स्तारों को व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों को रसीद लेकर दिया जाता है और उस पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं जिनके अधीन वे कर्मचारी काम करते है।

राष्ट्रीय मान चित्रावलि संगठन

4516. श्री चांडक : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मान-चित्रावलि संगठन के उप-निदेशक ने भूतल रूप स्तारों (टोपोशीट्स) तथा विमानों से लिये गये चित्रों (मोजेक्स) से भूमि उपयोग चित्रों (इंटरप्रेटेड लण्डयूज) के अनुरेखनों (ट्रेसिंग्स) को फोटोस्टैट प्रतियां बनाने से पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय को सूचित किया था; और

(ख) क्या वैज्ञानिक निकाय के अधिकारी को राष्ट्रीय मान-चित्रावलि संगठन द्वारा दी गई लोहे की अलमरी और उसे सवारी खर्च के रूप में किया गया भुगतान भारत सरकार की प्रतिक्रिया के अनुकूल था?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० गा० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

बर्मा से स्वदेश लौट आने वाले व्यक्तियों के लिये दुकानें

4517. श्री नि० रं० लास्कर :

श्री लीलाधर कटकी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बर्मा से स्वदेश वापस लौटे हुए व्यक्तियों को गोबिन्द वल्लभ पन्त मार्केट, नई दिल्ली में कुछ दुकानें देने तथा कुछ सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय को अनुदेश दिये है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय स्वदेश वापस लौटे हुए व्यक्तियों को कुछ दुकानें देने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों के लिये नियतन

4518. श्री नि० रं० लास्कर :

श्री लीलाधर कटकी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने अब तक स्थानीय निकायों, अर्थात् नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली विकास प्राधिकार को बर्मा से स्वदेश लौट लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दुकानें, जमीन के प्लाट और मकान देने के लिये हिदायतें नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि हिदायतें न दिये जाने के कारण ये स्थानीय निकाय मकानों, दुकानों तथा प्लाटों के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकता नहीं दे रहे है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों के लिये दिल्ली प्रशासन ने 18-9-65 को हिदायतें जारी कर दी है कि इनको दुकानें और मकान बनाने के लिये प्लाट आदि देने के लिये प्राथमिकता दी जाये।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

बर्मा से लौटने वाल लोगों को ऋण

4519. श्री लीलाधर कटकी :

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन बर्मा से लौटने वाले लोगों को एकमुश्त पुनर्वास ऋण नहीं दे रहा है जैसा कि अन्य राज्य दे रहे है ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने पुनर्वास मंत्रालय से प्रार्थना की थी कि उनको एक किश्त 2000 रुपये देने की अनुमति दी जाये परन्तु मंत्रालय ने यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की है;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन भी पुनर्वास ऋण पर 6 प्रतिशत सूद ले रहा है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस अनियमितता के क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) बर्मा से लौटने वाले लोगों को 1,000 रुपये या उससे अधिक व्यापार के लिये ऋण दो किस्तों में दिया जाता है जैसा कि अधिकांश अन्य राज्यों द्वारा दिया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां। तथापि ब्याज की दर समय समय पर निर्धारित की जाती है।

(घ) चूंकि ऋण योजना की शर्तों के अनुसार दिया जाता है इस लिये इस सम्बन्ध में अनियमितता का प्रश्न नहीं उठता।

Ammunition unearthed in West Bengal

4520. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Shri Priya Gupta :

Shri Kashi Ram Gupta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 5th April, 1966 revolvers and guns, a large number of bombs, acids, petrol and other destrictive materials were recovered in Howrah, Hooghli, Murshidabad and 24-Pargana Districts of West Bengal;

(b) whether it is also a fact that pro-Chinese Leftist Communists are involved therein who are being released by the end of April by orders of the Central Government conveyed to State Governments;

(c) the details of arms and explosive materials supplied by China to the people of West Bengal; and

(d) the reasons for which Government are releasing pro-Chinese Communists responsible for spreading disorder in the country?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

(d) Releases are made on a review of material against individuals in the light of the prevailing circumstances.

दिल्ली में अध्यापकों की छंटनी

4521. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के अध्यापकों की छंटनी सम्बन्धी प्रस्ताव के विरुद्ध क्षोभ व्याप्त है, और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान अध्यापकों में से कितने प्रतिशत अध्यापकों की छंटनी की जायेगी और उनको छंटनी के क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालय शिक्षा

4522. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में, राज्यवार, प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे कितने छात्र विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर रहे है ;

(ख) शिक्षा के असन्तुलित विकास के क्या कारण है; और

(ग) विश्वविद्यालय शिक्षा के मामले में प्रत्येक राज्य को अन्य राज्यों के स्तर पर लाने के सम्बन्ध में क्या विशेष उपाय किये जा रहे है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 1965-66 के लिए सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1964-65 के दौरान प्रति हजार आबादी में से विश्वविद्यालयीन शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6165/66।]**

(ख) प्रति हजार आबादी में से विद्यार्थियों की संख्या में भिन्नता के कई कारण है, जैसे प्रत्येक राज्य में उच्च शिक्षा की सामान्य मांग, स्कूल स्तर पर भर्ती तथा प्रगति, सामान्य जागरूकता और उच्च शिक्षा की आवश्यकता, सामाजिक और आर्थिक विकास का स्तर आदि।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए यद्यपि विश्वविद्यालय शिक्षा में समन्वय स्थापित करने के प्रयत्न किए जा रहे है फिर भी भिन्न भिन्न स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यह संभव नहीं है कि उच्च शिक्षा के मामले में सभी राज्यों को समान स्तर पर लाया जा सके।

विज्ञान स्नातकों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

4523. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 की बी० एस० सी० की परीक्षा के परिणाम के आधार पर कितनी तथा किस दर की राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां घोषित की गई है तथा छात्रों को इन छात्रवृत्तियों की रकम किस तारीख से मिल सकेगी;

(ख) क्या ये छात्रवृत्तियां दे दी गई है और यदि नहीं, तो इसमें अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण है।

(ग) क्या सरकार का विचार स्नातकोत्तर कक्षाओं के दाखिले के तुरन्त पूर्व विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने का है ताकि इन से निर्धन विद्यार्थियों को दाखिले और होस्टल के खर्च देने में सहायता मिल सके; और

(घ) क्या इन छात्रवृत्तियों की रकम प्रत्येक मास देने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) 289 ; छात्रवृत्ति की दर 100 रुपये मासिक है और छात्रावास में रहने वालों के लिए 110 रुपये मासिक है। छात्रवृत्ति अगले उच्च पाठ्यक्रम में दाखिले के महीने से अनुमत्य है।

(ख) अदायगी राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, जो योजना के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। बी० एस० सी० पास करने वाले विद्यार्थियों को 1965–66 के दौरान कितनी राशि दी गई इसके संबंध में अभी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका पता जून, 1966 में लग सकेगा। तथापि, योजना क अधीन 31–1–1966 तक सभी पाठ्यक्रमों तथा स्तरों के लिए छात्रवृत्ति के हकदार विद्यार्थियों को कुल 50.80 लाख को राशि वितरित की गई जबकि कुल केन्द्रीय व्यवस्था 73 लाख रुपये की थी।

(ग) परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद ही प्रत्येक चुने हुये विद्यार्थी के पास परीक्षा-निकाय द्वारा एक पात्रता-कार्ड भेजा जाता है। उस कार्ड से उम्मीदवार बिना किसी फीस या अन्य खर्च के उच्च अध्ययन हेतु दाखिला पाने का हकदार हो जाता है जिसे राज्य सरकार से छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त होने पर समंजित कर दिया जाता है।

(घ) विद्यार्थियों को शीघ्र ही अदायगी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पहले ही एक संशोधित अदायगी क्रियाविधि लागू कर दी है। इस क्रियाविधि के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की राशि राज्य सरकारों को प्रत्येक महीने देनी होती है।

भारत-पाकिस्तान खेलकूद समारोह

4524. श्री राम हरख यादव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान खेल कूद (एथलीटिक) समारोहों को जो काफी लम्बे समय से बन्द रहे है, फिर से आरम्भ करने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस मामले में बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां; ऐसा विचार है।

(ख) जो, अभी तक नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय संगीतज्ञों की मास्को यात्रा

4525. श्री राम हरख यादव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संगीतज्ञों का एक दल सांस्कृतिक कार्यक्रम के सिलसिले में हाल में मास्को गया है;

(ख) यदि हां, तो इन संगीतज्ञों तथा उनकी यात्रा सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वश्री विजय राघव राव (बांसुरी वादक), जे० अभयंकर (तबला वादक), जी० एस० सचदेव (बांसुरी वादक)।

रूस	6-4-66 से 25-4-66
चेकोस्लोवेकिया	26-4-66 से 4-5-66
हंगरी	4-5-66 से 19-5-66
बल्गेरिया	19-5-66 से 25-5-66

(ग) कुछ भी नहीं।

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

4526. श्री हेम बरुआ : **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री लिंग रेड्डी : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **गृह -कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की कुछ वर्तमान समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिये हाल में दिल्ली में मुख्य मत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार किया गया था यदि उसमें कोई निष्कर्ष निकले है तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : माननीय सदस्यों का निर्देश सम्भवत: 9 तथा 10 अप्रैल 1966 को हुए सम्मेलन की ओर है। यदि हां, तो यह सम्मलन खाद्य समस्या तथा सम्बंधित मामलों पर विचार करने के लिये केन्द्रीय खाद्य व कृषि मंत्रालय के परामर्श पर बुलाया गया था।

मिजो लोगों का पाकिस्तान चले जाना

4527. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि हाल ही में सशस्त्र मिजो लोगों के 6 गिरोह पूर्वी पाकिस्तान चले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे सीमा को पार करने में कैसे सफल हुए;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : इस प्रेस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हुई है कि सशस्त्र मिज़ो लोग हाल ही में सीमा पार कर पूर्वी पाकिस्तान चले गय है। परन्तु मिज़ो नेशनल फ्रन्ट के स्वयंसेवक शस्त्रास्त्र लाने के लिये सीमा पार करके पूर्वी पाकिस्तान जाते रहे हैं। शस्त्रास्त्र को खोज निकालने तथा विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिय गश्ती दस्ते बढ़ा दिये गये हैं।

भारतीय उर्वरक निगम के कारखाने

4528. श्री दलजीत सिंह : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के कछ कारखानों की उत्पादन क्षमता आसानी से दुगुनी की जा सकती है ;

(ख) क्या उन कारखानों के विस्तार की योजनाओं का विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) : उर्वरक निगम के कुछ वर्तमान यूनिटों की क्षमता के विस्तार से उर्वरकों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में अभी ब्यौरे का आंकन एवं निर्णय करना है।

उर्वरक कारखानों के लिये भूमि

4529. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के सब कारखानों द्वारा अलग अलग कितने एकड़ भूमि खरीदी गई है;

(ख) सारे कारखानों द्वारा कारखानों, रिहायशी क्वार्टरों तथा अन्य प्रयोजनों के लिये अलग-अलग कितने एकड़ भूमि काम में लाई गई;

(ग) प्रत्येक कारखानों में कितने एकड़ भूमि अलग-अलग बेकार पड़ी है; और

(घ) उसको काम में लाने के लिये क्या योजना बनाई गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (घ) : इस समय उर्वरक निगम के तीन यूनिट अर्थात् बिहार में सिन्दरी, पंजाब में नंगल और महाराष्ट्र में ट्राम्बे उत्पादन कर रहे हैं, इन यूनिटों के कब्जे में कितने एकड़ भूमि है और उस के इस्तेमाल का विवरण नीचे दिया गया है :—

विवरण

क्रम संख्या	यूनिट	कारखाने के कब्जे में कुल भूमि (एकड़ में)	कारखानों, रिहायशी क्वार्टरों तथा अन्य प्रयोजनों के लिये काम में लाई गई भूमि (एकड़ में)	गैर इस्तेमाल भूमि (एकड़ में)	गैर इस्तेमाल भूमि के लिये योजना
1	2	3	4	5	6
1	सिन्दरी	6652.62	6026.03	626.59	गैर इस्तेमाल भूमि की 131.59 एकड़ में तालाब, नालियां और बेकार भूमि है और 320 एकड़ उप नगर में बिखरे है जिस का विकास धीरे धीरे किया जायेगा और इसे कालोनी के पार्क और बाजारों के विस्तार के लिये इस्तेमाल किया जायेगा।

1	2	3	4	5	6
					बची हुई भूमि का कुछ भाग कारखाने के आगामी विस्तार के लिये रख छोड़ा गया है और कुछ भाग टी० एन० टी० कारखाने की स्थापना के लिये रख दिया गया है।
2	नंगल	2587.00	1681.00	906.00	गैर-इस्तेमाल 560 एकड़ भूमि लैंड यूटिलाईजेशन एक्ट के अन्तर्गत बंटन के लिये जिला अधिकारियों को सौंप दी गई है। 346 एकड़ के शेष भाग में इंट के भट्टे नदी और चौ आदि है।
3	ट्राम्बे	825.00	625.00	200.00	गैर इस्तेमाल भूमि कारखाने के आगामी विकास के लिये रख दी गई है।

शिक्षित गृहणियों के लिये काम

4530. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री बसुमतारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग ने शिक्षित गृहणियों को लाभदायक अंशकालिक नौकरी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण की एक ऐसी पद्धति की सिफारिश की है जिससे विवाह के पश्चात केवल घरेल काम-काजों तक ही अपने को सीमित रखने वाली अत्यधिक पढ़ी-लिखी महिलाओं की प्रतिभा का लाभ उठाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें कार्यरूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) आयोग का प्रतिवेदन 30 जून, 1966 तक प्राप्त होने की आशा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय प्रशासन सेवा में मैसूर के लिये प्रतिनियुक्ति का अभ्यंश

4531. श्री लिंग रेड्डी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली केन्द्रीय सेवा में भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग के प्रतिनियुक्ति अभ्यंश में कितने रिक्त पद इस समय मसूर राज्य के लिये हैं;

(ख) इन पदों पर नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं, जिससे मैसूर राज्य को हानि होती है ; और

(ग) इस अभ्यंश के पदों पर नियुक्ति करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) मसूर के भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग के 145 पदों की स्वीकृत संख्या में केन्द्र के लिये 28 पदों का प्रबन्ध किया गया है। इसके मकाबले में केन्द्र में आजकल 22 अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

(ख) 145 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले में वास्तविक संख्या केवल 114 है। अनुपात से 22 अधिकारी केन्द्र में नियुक्त किये गये हैं।

(ग) जैसे ही संवर्ग की वास्तविक संख्या बढ़ जायगी, नियमों में प्रबंधित मात्रा में केन्द्रीय अभ्यंश पूरा किया जायगा।

कलकत्ता के उद्योगपतियों की नजरबन्दी

4532. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और कोई नया साक्ष्य मिला है जिससे कलकत्ता के उद्योगपतियों को भारत सुरक्षा नियमों के अन्तगत नजरबन्द रखना न्यायोचित है;

(ख) क्या यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि उनका एक पाकिस्तानी जासूसी गिरोह से सम्बन्ध था ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : प्रश्न के वर्ण्य विषय पर राज्य सरकार से पूरे प्रतिवेदन के प्राप्त होने की प्रतिक्षा है। उन्हें संभरण कराया गया है।

मैसर्स बैनेट कोलमन एण्ड कम्पनी

4533. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसर्स बैनेट कोलमन एण्ड कम्पनी द्वारा गबन तथा छल किये जाने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध, जैसाकि विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन, इंसपैक्टर के रूप में श्री एस० पी० चोपड़ा को रिपोर्ट तथा विशष पुलिस विभाग की जांच रिपोर्ट से सिद्ध हो गया है, फौजदारी कार्यवाही करने के बारे में अब कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं तो कार्यवाही करने में इतनी अधिक देरी के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : 16 फरवरी 1966 को प्रश्न संख्या 33 के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। महा न्यायवादी के परामर्श के अनुसार आगे जांच-कार्य पूरा कर लिया गया है। जांच-प्रतिवेदन पर महा-न्यायवादी से फिर परामर्श किया जा रहा है। इस बारे में महा-न्यायवादी की सलाह मिल जाने के बाद अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है।

Khambhat Oil Area

4534. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have declared oil area in Khambhat as a protected area; and

(b) if so, the details of the area ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) The gas collecting station of the Cambay (Khambhat) gas field has been declared by the Government of Gujarat as a protected place.

(b) The area covered by the gas collecting station is 332 × 244 metres approximately.

राज्यों में नाटक अभियान

4535. डा० महादेव प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्यों में नाटक अभियान चलाने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए वार्षिक अनुदान देती है, और

(ख) यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष में दिये गये अनुदान का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : आर्थिक व्यवस्था के कारण 1964–65 से विभिन्न योजनाएं, जिनके अन्तर्गत नाटक अभियान को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिय गय थे, असमंजस में पड़ी हुई हैं। इस लिए इस कार्य के लिये 1965–66 के दौरान कोई नया अनुदान मंजूर नहीं किया गया।

उर्वरक कारखाना, गोरखपुर

4536. डा० महादेव प्रसाद : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर में उर्वरक कारखाना लगाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस कारखाने में कब उत्पादन आरम्भ होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) स्थल तैयार करने का काम पूरा हो गया है और भवन की नींवों का कार्य जारी है। परियोजना के लिए अपेक्षित सारे संयन्त्र एवं मशीनों के लिए ठके किये जा चुके हैं और आर्डर दिये गये मशीनरी का एक बड़ा हिस्सा भी स्थल पर पहुंच गया है। संयन्त्रों के स्थापना का कार्य शुरु हो गया है। उपयोगों का कार्य अर्थात् विद्युत-स्थापना, पानी प्रस्थापन और नालियों आदि की सुविधाओं का कार्य प्रगति पर है और दिसम्बर, 1966 के अन्त तक पूरे होने की आशा है। उप-नगर का कार्य भी प्रगति पर है और 1967 के पहले चतुर्थांश में मकानों के तैयार हो जाने की आशा है।

(ख) 1967 के अन्त तक।

दिल्ली के घोगा गांव में पुलिस द्वारा अत्याचार

4537. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घोगा गांव में 14 नवम्बर, 1965 को पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में हुई जांच के परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को गंभीर चोट पहुंचाने के लिये कुछ सिपाही जिम्मवार पाय गये हैं;

(ख) क्या दिल्ली के जिलाधीश ने सम्बन्धित सिपाहियों के विरुद्ध कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और ( ) : जी हां।

(ग) भारती दण्ड सहिता की धारा 326/34 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया गया है, तथा जांच की जा रही है।

New Central Schools

4538. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have announced to open 10 more Central schools with the cooperation of State Governments;

(b) if so, the total number of schools which would now be run by the Central Government;

(c) the names of places where these schools would be opened; and

(d) the pay-scales of teachers in these schools?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Dr. Soundaram Ramachandran) : (a) Yes, Sir. More than 10 places are under consideration.

(b) About one hundred in 1966-67. The exact number will be determined when the schools start functioning.

(c) Four schools have been established recently at Shillong, Gauhati, Jorhat, Ranchi. Other places under consideration are:—

Srinagar, Jammu, Lucknow, Kharagpur, Bhubaneswar, Berhampore, Coimbatore, Tiruchirappalli, Madurai.

(d) Pay scales of teaching staff are :—

(1) Principals . . .	Rs. 400-25-500-30-590-EB-30-800-30-EB-830-35-900.
(2) Post Graduate Teachers .	Rs. 250-10-290-15-380-EB-15-470
(3) Trained Graduate Teachers	Rs. 170-10-290-EB-15-380.
(4) Drawing/Home Science/ P.T.Is.	Rs. 170-10-290-EB-15-380.
(5) Primary Teachers . .	Rs. 118-4 170-EB-5-200-EB-5-225.

Workers in House-Building Industries

4539. Shri Onkar Lal Berwa : Shri D.C. Sharma :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Dr. Mahadeva Prasad :
Shri Bade :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint a tripartite Committee to regularise the services of workers engaged in the house-building industries;

(b) if so, by when; and

(c) the basis thereof?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) No. Attention is, however, invited to the reply given in Lok Sabha on 23-2-66 to unstarred question No. 676.

(b) and (c). Do not arise.

सीमा को बन्द करना

4540. श्री नि० रं० लास्करा: श्री लीलाधर कटकी :
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी पाकिस्तान से लगी हुई मिजो पहाड़ी जिला की सीमा को बन्द करने के उपायों का विचार कर रही है ताकि विद्रोही लोगों के उस देश में चले जाने और वहां से हथियार लेकर मिजो पहाड़ियों में लौट आने से रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : पूर्वी पाकिस्तान से लगी हुई मिज़ो पहाड़ी ज़िला की सीमा से विद्रोहियों के बच निकलने को रोकने के हेतु तथा वहां से मिज़ो पहाड़ियों में शस्त्रास्त्र सहित वापिस न जाने दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां की गई है। आगामी कार्यवाहियों पर लगातार विचार किया जा रहा है।

औद्योगिक तकनीकी संस्थायें

4541. डा० महादेव प्रसाद : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1966 में आरम्भ होने वाले शिक्षा-वर्ष में दिल्ली में दो और औद्योगिक तकनीकी संस्थाएं खोली जायेंगी; और

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी संस्थाएं हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अगस्त, 1966 से दिल्ली में दो नई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की राज्यानुसार संख्या साथ लगे विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6166/66 ।]**

तकनीकी शिशिक्षुता योजना

4542. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक शिशिक्षता योजना है जिसके अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में वास्तविक कारखाना दशा में उन विद्यार्थियों को शिल्पकार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है जिन्होंने औद्योगिक तकनीकी संस्थाओं में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में ऐसे कितने प्रशिक्षणार्थी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6167/66।]

Robbing of a Magistrate at Palam Airport

4543. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 12th April, 1966 two armed persons looted Shri S. L. Suri, a Delhi Magistrate, near Palam Air-port, New Delhi;

(b) whether Government have made an inquiry into the matter; and

(c) if so, the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) On the night of 11-4-66 an Honorary Magistrate is alleged to have been robbed by two armed persons near Palam Airport, New Delhi.

(b) and (c). The Police are investigating the case.

Non-Gazetted Employees of Ministry of Education

4545. **Shri Vishram Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Non-Gazetted posts in his Ministry carrying special allowances (daily or monthly);

(b) the number of employees working against such posts including those of the former Scientific Research and Cultural Affairs Ministry, for the last three years continuously and the reasons for allowing them to work for more than three years;

(c) the number of persons transferred from these posts during the past five years; and

(d) the reasons therefor?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Five.

(b) One; in the interest of efficient disposal of Government work.

(c) Sixteen.

(d) Normal transfers and postings involving rotation of duties or requests by the persons concerned.

आसाम में गैस का उपयोग

4546. **श्री रा० बरुआ** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में नामरूप तथा अन्य स्थानों की सारी गैस का लाभदायक उपयोग किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो गैस को जलाने से प्रतिवर्ष कितनी हानि होती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) 1965 में आयल इण्डिया लि० ने लगभग 389 मिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन किया ; जिस में 35 मिलियन घन मीटर क्षेत्रीय उपयोग के लिए इस्तेमाल की गई और 110 मिलियन घन मीटर आसाम आयल कम्पनी लि०, आसाम राज्य बिजली बोर्ड, तिंगडी गैस ग्रिड तथा ईट भट्टों को बेची गई और शेष जला दी गई या भंडार (reservoir) को लौटा दी गई। आयल इण्डिया लि० को आसाम राज्य बिजली बोर्ड, आसाम तेल कम्पनी लि०, भारतीय उर्वरक निगम, तिंगडी गस ग्रिड और ईट भट्टों को प्रति दिन एक मिलियन घन मीटर गैस से कुछ अधिक सप्लाई करना है, जब ये परियोजनाएं पूर्ण आवश्यकताओं को लेने की स्थिति में होंगी।

1965 में आसाम आयल कम्पनी लि० ने 63 मिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन किया ; जिसका कम्पनी ने क्षेत्रीय उपयोग एवं घरेलू खपत के लिए इस्तेमाल किया।

(ख) क्योंकि आयल इण्डिया लि० द्वारा उत्पादित गैस की शेष मात्रा की मांग नहीं थी ; इसलिए हानि का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में तेल के निक्षेप

4547. **श्री राजदेव सिंह** :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में तेल पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Unemployment Insurance Scheme

4548. **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bade :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 420 on the 9th March, 1966 and state :

(a) Whether the Standing Labour Committee has given a final shape to the draft scheme regarding the Unemployment Insurance Scheme; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) No.

(b) There has been no meeting of the Standing Labour Committee or the Indian Labour Conference since March, 1966.

अनुसंधान कार्य वाणिज्यिक उपयोग में लाना

4549. श्री फिरोडिया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की प्रयोगशालाओं में किये जा रहे अनुसंधान कार्य को वाणिज्यिक उपयोग में लाने का काम संतोषजनक ढंग से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है; और

(ग) उसका बेहतर वाणिज्यिक उपयोग कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क), (ख) और (ग) : यह कहना कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधान कार्य का उपयोग, 'संतोषजनक' नहीं है, ठीक नहीं है। अनुसंधान का उपयोग एक क्रमिक प्रक्रिया है और बहुत सी बातों पर निर्भर करता है जैसे—औद्योगिक विकास की स्थिति, विदेशी सहयोग के बारे में संबंध तथा अन्य बहुत से आर्थिक, टेक्नोलाजी सम्बन्धी और अन्तर्राष्ट्रीय कारण। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अपनाई गई हाल ही की नीतियों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधान के उपयोग को काफी प्रोत्साहन मिला है। स्थिति असंतोषजनक नहीं है यद्यपि इसमें सदैव सुधार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अनुसंधानों के परिणामों के बेहतर उपयोग के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

1. ऐसे प्रयत्न किए जा रहे हैं कि उद्योग, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की अनुसंधान प्रायोजनाओं में प्रारंभ से ही रुचि लेने लगे तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुसंधान प्रायोजित करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित किया जा सके।

2. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भारतीय रसायन निर्माता संस्था के सहयोग से बम्बई में एक तकनीकी सूचना केन्द्र स्थापित किया है ताकि उद्योग को पेश आने वाली समस्याओं का पता लगाया जा सके, उन्हें क्षत्रीय राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के पास भेजा जा सके तथा अनुसंधान के परिणामों को उद्योग के उपयोग के लिये उन तक पहुंचाया जा सके।

3. अन्य उद्योगों के लिए भी तकनीकी सूचना केन्द्र स्थापित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने यंत्र-उद्योग के लिए एक केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दे दी है।

4. अनुसंधान और उद्योग को निकट लाने के उद्देश्य से पिछले दिसम्बर में अनुसंधान और उद्योग के एक 'मिलन' का आयोजन किया गया था। 'मिलन' के फलस्वरूप उच्च प्राथमिकता की लगभग 237 राष्ट्रीय अनुसंधान प्रायोजनाओं का पता लगा है। 'मिलन' ने कुछ अनुसंधान और विकास नीतियों की भी सिफारिश की है। इन सिफारिशों पर अमल करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

5. सहकारी अनुसंधान संस्थाओं के आन्दोलन को वे० और औ० अ० प० प्रत्येक प्रोत्साहन दे रही है। पहले से ही स्थापित सहकारी अनुसंधान संस्थाओं को और अधिक सहयोग देने के अलावा, वे० और औ० अ० प० सहकारी अनुसंधान संस्थाएं बनाने के लिए सीमेंट और इलैक्ट्रानिक उद्योगों को सफलतापूर्वक राजी करने में भी समर्थ हो सकी है। आटोमोबाइल, ईंट, खपरैल और केबल उद्योगों के लिए सहकारी अनुसंधान संस्थाएं स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

6. वे० और औ० अ० प० उनके अलग-अलग अनुसंधान और विकास यूनिटों के लिए व्यक्तिगत (प्राइवेट) उद्योगों को वित्तीय सहयोग के परीक्षण पर भी विचार कर रही है।

उर्वरक कारखाने के बारे में पोलैंड के साथ बातचीत

4550. श्री फिरोडिया : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में पोलैंड के विदेश व्यापार मंत्री के साथ बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Release of Life Convicts

4551. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Balmiki :
Shri Yashpal Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Buta Singh :
Shri N. N. Patel :
Shri Narendra Singh Mahida:
Shrimati Ganga Devi :
Shri Madhu Limaye :
Shrimati Basant Kunwari Ba:
Shri Solanki :
Shri Priya Gupta :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of those prisoners awarded life term imprisonment who were released during the last 15 years on the completion of their 20 years' period of the prisonment including the period of remission;

(b) the number of such prisoners who have not been released even on the completion of such period; and

(c) the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) to (c). The Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Life Convicts in Tihar Jail

4552. **Shri Bade :**
Shri S. M. Banerjee :
Shri Balmiki :
Shri Yashpal Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri N. N. Patel :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shrimati Ganga Devi :
Shri Madhu Limaye :
Shri Daji :
Shrimati Basant Kunwari Ba :
Shri Solanki :
Shri Priya Gupta :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister of State in the Ministry of Home Affairs inspected the Dehi Tihar Jail on 11-2-1966 where the life term prisoners made complaints about their difficulties and about their non-release by Government even after the completion of their terms;

(b) if so, the details of their complaints; and

(c) the action taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) Yes, Sir. The Minister in the Ministry of Home Affairs was presented with a 'Welcome Address' in which certain points were raised.

(b) and (c). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT.-6168/66.]**

Life Convicts

4553. **Shri N. N. Patel :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Buta Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri S. M. Banerjee
Shri Balmiki :
Shri Bade :
Shri Kishen Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohiya :
Shrimati Ganga Devi :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri Madhu Limaye :
Shri Hem Barua :
Shrimati Basant Kunwari Ba :
Shri Solanki :
Shri Priya Gupta :
Shri Bagri :

Will Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that class II Life-convicts have to serve an imprisonment of 20 years, including remission;

(b) whether Government possess the discretionary powers to detain such convicts in jail even after the expiry of the term of their conviction; and

(c) if so, the reasons for not releasing the life-convicts when they have completed their term, including remission period?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) and (b). The term 'life imprisonment' in law means imprisonment for the rest of the life of the prisoner unless the appropriate Government remit the sentence under Section 401 of the Code of Criminal Procedure. Only for purposes of working out remissions, the term 'life imprisonment' is treated as imprisonment for 20 years.

(c) Does not arise.

Grades of Teachers in Delhi

4554. Shri Yudhvir Singh :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Hukam Chand Kachhvaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that nearly 300 teachers of Higher Secondary Schools in the Capital have not been given the grade of Rs. 120-8-200-10-300 with effect from 1st January, 1955 but have been given with effect from September, 1956;

(b) whether it is also a fact that Government had issued a circular on the 8th January, 1955 stating that those teachers who had not been recruited specially for Middle Schools should be given the above grade w. e. f. 1st January, 1955; and

(c) if so, the reasons for not giving the said grade to these nearly 300 teachers?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Fixation of Pay of Delhi Teachers

4555. Shri Yudhvir Singh :
Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Dr. L. M. Singhvi :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the 7th July, 1965, Government had issued a Circular regarding fixation of pay scales of trained Graduate teachers working in Higher Secondary Schools in the Capital;

(b) whether it is also a fact that according to the Circular, the fixation of pay was to take effect from the 7th July, 1965;

(c) if so, whether it is also a fact that their pay has not been fixed so far; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). Yes, Sir.

(d) The work involves scrutiny of individual service records over a long period. Government have asked the Administration to expedite.

Hostile Mizos taking Asylum in Pakistan

4556. **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Buta Singh :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Daji :
Shri Sheo Narayan :
Shri Tridib Kumar Chaudhury:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that hostile Mizos have got asylum in East Pakistan;

(b) whether it is also a fact that these hostile mizos have abducted some Government officers and taken them away with them; and

(c) if so, whether a note has been sent to Pakistan on the subject and the nature of reply received from them in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) It is not known if the hostile Mizos who have crossed into East Pakistan have formally requested the Pakistan Government for asylum.

(b) Government have no such information.

(c) A number of requests have been addressed to the Pakistan authorities to hand over any kidnapped Indian personnel who may have been detained in East Pakistan by Mizo hostiles. In reply, the Government of Pakistan have intimated that any Indian officials, who may have been detained in East Pakistan, will be repatriated to India.

दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा

4557. **श्री राम स्वरूप** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी तथा सहायताप्राप्त ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भौतिक और रसायन शास्त्र जैसे विज्ञान के विषयों के पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है;

(ख) सभी स्कूलों में इन विषयों को पढ़ाने की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस व्यवस्था के कब तक होने की सम्भावना है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

पश्चिम बंगाल में चोरी छिपे हथियारों का लाया जाना

4558. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 31 मार्च, 1966 के "पेट्रियोट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हाल के सप्ताहों में, पश्चिम बंगाल में चोरी छिपे बड़ी मात्रा में विदेशी हथियार लाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला?

गृह-कार्य मंत्रालय में तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में जो जांच की गई उसे पश्चिम बंगाल में चोरी छिपे विदेशी हथियार लाये जाने की सूचना का समर्थन नहीं होता।

दिल्ली में टेलीफोन

4559. **श्री राम स्वरूप** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीस हजारी टेलीफोन एक्सचेंज, दिल्ली में "अपना टेलीफोन लगाओ" श्रेणीसे भिन्न श्रेणी के अन्तर्गत 1958 से दर्ज टेलीफोन लगवाने वाले आवेदकों को हाल में यह सूचित किया गया है कि उन्हें टेलीफोन देने में अभी कई वर्ष लग सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं जब कि उस एक्सचेंज में दिसम्बर, 1957 तक दर्ज आवेदकों को टेलीफोन दिये जा चुके हैं;

(ग) उस टेलीफोन एक्सचेंज में "अपना टेलीफोन लगाओ" श्रेणी तथा इससे भिन्न श्रेणी के अन्तर्गत 1958 में अलग अलग महीने वार कुल कितने प्रार्थना-पत्र दर्ज हुए; और

(घ) उन आवेदकों को कब तक टेलीफोन दिये जाने की आशा है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : तीस हजारी टेलीफोन केन्द्र अपनी पूरी स्थापित क्षमता से काम कर रहा है और अत्यन्त आवश्यक मामलों को छोड़कर आगे और कनेक्शन देना तब तक संभव नहीं है जब तक कि इस क्षेत्र की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि न हो जाए। आशा है कि अगले कुछ महीनों में निकटवर्ती टेलीफोन केन्द्र दिल्ली गट में अतिरिक्त उपस्कर की स्थापना के परिणामस्वरूप कुछ पुनर्व्यवस्थाएं हो चुकने पर केवल कुछ कनेक्शन ही और वे भी मुख्यत: 'अपना टेलीफोन योजना' के अन्तर्गत दिये जा सकेंगे। 'अपना टेलीफोन योजना' के अन्तर्गत न आने वाले ऐसे प्रार्थियों को, जिन्होंने अपनी स्थिति के बारे में जानना चाहा है यह सूचित कर दिया गया है कि उनकी मांग की पूर्ति में काफी देरी लगने की संभावना है।

(ख)

महीना	गैर अपना टेली-फोन योजना	अपना टेलीफोन योजना
जनवरी	151	52
फरवरी	162	42
मार्च	122	42
अप्रैल	140	46
मई	172	47
जून	186	12
जुलाई	245	33
अगस्त	177	44
सितम्बर	203	49
अक्तूबर	406	28
नवम्बर	212	32
दिसम्बर	178	31
योग	2,354	458

(घ) अपना टेलीफोन योजना के अन्तर्गत न आने वाले प्रार्थियों को नियमित तौर पर कनैकशन केवल 4 वर्षों की अवधि में ही दिये जा सकेंगे जबकि ईदगाह पर स्थापित किये जाने वाला प्रस्तावित नया टेलीफोन केन्द्र सेवा करना आरम्भ कर देगा। फिर भी इस क्षेत्र में 30 मार्च, 1965 तक की "गैर अपना टेलीफोन योजना" कनेक्शनों की मांगों के अधिकांश भाग की पूर्ति की जा चुकी है।

ध्यान दिलानेवाली सूचनाओं तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में—(प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICES AND MOTIONS FOR ADJOURNMENT—(Queries)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ ध्यान दिलाने वाली सूचनायें प्राप्त हुई हैं। यद्यपि इनके बारे में मेरी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि वह ग्राह्य नहीं हैं, तथापि मैं इस की अनुमति दे रहा हूं। यदि माननीय सदस्य अधिक जानकारी चाहते हैं तो मंत्री महोदय को कुछ समय दिया जाना चाहिये।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : मैं कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं और इस बारे में कल वक्तव्य देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य कल दिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : मैंने उड़ीसा में भूखमरी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचना दी है .....।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता। ध्यान दिलाने वाली सूचना को कल अथवा परसों लिया जा सकता है।

Shri Bagri (Hissar) : I have received telegrams regarding famine conditions in Orissa and Punjab.....

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय के पास तथ्य हों तो वह कल वक्तव्य दें।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं तथा प्रधान मंत्री उड़ीसा राज्य का दौरा करने आ रहे हैं। 16 मई को मैं एक विस्तृत वक्तव्य दे सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना का उत्तर लम्बी अवधि के लिए नहीं टाला जा सकता। वक्तव्य कल अथवा परसों दिया जाये।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वक्तव्य परसों के लिए रखा जाये।

Shri Bagri : People are dying of starvation in Punjab and Orissa and the Minister is not aware of that. Adjournement Motion may be allowed in this matter.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम योजना आयोग तथा खाद्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का एक दल उड़ीसा में भेज रहे है। उसका प्रतिवेदन सोमवार तक प्राप्त हो जायेगा। तब मैं अधिक विस्तृत वक्तव्य दे सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य परसों दिया जाये।

Shri Bagri : The Minister says that he will go there and make a study on the spot. The Governor says that children are dying of hunger there.

Mr. Speaker : The hon. Member is continuing to speak inspite of my forbidding him to do so. I will now ask him to leave the House.

Shri Bagri : The Government has no famine code. Anyone who talks of starvation deaths, is ordered to leave the House.

(इसके पश्चात श्री बागड़ी सभा भवन से बाहर चले गये)

(Shri Bagri then left the House)

श्री नाथ पाई (राजापुर) : आपने कहा है कि मुझे बहुत से स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुये है, इसलिए मैं ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की अनुमति दे रहा हूं। मैंने बम्बई में मिट्टी के तेल की कमी के बारे में ध्यान दिलाने का प्रस्ताव रखा था परन्तु उसकी अनुमति नहीं दी गई। कितने स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी जाय ताकि ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की अनुमति मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा कहा गया है तो गलती से कहा गया होगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उड़ीसा के राज्यपाल तथा वहां के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री के वक्तव्यों के बारे में हम जानकारी चाहते हैं।

श्री के० देव मालवीय (बस्ती) : मंत्री महोदय को इस प्रश्न का ठीक अध्ययन करने के लिए उचित समय दिया जाये।

श्री गा (चित्तूर) : यदि मंत्री महोदय इस प्रश्न को उतना ही महत्वपूर्ण समझते जितना कि हम समझते हैं तो उन्होंने तुरन्त जांच की होती और यदि आवश्यक होता तो स्वयं मंत्री उन स्थानों पर जाते परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वक्तव्य देने के लिए तीन सप्ताह का समय लेना चाहा। बाद में उन्होंने मंत्रियो तथा योजना आयोग की संयुक्त समिति का आश्रय लेना चाहा। इसी रवैये के कारण विरोधी दल में उत्तेजना है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, You have said that a number of Adjournment Motions and Calling Attention Notices were received. You have rejected the Adjournment Motions and accepted Calling Attention Notice. It has been clearly mentioned in rule 58....

Mr. Speaker : I have rejected the Adjournment Motions. Discussion on that cannot be allowed.

श्री उ० मू० द्विवेदी (मंदसौर) : मैंने जयंती शिपिंग कम्पनी के तीन करोड़ के ऋण के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर एक प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Why has the Minister not laid a copy of famine code on the Table of the House inspite of your orders?

Mr. Speaker : That question does not arise now.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं मंत्रियों के वतन भत्ते अधिनियम, 1962 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1966 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 24 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 460 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6148/66।]**

त्रिपक्ष बैठकों के मुख्य निष्कर्ष

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित त्रिपक्षीय बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की एक-एक प्रति :—

(एक) चमड़ा वस्तु तथा निर्माणशालाओं सम्बन्धी औद्योगिक समिति का दूसरा अधिवेशन जो 5 फरवरी, 1966 को आगरा में हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6149/66।]**

(दो) सड़क परिवहन सम्बन्धी औद्योगिक समिती का पहला अधिवेशन जो 15 फरवरी 1966 को नई दिल्ली में हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6150/66।]**

(तीन) स्थायी श्रम समिति का 24वां अधिवेशन जो 13-14 फरवरी, 1966 को नई दिल्ली में हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6151/66।]**

(चार) रासायनिक उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक समिति का पहला अधिवेशन जो 13 मार्च, 1966 को बम्बई में हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6152/66।]**

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1963-64 के लेखापरीक्षित लेखे की एक प्रति **[पुस्तकालय में रखी गई। संख्या एल० टी०-6152/66।]**

(3) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 जो दिनांक 2 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 473 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-6154/66।]**

(दो) खान बालगृह नियम, 1966 जो दिनांक 9 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र म अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 516 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-6154/66।]**

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

एकसौ पांचवां और एकसौ छैवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं उद्योग मंत्रालय विकास आयुक्त का संगठन में लघु-उद्योग के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ पांचवां और एक सौ छैवां प्रतिवेदन (भाग 1 और 2) प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

इक्यानवां प्रतिवेदन :

श्री मुरारका (झुंझुनू) : मैं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें), 1965 के पैरा 7 और 8 के बारे में लोक लेखा समिति का इक्यानवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लमडिंग तथा डीफू स्टेशनों पर रेलगाडियों में विस्फोट के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : EXPLOSIONS IN RAILWAY TRAINS AT LUMDING AND DIPHU

रेलवे मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : जैसा कि घोषित किया गया था....

अध्यक्ष महोदय : यह कितना लम्बा है ?

डा० राम सुभग सिंह : पांच पृष्ठ।

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा-पटल पर रख दिया जाय

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : जी, नहीं । हम वक्तव्य सुनना चाहते हैं और इस बारे में एक स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह छः पृष्ठों में है ।

श्री हेम बरुआ : चाहे यह 100 पृष्ठों में ही क्यों न हो । इसे पढ़ा जाना चाहिये ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : प्रश्न वह कल पूछ सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य सभा-पटल पर रख दिया जाय । इसकी एक-एक प्रति सदस्यों को दे दी जायेगी । वे इसका घर पर अध्ययन करें । तत्पश्चात हम देखेंगे कि स्पष्टीकरण देने की वास्तव में कोई आवश्यकता है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6155/66 ।]**

श्री हेम बरुआ : मैं गृह-कार्य मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मेरे पास कुछ जानकारी है ।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे मेरे पास भेज दें । मैं इस पर विचार करने के पश्चात् उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति दे दूंगा ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Con'd.*

गृह-कार्य मंत्रालय

वर्ष 1966—77 के लिये गृह-कार्य मंत्रालय की निम्न लिखित मांगे प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
44	गृह-कार्य मंत्रालय	4,40,85,000
45	मंत्रिमण्डल	49,92,000
46	क्षेत्रीय परिषदें	1,12,000
47	न्याय प्रशासन	2,75,000
48	पुलिस	27,40,02,000
49	जनगणना	83,33,000
50	अंक-संकलन	3,01,80,000
51	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	1,50,000
52	दिल्ली	21,80,75,000
53	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,10,78,000
54	आदिम जाति क्षेत्र	12,96,89,000
55	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	22,74,000
56	लक्षदीप, मिनीकोय और अमीनद्वीप समूह	57,68,000
57	गृह-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,51,66,000
128	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	2,00,65,000

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : Sir, the hon. Minister has stated certain wrong things in the House. I have written regarding famine code and situation in Orissa under direction 115 of the Directions from the chair.....

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैंने इस मंत्रालय के बारे में कुछ कटौती प्रस्ताव रखे थे। अब मैंने उनपर हस्ताक्षर कर दिये हैं। उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह-कार्य मंत्री इस बारे में वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस चर्चा के बारे में एक बात इस की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा में भाग लेते समय वह बात कही जा सकती है। यह बात इस तरह नहीं उठाई जा सकती।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि आप मुझे सुनना नहीं चाहते तो मैं सभा से उठकर चला जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप को सभा से उठकर चले जाने के लिए कहूंगा।

(इसके पश्चात् श्री स० मो० बनर्जी सभा भवन के बाहर चले गये।)
(Shri S. M. Banerjee then left the House)

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : 25 फरवरी को सभा में एक वक्तव्य के दौरान मैंने 22 अप्रैल, 1966 को दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में किये गये निर्णयों के बारे में बताया था। उस सम्मेलन में परिवर्तित परिस्थितियों में भारत रक्षा अधिनियम तथा नियमों के प्रयोग के सम्बन्ध में विचार किया गया था। आपात काल हटाये जाने, कुछ सीमान्त राज्यों तथा राज्य-क्षेत्रों की विशेष समस्याओं और दूसरे सम्बन्धित मामलों के विषय में भी उस सम्मेलन में विचार किया गया था।

सरकार ने निर्णय किये हैं कि कुछ सीमान्त राज्यों और राज्य-क्षेत्रों के लिए भारत रक्षा अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत कुछ शक्तियों की आवश्यकता है। रक्षा से सम्बन्धित कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय सरकार को भी कुछ शक्तियों की आवश्यकता है। केवल ऐसी अवस्था को छोड़कर जबकि प्रतिरक्षा के लिए सीमान्त राज्यों और राज्यक्षेत्रों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए कार्यवाही करना आवश्यक हो जाये, उन शक्तियों में निवारण विरोध की शक्ति शामिल नहीं होगी।

अभी उद्घोषणा वापिस नहीं ली जा सकती क्योंकि आपात की उद्घोषणा वापिस लेने के बाद उनमें से कुछ शक्तियां नहीं रहेंगी तथा उद्घोषणा को देश के कुछ भागों तक सीमित रखने का उपबन्ध संविधान के अनुसार नहीं किया जा सकता। भारत रक्षा अधिनियम तथा नियमों में संशोधन किया जायगा और उनमें यह उपबन्ध रखा जायेगा कि वह अधिनियम तथा नियम उस क्षेत्र या क्षेत्रों में लागू होंगे तथा पूर्णतः या अंशतः लागू होंगे जैसाकि राष्ट्रपति शासकीय राजपत्र में आदेश द्वारा विहित करें। भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न आदेश दिये जा सकते हैं। आवश्यक विधि संसद के वर्तमान अधिवेशन में पेश की जायेगी। इस समय जिन विभिन्न प्रयोजनों के लिए भारत रक्षा अधिनियम तथा नियमों का प्रयोग किया जा रहा है, उनके लिए साधारण विधि में आवश्यक संशोधन करके उनका प्रयोग किया जा सकता है।

आपात काल की अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यों की निष्कृति करने की आवश्यकता के मामले सहित सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार के बाद सरकार संविधान में संशोधन प्रस्तुत करेगी।

[श्री नन्दा]

इन निर्णयों के अनुसार कार्यवाही हमने पहले ही आरम्भ कर दी है। राज्यों को हमने यह परामर्श दिया है कि वे अधिकांश नज़रबन्दों को तुरन्त रिहा कर दें और अब प्रति दिन रिहाई के समाचार आ रहे है।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : माननीय गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य से इस सभा को कोई संतोष नहीं हुआ है। यदि प्रतिवेदन की प्रस्तावना में दिये गये कार्यों से गृह-कार्य मंत्रालय के काम को जांचा जाये तो उसके बारे में कोई शिकायत नहीं होगी।

प्रतिदिन प्रातःकाल समाचारपत्र पर दृष्टि डालते ही देश के किसी न किसी भाग में कोई न कोई गड़बड़ होने का समाचार पढ़ने को मिलता है। कभी बंगलौर में गड़बड़ होती है, तो कभी धारा 144 के अन्तर्गत कलकत्ता में 25 महिलाओं सहित 344 अध्यापकों के गिरफ्तार किये जाने का समाचार होता है। एक समाचार में कहा गया है कि अशोक होटल में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जाने पर प्रधान मंत्री के सम्मान में आयोजित एक भोज के बारे में अन्तिम समय तक अनिश्चितता बनी रही। कभी कोई व्यक्ति किसी मुख्य मंत्री अथवा किसी बड़े नेता की हत्या का प्रयास करने में गिरफ्तार किया जाता है। अतः मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है।

अभी कल के "स्टेट्समैन" में यह समाचार छपा है कि जनवरी 1964 से अगस्त 1965 तक किये गये एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रति सप्ताह 36 आन्दोलन होते हैं। राजनैतिक कर्मचारियों ने तथा विद्यार्थियों ने 2,909 आन्दोलन किये। इन में 592 हिंसक आन्दोलन थे और 89 बार पुलिस को गोली चलानी पड़ी तथा 69 अवसरों पर अश्रुगैस का प्रयोग करना पड़ा। मनीपुर में 98, गुजरात में 91, महाराष्ट्र में 75, गुजरात में 64 तथा उड़ीसा में 43 हिंसक आन्दोलन हुए। इस प्रकार की घटनाओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने से प्रतीत होगा कि ये घटनाएं एकही प्रकार की हैं और इनमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सरकार को देश की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में विचार करके कोई कारगर कार्यवाही करनी चाहिये।

अब मैं देश के सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय को राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये रखना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि संकीर्णता तथा मतभेदों के कारण गड़बड़ पैदा हुए बिना देश विकास के मार्गपर अग्रसर हो। किन्तु मैं समझता हूं कि सरकार अपना यह उत्तरदायित्व अच्छी तरह नहीं निभा पायी है। यदि ऐसे स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं को गिने जिन को इस विशेष आधार पर प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई थी कि उनका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है न कि केन्द्रीय सरकार से, तो सरकार के उपरोक्त दावे का वास्तविक चित्रण सामने आ जायेगा और वास्तविकता कुछ और ही दिखाई देगी। मैं ऐसा कह कर गृह-कार्य मंत्री अथवा उनके मंत्रालय पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रशासन में अनेक त्रुटियां है और उन्हें दूर किया जाना चाहिये।

हम आज 15 वर्षों से समाज के समाजवादी ढांचे तथा विकास योजनाओं के लिए कार्य कर रहे हैं किन्तु हमें इस सम्बन्ध में अधिक सफलता नहीं मिली है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश में कई ऐसी अवांछनीय शक्तियां विद्यमान हैं जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं। इससे देश की एकता के लिये खतरा बना हुआ है। सरकार को योग्य लोगों को सरकार में लेना चाहिये जो इस बात को समझ सकें और इन शक्तियों को कारगर ढंग से समाप्त कर सकें अन्यथा अब तक हम जो भी आर्थिक प्रगति कर पायें हैं वह धूल में मिल जायेगी।

अब में लोक सेवा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। प्रतिवेदन में कहा गया है कि लोक सेवाओं के सम्बन्ध में कई कारगर उपाय किये गये हैं। यह मंत्रालय के लिये सराहनीय बात है। इतने बड़े देश की सेवाओं को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा कठिन कार्य है। यह ठीक है कि मंत्रालय ने सेवाओं की शर्तों में सुधार तथा वर्गीकरण करने के लिये बहुत सराहनीय कार्य किया है किन्तु मंत्रालय का कार्य करने का बुनियादी तरीका गलत रहा है। मंत्रालय द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये की गई कार्यवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय के विचार से इस बुराई का कारण सिविल सेवाओं के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्ट प्रथाएं हैं। मैं समझता हूं कि इस से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को संदेहात्मक दृष्टि से देखना उचित नहीं है। इससे कर्मचारियों में डर की भावना पैदा होती है और कार्य ठीक नहीं चल पाता है। मेरे विचार से भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। यदि वास्तव में भ्रष्टाचार को दूर करना है तो सिविल कर्मचारियों को ईमानदार तथा ईश्वर में विश्वास रखने वाला बनानेके आवश्यक है कि उनमें आत्म सम्मान तथा खोई हुई सुरक्षा की भावना को फिर से पैदा किया जाये। कर्मचारियों को दंड देने तथा उनको राजनीतियों का दास बनाने से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। आज हमें वास्तविकता का सामना करना है।

अब में प्रस्तावित पंजाबी भाषी राज्य के सम्बन्ध में कुछ अपने विचार प्रकट करूंगा। 18 अप्रैल, 1966 को 1961 की जनगणना के भाषा सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर पंजाबी भाषीय राज्य बनाने की घोषणा की गई है। पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में एक मंत्रिमंडलीय समिति नियुक्त की गई थी जो इस निष्कर्षपर पहुंची कि वर्तमान पंजाब राज्य में से एक पंजाबी भाषी राज्य की स्थापना की जाये। बाद में इस कार्य के नियुक्त संसदीय समिति ने पंजाबी भाषा राज्य की स्थापना पंजाब क्षेत्रीय समिति आदेश 1957 की पहली अनुसूची के अनुसार किये जाने की सिफारिश की। किन्तु अन्त में इन सबकी उपेक्षा कर 18 अप्रैल, 1966 को पंजाबी भाषी राज्य के बारे में घोषणा की गई। 1961 की जनगणना के आंकड़ों से भाषायी वर्गों का पता नहीं चलता है। इस से साम्प्रदायिक वर्गों का पता चलता है। वास्तविकता यह है कि यदि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर राज्य की स्थापना की जायेगी तो यह एक सिख राज्य होगा न कि पंजाबी भाषी राज्य। इस प्रकार की व्यवस्था से यह शक्तिशाली तथा शांति वाला राज्य नहीं बन सकेगा। इस प्रकार के विभाजन का स्पष्ट अर्थ यह होगा कि सरकार साम्प्रदायिक आधार पर राज्य की स्थापना करना चाहती है। मंत्री महोदय को स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिये कि क्या 1961 की जनगणना के आंकड़ों को स्वीकार करने का उद्देश्य चंडीगढ़, आनन्दपुर साहब, मारवाड़ और पठानकोट को उस क्षेत्र से अलग करना है जिनमें सिखों का बहुमत होगा। इस प्रकार के हल से विवाद तथा निराशा बढ़ेगी। यह देश की एकता और अखंडता के लिये हानिकारक है।

प्रस्तावित राज्य के बारे में निर्णय लेने से पहले कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिये था। सिखों की एक अलग ही समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिये 1947 में स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू ने भी आश्वासन दिया था। 1946 में केबिनेट मिशन ने भी इस समस्या के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये थे। अतः मैं फिर सरकार से कहना चाहता हूं कि पंजाबी भाषीय राज्य की स्थापना 1961 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नहीं की जानी चाहिये। यह हिन्दू-सिख एकता और देश की अखंडता के लिये हितकर नहीं होगा।

जम्मू तथा काश्मीर समस्या पर हमें तथ्यों को ध्यान में रख कर विचार करना है। स्थिति की वास्तविकता यह है कि इस समस्या ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का रूप धारणा कर लिया है। 1965 में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध बल प्रयोग करके यह साबित कर दिया कि हमने उसे जो कुछ रियायत दे रखी है अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। अब इस प्रश्न को काश्मीर की जनता ने स्वयं हल करना है।

[श्री कपूर सिंह]

ग्रियरसन तथा अन्य भाषायी विशेषज्ञों ने पहाड़ी को पंजाबी की स्थानीय भाषा घोषित किया है। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि मंत्रालय में उत्तर भारत के पहाड़ी भाषा के क्षेत्रों की जांच के लिये जो एकक बनाया गया है उसको पहाड़ी भाषा को हिन्दी भाषा में मिलाने का काम सौंपा गया है।

मद्यनिषेध के बारे में जहां तक टेक चन्द आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है, उनके प्रति समाज के सभी वर्गों में उत्पन्न हुई हास्यास्पद प्रतिक्रियाओं की ओर सरकार ने ध्यान देना चाहिये। प्रतिवेदन के दूसरे भाग में कहा गया है हमारी सेना में भी मदिरापान बन्द किया जाना चाहिये। सरकार को वास्तविकता को देखते हुए समय के अनुकूल कार्य करना चाहिये।

Dr. Govind Das (Jabalpur) : Mr. Speaker Sir, since independence, we have been busy in the work of development, both material and intellectual. So far as former is concerned, some progress has certainly been made, but the Government has failed completely on the side of intellectual development.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

The reason is that the intellectual development of a country is dependent upon its own language; however in spite of the constitutional provisions, in accordance with the Presidential directions were issued in 1960 and also Government orders were issued from time to time, the Government has failed to take necessary action for the promotion of the national language. That is a main reason why the constitutional direction for making Hindi as the State language and giving English the place of an associate language from 26th January, 1965 has not been implemented.

I would like to know why even in those departments, where there is an adequate number of Hindi speaking staff, the work is still being carried on in English. Why the Presidential directions are being ignored?

The Government appointed a Hindi Advisory Committee nearly two years ago. It had only one meeting so far. Now it has been rendered completely ineffective. All the Hindi loving Members of this Committee want to resign from its membership because they feel that there is no need for a committee which can have no function to discharge. It should better be dissolved if no use is made of it.

An announcement has been made for the setting up of an Indian Languages Advisory Committee. The main purpose of this committee is to consider as to how the Indian languages can be developed. English for the purpose has also been included in the Indian languages. I fail to understand how English has been included among the Indian languages. When our constitution was being framed a demand was made for the inclusion of English as an Indian language but the late Shri Jawahar Lal Nehru had opposed it. There is no doubt that this committee will also meet the same fate as the Hindi Advisory Committee.

Considering the circumstances in which Hindi has been placed through the actions of the Central Government, it appears that the best thing would be for the Government to stop all its work in Hindi except correspondence in Hindi with the Hindi speaking States. This will have at least one advantage : the impression created in the minds of certain people that Hindi is being imposed upon them will

be dispelled. But the States corresponding in Hindi should not be asked to send English translations of their papers and they should get the replies in Hindi from the centre so that they might not have to keep additional staff for translation work.

All the developed Indian languages should be made the medium of examination in the U.P.S.C. with immediate effect.

Whenever these languages have been made medium of education, work is going on smoothly and the literature of these languages have also been prepared.

There are, at present, 58 universities in India. Out of these 40 universities have adopted the respective languages of their States as medium of education although the requisite literature of these languages is not available. Ministry of Education at the centre have already spent one and a half crore of rupees on the preparation of the literature of their languages. I would like to know the number of books prepared so far with the help of the money spent and also cost of each book prepared so far. If the Terminology Commission is made an autonomous body, I hope the work can be done at a much quicker speed. A separate language ministry should be constituted for the development of Indian languages and persons from various languages should be appointed therein. I would also suggest that a committee consisting of Members of both the House should be appointed to see as to how the Government moves in this regard.

श्री अ० चं० गुह (बारमार): गृह-कार्य मंत्रालय देश में प्रशासन के लिये जिम्मेदार है। सरकार ने देश में कई नई योजनाएं तथा परियोजनाएं आरम्भ की है और इनके लिये नये कानून नियंत्रण बनाये हैं तथा इन्सपेक्शन का कार्य आरम्भ किया है। परन्तु सरकार इन नियंत्रणों तथा कानूनों से ऐसा सामाजिक प्रभाव तथा मनोवृत्ति उत्पन्न नहो कर पाई है जिससे इन योजनाओं तथा परियोजनाओं की तथा नियंत्रणों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके। उदाहरणरुप मे मद्यनिषेध से जो सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो गई है। उनको देखते हुए यह बात निश्चित है कि यदि आज गांधी जी होते तो वह भी उसे समाप्त करने का कार्यक्रम आरम्भ करने को कहते।

सरकार इस बात को भी जानती है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश पूर्णतया असफल रहा है। इस मुनाफाखोरों तथा चोरबाजारी करने के लिये नये रास्ते खुल गये हैं। सरकार द्वारा लागू किये गये नियंत्रणों से अधिक सामाजिक समस्याएं तथा नई प्रकारके अपराध उत्पन्न हो गये हैं।

इस समय देश मे उपभोक्ता वस्तुओं विशेषकर अनाज की बहुत कमी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। नियंत्रणों से देश में अधिकारियों तथा कानून का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है। फरवरी मे बंगाल मे हुई घटनाओं से देश पूरी तरह अवगत है। सरकार नियंत्रणों तथा आदेशों को उचित रुप में कार्यान्वित करने में असफल रही है।

सरकार अनाज के सम्बन्ध मे नियंत्रण, राशन, वसूली आदि को लागू करने के काम में असफल रही है। सरकार उपलब्ध अनाज का वितरण भी उचित ढंग से नहीं कर पाई है। सरकार को प्रशासन में सुधार करना चाहिये।

प्रतिवेदन मे इस बात को स्वीकार किया गया है कि यदि प्रक्रिया को सरल बना दिया जाये तो भ्रष्टाचार कम हो जायेगा। इसके बावजूद सरकार की प्रक्रियाएं लंग करने वाली तथा अधिक समय लेने वाली है। यदि प्रशासन उचित ढंग से, सहानुभूति से तथा तुरन्त कार्य नहीं करेगा, विशेषतया जबकि देश मे कमी की परिस्थितियां विद्यमान है, तो परिणाम विनाशकारी होंगे। लोगों को योजनाओं, चुनाव

[श्री अ० चं० गुह]

अन्दोलनों तथा सरकार द्वारा प्रकाशित साहित्य द्वारा बहुत कुछ शिक्षा दी गई है। वे जानते है कि बाहरी संसार में क्या हो रहा है और वे अपनी सरकार से क्या आशा कर सकते हैं। इन सब बातों से लोगो मे असंतोष हो फैला है और उनको नियंत्रण मे रखने तथा इस असंतोष को समाप्त करने वाला कोई नहीं है। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में सरकार का यह कर्तव्य है कि वह लोगों के मनोभावों तथा उनकी क्षमता से उचित लाभ उठाये। केवल तभी हमारे देश मे विकास हो सकता है। नई पीढी को कांग्रेस के इतिहास अथवा स्वतंत्रता संग्राम भी परम्पराओ के बारे में कुछ भी मालूम नही है। हम उनके समक्ष कोई नया आदर्शवाद प्रस्तुत नहीं कर सके है। इसलिये हमे उनको दोषी नहीं ठहराना चाहिये। बल्कि हमे उनको कुछ नये आदर्श सिखाने चाहिये।

मैं महसूस करता हूँ कि गृह-कार्य मंत्रालय का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह लोगों को शिक्षित करे जिससे लोगों अपने विशेषाधिकारों का जिम्मेदारी के साथ प्रयोग कर सके। उन्हें यह शिक्षा दी जानी चाहिये कि जिम्मेदारी के बिना कोई विशेषाधिकार नहीं हो सकता है; उन्हें अपने अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का लाभ उठाने संपूर्ण अपने कर्तव्य निभाने चाहिये।

देश में धन अधिक बढ़ गया है। केवल तीसरी पंच वर्षीय योजना में ही 32 प्रतिशत धन देश में बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और कृषि उत्पादन के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। इसलिये किसानों तथा मजदूरों के पास भी धन बहुत बढ़ गया है। जब किसी के पास धन बढ़ जाता है तो उसकी मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। इससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि इससे जो सामाजिक शक्तियां पैदा हो गई हैं वे स्थिर तथा संगठित हों और उनका रचनात्मक उद्देश्यों के लिये प्रयोग हो।

किशोर अवस्था के बच्चों में सरकार के प्राधिकार का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति का होना एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। सरकार को उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिये अन्यथा वे संकट उत्पन्न कर सकते हैं। सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि किस प्रकार इनकी शक्तियों का राष्ट्र निर्माण के लिये उचित ढंग से प्रयोग किया जा सकता है।

न केवल नागा और मिजो परन्तु भारत के सारे आदिम जाति क्षेत्र के लोगों में उत्तेजना पाई जाती है। मैं जानता हूं कि सरकार ने अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित आदिम जातियो पर करोड़ों रुपये व्यय किये हैं परन्तु इससे सरकार की सफलता को नहीं आंका जा सकता। सच यह है कि वे लोग अब भी असंतुष्ट है।

आशा है कि मंत्रालय नागाओं तथा मिजो लोगों मे विभेद करेगा। वे दोनों एक ही वर्ग के नहीं है मैं निवेदन करूंगा कि इन दोनों समस्याओं को अलग अलग समझा जाना चाहिये तथा इस क्षेत्र की समस्याओं के हल के लिये गम्भीरता से प्रयत्न किया जाना चाहिये। नये औद्योगिक एकक मुख्यत: आदिम जाति क्षेत्र मे ही हैं। परन्तु इन लोगों को इस से कुछ लाभ नहीं हुआ है बल्कि उनको इनके घरों से निकाल दिया गया है। मैं जानता हूं कि सरकार ने कुछ जातियों के मुखियों को भूमि के प्रतिकर के रुप में पर्याप्त धन दिया है परन्तु सरकार ने इस बात पर ध्यान नही दिया कि वे लोग इस धन को किस प्रकार व्यय करते हैं। उन लोगो कों धन देने के साथ साथ सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि वे लोग इस धन को उचित ढंग से खर्च करें।

आज केन्द्र सरकार राज्यों के सामने झुक रही है और राज्य सरकारे जो भी चाहती हैं केन्द्र से करा लेती हैं। यदि कोई मुख्य मंत्री यह कह सकता है कि वह प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नही हैं और सरकार इसको सहन कर लेती है तो इसके संघ की समाप्ति ही समझा जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार मुख्य मंत्रियो को यह बताने मे असफल रही है कि यदि एक बार कोई निर्णयले लिया जाता है तो उनको कार्यान्वित करना इनका कर्तव्य है।

आपात को एक दीर्घकालीन चीज़ नहीं बनाया जाना चाहिये। परन्तु सरकार को कुछ असाधारण शक्तियों की आवश्यकता है। विशेषकर वर्तमान संकट मे जबकि देश मे सामाजिक अव्यवस्था है और विदेशी आक्रमण का खतरा है और अकसर यह दोनों का समन्वय हो जाता है। परन्तु फिर भी सरकार को आपात कालीन स्थिति को जारी नहीं रखना चाहिये।

इस के लिये अधिनियम में संशोधन होना चाहिये। आपात कालीन स्थिति के सम्बन्धी नियमों का उदारता से प्रयोग किया जाना चाहिये। इस बारे में अधिनियम में आवश्यक संशोधन होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सरकार उन तत्वों की गतिविधियों का ध्यान रखेगी जो विदेशों से सांठगांठ कर रहे हैं परन्तु इस बहाने से देश की सामान्य जनता को कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
44	10	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षात्मक उपाय सुदृढ़ करने की आवश्यकता।	100
44	11	श्री दीनेन भट्टाचार्य	केन्द्रीय पुलिस बल के उचित उपयोग करने की आवश्यकता।	100
44	12	श्री अ० व० राघवन	राज-भाषा के बारे में, अहिन्दी भाषी लोगों को स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा करने की आवश्यकता।	100
44	13	श्री अ० व० राघवन	प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	100
44	14	श्री अ० व० राघवन	हिन्दी के साथ-साथ संविधान में दर्ज सभी भाषाओं को समान दर्जा देने की आवश्यकता।	100
44	15	श्री अ० व० राघवन	केन्द्र में सभी प्रादेशिक भाषाओं को सरकारी दर्जा देने की आवश्यकता।	100
44	16	श्री अ० व० राघवन	स्वीकार्य भाषा नीति बनाने के लिये, संसद-सदस्यों, विधिविज्ञों, शिक्षाविदों, भाषाविदों और अन्य व्यक्तियों की एक समिति बनाने की आवश्यकता।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
44	17	श्री अ० व० राघवन	'केरल बंद' के सम्बन्ध में सभी लम्बित मामले वापिस लेने की आवश्यकता ।	100
44	18	श्री अ० व० राघवन	समाचार-पत्रों के विरुद्ध सभी लम्बित मामले वापिस लेने की आवश्यकता ।	100
44	19	श्री अ० व० राघवन	राष्ट्रपति शासन के फलस्वरूप नियुक्त की गई संसद की सलाहकार समितियों की शक्तियां बढ़ाने की आवश्यकता ।	100
44	20	श्री अ० व० राघवन	केरल में एक योजना बोर्ड नियुक्त करने की आवश्यकता ।	100
44	21	श्री अ० व० राघवन	केरल में पुलिस द्वारा अनुचित बलप्रयोग रोकने की आवश्यकता ।	100
44	22	श्री अ० व० राघवन	जांच आयोग की कार्यवाही में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	100
44	23	श्री अ० व० राघवन	भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन नजरबन्द रिहा करने की आवश्यकता ।	100
44	24	श्री अ० व० राघवन	आपातकाल समाप्त करने की आवश्यकता	100
44	25	श्री अ० व० राघवन	निरुद्ध संसद्-सदस्यों को अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों के पालन के लिये सुविधायें देने की आवश्यकता ।	100
44	26	श्री अ० व० राघवन	भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रतिसंहरण करने की आवश्यकता ।	100
44	27	श्री अ० व० राघवन	केरल के राज्यपाल द्वारा लिये गये नीति सम्बन्धी निर्णयों पर पुर्नविचार की आवश्यकता ।	100
44	28	श्री अ० व० राघवन	केरल के नीति सम्बन्धी मामले केरल सलाहकार समिति को सौंपने की आवश्यकता ।	100
44	29	श्री अ० व० राघवन	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य-क्षेत्र में तामिल-माध्यम वाले स्कूल खोलने की आवश्यकता ।	100
44	30	श्री अ० व० राघवन	केरल से राज्य-सभा में रिक्त हुए स्थान भरने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
44	31	श्री अ० व० राघवन	केरलविधान सम्बन्धी सलाहकार समिति की बठक महीने में कम से कम एक बार बुलाने को आवश्यकता ।	100
44	32	श्री अ० व० राघवन	केरल में नये स्कूलों की मंजूरी में बर्ता गया पक्षपात ।	100
44	33	श्री अ० व० राघवन	वेतन आयोग के पंचाट में सरकारी कर्मचारियों को महत्व न देना ।	100
44	34	श्री अ० व० राघवन	केरल में जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्णय ।	100
44	35	श्री अ० व० राघवन	केरल प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण और पर्य-वेक्षण का अभाव ।	100
44	36	श्री अ० व० राघवन	राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों में सलाहकारों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग ।	100
44	37	श्री स० मो० बनर्जी	अधिकारी आधारित योजना लागू करने के परिणामस्वरूप होने वाली छंटनी, पदावनति और स्थानान्तरण ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।
44	38	श्री स० मो० बनर्जी	जनता की बढ़ती हुई राय के बावजूद आपात-काल का प्रतिसंहरण न करना ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।
44	39	श्री स० मो० बनर्जी	भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा न करना ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।
44	40	श्री दीनेन भट्टाचार्य	आपातकाल की समाप्ति और भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रतिसंहरण न करना ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपय
44	41	श्री दीनेन भट्टाचार्य	भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में नजरबन्द व्यक्तियों को समान सुविधायें देने सम्बन्धी नियम बनाने की आवश्यकता ।	100
44	42	श्री दीनेन भट्टाचार्य	विभिन्न राज्यों में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटनाओं की न्यायिक जांच कराने की आवश्यकता ।	100
44	43	डा० रानेन सेन	कर्मचारियों की दिन-प्रति-दिन की समस्याओं को हल करने के लिये केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारी संघ के साथ नियमित अवधि के बाद आवधिक बैठकें करने से इनकार ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।
44	44	डा० रानेन सेन	लिपिक कर्मचारी संघ से परामर्श किये बिना विभागीय कर्मचारियों के लिये सी० एस० सो० एस० (उच्च श्रेणी वर्ग) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के लिये मनमाने ढंग से नियमों को अन्तिम रुप देना ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।
44	45	डा० रानेन सेन	अवर श्रेणी लिपिकों तथा सहायकों के लिये "सलक्शन ग्रेड" पद बनाने से इनकार करना ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।
44	46	डा० रानेन सेन	वेतन आयोग तथा मैक्सवल समिति की सिफारिशों तथा कर्मचारी संघ की मांग के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिक के पद समाप्त करने से इनकार करना ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।
44	47	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में लिपिकों तथा सहायकों की वरिष्ठता के निर्धारण के फलस्वरूप हजारों कर्मचारियों की वरिष्ठता का पीछे होना ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
44	48	डा० रानेन सेन	जे० सी० एम० के बारे में केन्द्रीय सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में काम करने वाले 50,000 से अधिक कर्मचारियों के संघों से परामर्श न करके उनके हितों तथा मांगों की उपेक्षा करना।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
44	49	डा० रानेन सेन	लोक-सभा में 8-12-65 को दिये गये आश्वासन के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारियों के लिये "विभागीय शिकायत समिति" न बनाना।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
				रुपये
44	50	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय में अवर श्रेणी लिपिकों के कम से कम 25% पदों को उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों में बदलने की आवश्यकता।	100
44	51	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय के कर्यालयों में बहुत समय से उच्च श्रेणी के लिपिकों के जो बहुत से स्थान रिक्त पड़े हुए है, उनको न भरना।	100
44	52	डा० रानेन सेन	सहायक के पद के लिये सीधी भर्ती बन्द करने की आवश्यकता ताकि केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों के उच्च श्रेणी के लिपिकों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार हो सके।	100
44	53	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 के नियमों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों के उन सभी अवर श्रेणी कलर्कों को पदोन्नति देने की आवश्यकता जिन्होंने सेवा के कम से कम 8 वर्ष पूरे कर लिये है।	100
44	54	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में शैक्षिक रूप से योग्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अवर श्रेणी कलर्क के पद पर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध न करना।	100
44	55	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 में संशोधन करने की आवश्यकता ताकि केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों के शैक्षिक तौर पर योग्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अवर श्रेणी कलर्क के पद के लिये पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हो सके।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				पये
44	56	डा० रानेन सेन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, डाक ले जाने वालों, लिपिकों, सहायकों, आदि जैसे केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की मांगे स्वीकार न करना ।	100
44	57	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारी संघ के साथ समय समय पर नियमित रूप से बैठकें करने की आवश्यकता ताकि उनकी शिकायतें और समस्यायें हल की जा सकें जैसा अन्य नियोजक विभागों द्वारा किया जाता है ।	100
44	58	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में छंटनी/ पदावनतियों के बारे में केन्द्रीय और संबद्ध कार्यालय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों की गृह मंत्री के साथ 25-3-66 को हुई बैठक का वृतांत उपलब्ध न करना ।	100
44	59	डा० रानेन सेन	उच्च शक्ति प्त प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति को देखते हुए, जो अब सरकारी कार्यालयों में प्रशासन और कर्मचारी ांचे में सुधार करने की समस्या पर विचार कर रहा है, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा और आगे अध्ययन बन्द करने की आवश्यकता ।	100
44	60	डा० रानेन सेन	गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक 29-3-63 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 11/21/62-सी एस (ए) में दी गई हिदायतों की उचित कार्यान्विति सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी कार्यवाही न करना ।	100
44	61	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में काफी वर्षों से सेवा कर रहे सभी कलर्कों, सहायकों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये शीघ्र तथा प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100
44	62	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने की आवश्यकता ।	100
44	63	डा० रानेन सेन	निर्माण और आवास मंत्रालय में अप्रैल, 1966 में घोषित अतिरेक कर्मचारियों को पदावनति से बचाने के लिये सांविधिक आदेश जारी न करना जैसा कि गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक 25-2-66 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/27/65—सी एस (ii) में व्यवस्था है ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
44	64	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती सहित सभी प्रकार की सीधी भर्ती पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता।	100
44	65	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोरों के अंशधारियों के चुनाव आदि न करना।	100
44	66	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (उच्च श्रेणी ग्रेड के लिय विभागीय आधार पर सीमित प्रतियोगात्मक परीक्षा) के मामले में पात्र होने की शर्त के तौर पर 30 वर्ष की अधिकतम आयु-सीमा की प्रतिबन्धात्मक शर्तें हटाने की आवश्यकता ।	100
44	67	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिकों के लिये पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता ।	100
44	68	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय में सहायक वर्ग में जड़ता दूर करने की दृष्टी से इस पद में सेलेक्शन ग्रेड आरंभ करने की आवश्यकता ।	100
44	69	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में 90 प्रतिशत पद स्थायी बनाने और उन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाने सम्बन्धी द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश और गृह मंत्रालय के अनुदेश कार्यान्वित करने के लिये प्रभावी कार्यवाही न करना।	100
44	70	डा० रानेन सेन	सम्बन्धित कर्मचारी संघ को, उनके विचार जानने के लिये उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड के लिए विभागीय आधार पर सीमीत प्रतियोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी प्रारूप विनियम न भेजना ।	100
44	71	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के संधारण कर्मचारी वर्ग ग्रेड II में 1-5-57 से स्थायी रिक्तियां न भरना, जो अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के लिये रक्षित है।	100
44	72	डा० रानेन सेन	अवर और उच्च श्रेणी कल्कों के ग्रेडों में उन्नति-रोध दूर करने की दृष्टि से केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में उनके लिये पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
44	73	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय कार्यालयों में अतिरेक घोषित किये जाने वाले बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को देखते हुए अनुभाग अधिकारी और सहायक के पद के लिये सीधी भर्ती बन्द करने की आवश्यकता ।	100
44	74	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उन सभी निम्न श्रेणी कल्कों को पदोन्नति करने की आवश्यकता जो अपने वेतनक्रम की उच्चतम सीमा तक पहुंच चुके हैं।	100
44	75	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सरकार लिपिक संघ की न्यायोचित मांगें पूरी न करना ।	100
44	76	डा० रानेन सेन	उच्च श्रेणी कल्र्क का 'ग्रेड' समाप्त करने के बारे में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक कर्मचारियों की मांगें पूरी न करना।	100
44	77	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय में निम्न श्रेणी कल्कों का 'सेलेक्शन ग्रेड' लागू करने संबंधी केन्द्रीय सचिवालय लिपिक कर्मचारियों की मांग पूरी न करना ।	100
44	78	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय के उच्च श्रेणी क्लर्कों की पदोन्नति की सम्भावनाओं में सुधार की दृष्टि से 'सहायक' (असिस्टेंट) के पद के लिये सीधी भर्ती बन्द करने की आवश्यकता।	100
44	79	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के हित सम्बन्धी मामलों पर, गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा परिचालित प्रपत्र (सर्कुलर) उन्हें न देना ।	100
44	80	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सरकार लिपिक संघ की शेष मांगें निपटाने की आवश्यकता ।	100
44	81	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों के संघ से सम्बद्ध संघों/संस्थाओं के साथ संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के बारे में परामश न करना।	100
44	82	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय कार्यालयों के लिपिक कर्मचारियों को उसी ग्रेड में सेवा की अवधि के अनुसार, न कि स्थायी बनाये जाने की तारीख के अनुसार, पदोन्नत करने की आवश्यकता।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
44	83	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय के लिपिक कर्मचारियों की वरिष्ठता के मामले संबंधी उनकी शिकायतों को, उनके संघ से बातचीत द्वारा दूर करने की वांछनीयता ।	100
44	84	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के कर्मचारियों की बहुत पुरानी शिकायतों को दूर करने के लिये, उनके संघ से गृह-कार्य मंत्री स्तर पर बातचीत करने की आवश्यकता ।	100
44	85	डा० रानेन सेन	केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारी संघ को प्ररिपत्र दिये जाने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक 31 अगस्त, 1963 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/10/63—ईएसटीएस (बी०) में दी गई हिदायतो का उचित पालन सुनिश्चित न किया जाना ।	100
44	98	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की असफलता ।	100
44	99	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	संथानम समिति की सभी सिफारिशें मानने से इन्कार ।	100
44	100	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	विभिन्न राज्यों में सामंजस्य स्थापित करने में क्षेत्रीय परिषद् की निष्फलता ।	100
44	101	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	सीमा सुरक्षा बल को प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता ।	100
44	102	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	नागरिक अशान्ति दूर करने के लिये सेना का बारबार प्रयोग और जनतंत्रात्मक कार्यप्रणाली पर इसका प्रभाव ।	100
44	103	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	मंत्रालय के व्यय में मितव्ययता लाने में उसकी असफलता ।	100

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभाके समक्ष प्रस्तुत हैं।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व) : गृह-कार्य मंत्रालय सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह सरकार की सभी गतिविधियों का केन्द्र है। पुलिस विभाग का काम विधि व्यवस्था बनाये रखना तथा राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। परन्तु पुलिस यह कार्य करने में असफल रही है। दिल्ली सहित समस्त भारत में पुलिस की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके बावजूद दिल्ली तथा दूसरे सभी नगरों में अपराध अधिक हो रहे हैं।

दिल्ली समेत समस्त भारत में चोरबाजारी करने वाले तथा जमाखोर पुलिस की जानकारी में पनप रहे हैं। पुलिस विभाग बड़े व्यापारियों पर हाथ डालने के स्थान पर केवल कुछ छोटे

[डा० रानेन सेन]

पंसारियों को ही पकड़ता है। सम्पूर्ण भारत में पुलिस विभाग जनता को दबाने में सक्रिय है। भारत की स्वतन्त्रता के 18 वर्षों में ब्रिटिश राज्य के 200 वर्षों की तुलना में अधिक बार पुलिस ने गोली चलाई है।

इस सभा के लिये यह बड़े शर्म की बात है कि मेरे से पहले बोलने वालों ने पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने तथा दमन के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा है। आपातकाल की स्थिति का दुरुपयोग किया गया है। 1962 से आपात को मजदूरों तथा किसानों के दबाने के लिये प्रयोग किया गया है। 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान हजारों भारतीय मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे समाचार है कि पुलिस ने मजदूरों, ग्रामीण लोगों तथा मुसलमानों से धन लिया है कुछ ऐसी घटनाओं पर गृह-कार्य मंत्रालय का ध्यान दिलाया गया है।

हमारी लोकतन्त्रीय प्रणाली भी अनोखे ढंग से कार्य कर रही है। सर्वश्री गोपालन, नम्बियार और दूसरे कई माननीय संसद सदस्यों को वर्षों तक नजरबन्द रखा गया है। ताशकंद समझौत के पश्चात् देश के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने जिन में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा संसद सदस्य भी शामिल है मांग की है कि देश में आपातकाल की स्थिति तथा भारत रक्षा नियमों को समाप्त किया जाये। परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया है।

पुलिस ने लोगों पर अत्याचार किये हैं। कलकत्ता में एक युवक को सन्देह के कारण बिना कोई आरोप लगाये गिरफ्तार किया गया था। उसे हवालात में रखा गया, मारपीट की गई, उसकी हत्या कर दी गई तथा शव को जला दिया गया। इसकी सूचना उसके मां-बाप को उसके मरने के तीन दिन बाद दी गई। जब हम यह बातें सुनते हैं तो खून उबलने लगता है कि हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं।

भ्रष्टाचार भी बहुत फैला हुआ है। परन्तु जब कांग्रेसी भ्रष्टाचार के मामलों में फंस जाते हैं तो सरकार उन्हें संरक्षण देती है। नेहरू स्मृति निधि में एकत्र हुई रकम एक करोड़ की राशि में 20 लाख रुपये श्री एस० पी० जैन ने दिये है। विवियन बोस आयोग ने इनका बार बार उल्लेख किया है। जब गृह-कार्य मंत्रालय की जानकारी में यह सब कुछ हो रहा है तो भ्रष्टाचार को समाप्त कैसे किया जा सकता है।

पहले हमारे गुप्तचर विभाग का स्काटलैण्ड यार्ड के साथ संपर्क था तथा वहां पर प्रशिक्षण के लिये अधिकारी भेजे जाते थे। हमारे अधिकारी अमरीका के गुप्तचर विभाग से भी प्रशिक्षण ले रहे है। हमारा गुप्तचर विभाग केवल साम्यवादियों के दबाने के लिये, उनके विरुद्ध आरोप लगाने के लिये, उनके पूर्व जीवन की जांच करने का कार्य ही कर रहा है। इस विभाग पर करोड़ों रुपये व्यय किये जाते है परन्तु यह विभाग वह कार्य नहीं कर रहा है जो कि इसे करना चाहिये। हजारों घुसपैठिये देश में घुस आये थे परन्तु हमारे पास इसकी कोई ठीक जानकारी नहीं थी।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक संसदीय शिष्टमंडल गया था। उसने बताया था कि उन लोगों को सिविल अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। उसने यह सुझाव भी दिया था कि पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों को वहां पर बसाया जाये परन्तु सरकार ने इस सुझाव को कार्यान्वित नहीं किया है।

यद्यपि द्वितीय वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि तीन वर्ष की सेवा के पश्चात् कर्मचारियों को स्थायी बना दिया जाये और सरकारने इस सिफारिश को स्वीकार भी किया था तथापि 15 से 18 वर्ष तक कार्य कर चुकने के पश्चात् भी बहुतसे कर्मचारी अभी तक

अस्थायी है। गत वर्ष सरकारने घोषणा की थी कि एक विभागीय शिकायत समिति बनाई जायेगी परन्तु ऐसा नहीं किया गया है क्योंकि मंत्रालय के अधिकारी नहीं चाहते कि सरकार कर्मचारियों के प्रति उचित व्यवहार करे और वे इस समूचे मामले को टालने में सफल हो गये हैं।

प्रस्तावित अधिकारी प्रधान योजना से 10,000 से 15,000 सरकारी कर्मचारी फालतू हो जायेंगे। गृह-कार्य मंत्रालय पूर्वाधारण में ही कर्मचारियों को स्वेच्छा से सेवा से निवृत्ति पाने सम्बन्धी नोटिस दे रहा है। सरकार को यह महसूस करना चाहिये कि इस योजना को कार्यान्वित करने से बेरोजगारी की समस्या अधिक गम्भीर हो जायेगी। गत कुछ वर्षों से गैर-सरकारी क्षेत्र में विशेष कर विदेशी तेल समवायों ने ऐसी ही योजना लागू कर रखी है जिसका सभी ने विरोध किया है। इसलिये गृह-कार्य मंत्रालय को इस योजना को बिल्कुल भी आरम्भ नहीं करना चाहिये।

यह खेद की बात है कि मुसलमानों के साथ विभेद किया जा रहा है विशेषकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में जहां कि वे काफी संख्या में है।

उदाहरणार्थ यदि सम्पत्ति का हस्तांतरण करना हो तो हिन्दु के लिये नागरिकता का प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक नहीं है परन्तु मुसलमान के लिये यह प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है, इसी प्रकार कई मुस्लिम शरणार्थियों को अभी तक अपनी पुरानी सम्पत्ति नहीं मिली है।

सरकार की भेद-भाव वाली नीति के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कल इसी सभा में एक अनुपूरक प्रश्न कानूनों आदि का हिन्दी में अनुवाद के बारे में पूछा गया था। मुझे हिन्दी से कोई वैर अथवा विरोध नहीं है, किन्तु उसी समय जब यह अनुपूरक प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकार उन का अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं में भी करवायेगी, तो मंत्री जी ने कहा कि इसके लिये 11 से 14 लाख रुपये तक आवश्यकता पड़ेगी इसलिये जब तक राज्य सहयोग नहीं देंगे, तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता। इससे साफ जाहिर होता है कि गैर-हिन्दी भारतीय भाषाओं के बारे में भी सरकार का रवैया कुछ भेद-भाव पूर्ण है। सरकार को उन 30 अथवा 40 करोड़ लोगों के विचार तथा भावनाओं को समझना चाहिये जिनकी-मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है और इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सभी भाषाई ग्रुपों के साथ एक समान व्यवहार हो।

जहां तक आपात कालीन स्थिति तथा साम्यवादियों की गिरफ्तारियों का सम्बन्ध है, सरकार को एक अपने दृष्टिकोण तथा रवैये में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

श्री खाडिलकर (खेड) : गृह-कार्य मंत्रालय का काम वास्तव में बहुत ही कठिन है विशेष-कर इन हालतों में जहां समाज दूसरा रूप धारण कर रहा हो, और जहां लोकतंत्रीय ढंग में परिवर्तन लाने होते हैं और नये सामाजिक तत्वों को उस में प्रविष्ट कराना होता है। आज गृह-कार्य मंत्रालय के समक्ष कई बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं जिनमें से कुछ क्षेत्रों का भारतीय संघ में विलय तथा देश में विधि और व्यवस्था की समस्याएं प्रमुख हैं। उदाहरणार्थ जम्मू तथा काश्मीर के विलय की एक समस्या थी। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 को जम्मू और काश्मीर पर लागू करके इस राज्य का भारत के साथ अधिक विलय कर दिया है और इस को भारत के राजनैतिक जीवन में ले लिया है। इन तरीकों से पृथकता की भावना को धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है और यह एक बड़ी सफलता है। जिसका श्रेय गृह-कार्य मंत्रालय को है।

[श्री खाडीलकर]

जहां तक प्रशासनिक सुधारों का सम्बन्ध है, भारत को जो काफी समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है, एक विधी तथा व्यवस्था वाल और कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित करने के लिये नये प्रशासनिक ढांचे के विकास की आवश्यकता होती है। ऐसे समाज में जहां औद्योगीकरण हो रहा हो और जहां सामन्त प्रणाली को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा हो, वहां प्रशासनिक सुधार के उपाय आरम्भ करना एक बहुत बड़ा कार्य है एक समिति स्थापित करके और उस के प्रतिवेदन पर कुछ कार्यवाही करके और अब श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में एक पूरा आयोग स्थापित करके गृह-कार्य मंत्रालय ने इस मामले में एक बड़ा कार्य किया है।

भ्रष्टाचार का मामला भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सरकारने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये जो कार्यवाही की है उसका काफी प्रभाव पड़ा है और काफी हद तक वह दूर हो गया है। एक निश्चित प्रक्रिया चालू कर दी गई है जिससे सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को और अधिक रोका जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि इस मामले की ओर पूरी तरह ध्यान दिया जा रहा है।

श्री खाडिलकर : मैं यही कह रहा हूं कि इसे दूर करने के लिये एक प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। एक मुख्य मंत्री के विरुद्ध जांच आयोग स्थापित किया गया और--एक मंत्री तथा एक भूतपूर्व मंत्री के विरुद्ध कुछ कार्यवाही भी की गई है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो गया है किन्तु आमतौर पर इसका भयोत्पादक प्रभाव जरूर पड़ा है। वास्तव में यह एक सराहनीय पग है।

कुछ माननीय सदस्यों की भांति मैं भी श्रम-समस्याओं में रुचि लेता हूं। 1960 में वतन आयोग के वेतन आयोग के प्रतिवेदन के पश्चात् 'व्हिटले परिषद' का प्रश्न तो अभी तक बना हुआ है किन्तु एक प्रकार की समझौता कराने वाली व्यवस्था निकाली गई है जिससे सेवाओं के मनोबल तथा वर्गों में एकता लाने में सहायता मिलेगी। यह भी एक बड़ी सफलता है।

जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये केन्द्र द्वारा एक मशीनरी स्थापित की गई है। भारत की स्थिति ही ऐसी है कि विधि तथा व्यवस्था की समस्या, तथा सामाजिक समस्या के रूप में कल्याण की समस्या को ध्यान रखकर प्रशासन चलाने वाले लोगों को बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। यदि उस बीच के रास्ते से हमारी मूल नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उन पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिये।

जहां तक वाम पन्थी साम्यवादियों की गिरफ्तारी का सम्बन्ध है, सुरक्षा के लिये खतरे के कारण जिसे हम वास्तविक तौर पर महसूस करते हैं, वामपक्षी साम्यवादियों को गिरफ्तार किया गया था। और फिर दक्षिणपक्षी साम्यवादियों ने भी उनकी नीतियों तथा कार्यक्रमों के साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखा। उन गिरफ्तारियों के लिये गृह-कार्य मंत्री, श्री नन्दा को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये।

पाकिस्तान के साथ हाल में हुए संघर्ष के दौरान देश के अन्दर शान्ति बनाये रखने, सामरिक महत्व के महत्वपूर्ण परवहन के स्थानों को सुरक्षित रखने तथा घुसपैठियों से निबटने में गृह-कार्य मंत्रालय ने प्रशंसनीय कार्य किया है।

सरकार और देश के सामने आज विधि और व्यवस्था की बड़ी समस्या है। इस समस्या का हल होना तब तक कठिन है जब तक इस पर सामाजिक स्थिति तथा सामाजिक संदर्भ में विचार न किया जाये। वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार और जनता से बहुत दूर चली गई है और दोनों के बीच बहुत अन्तर आ गया है--सरकार जनता पर आरोप लगाती है और जनता सरकार पर। सरकार का जनता के साथ सक्रिय सम्बध नहीं है। बंगाल में उत्पन्न स्थिति का यही कारण है। जब तक यह अन्तर दूर नहीं होता, तब तक पुलिस पर, चाहे उसकी संख्या कितनी काफी क्यों न हों, अथवा सेना पर निर्भर रहने से यह समस्या हल नहीं हो सकेगी। सरकार को इस रोग के मूल कारणों की जांच करनी चाहिये। देश में लोकतंत्रीय विकास की वर्तमान अवस्था में इसे अस्थायी रूप से कुचलने वाले अथवा अन्य उपायों द्वारा हल करना वांछनीय नहीं है। आज शासकों के जनता साथ भावात्मक सम्बन्ध नहीं है जो कि बदलते हुये समाज तथा लोकतंत्र के लिये बहुत आवश्यक है। शासकों के लिये जनता की भावनाओं को समझना तथा उनका आदर करना और उनके साथ सम्पर्क बनाये रखना जरूरी है अन्यथा उन्हें अपना कर्तव्य निभाने में सफलता नहीं मिलेगी और केवल डंडे पर भरोसा करना पड़ेगा जिससे स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में समूची समस्या पर सभी पहलुओं से विचार करना देश में तथा सभी तत्वों का सहयोग प्राप्त करना बहुत जरूरी है।

एकीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, उन्होंने काफी प्रगति की है और उनके लिये बहुत कुछ किया जा रहा है। किन्तु अनुसूचित आदिम जातियां हमारे सामाजिक क्षेत्र से बाहर रही है। उनका एकीकरण नहीं किया गया है। बस्तर क्षेत्र, जहां उनकी संख्या लगभग 70 लाख है, के लोगों के एकीकरण के लिये ठोस उपाय किये जाने जरूरी है। नागाओं तथा मिजो पहाड़ियों की पहाड़ी आदिम जातियों की समस्याएं भी वैसी ही है। पहाड़ी जातियो में विश्वास पैदा किया जाना चाहिये। उन लोगो में असन्तोष की भावना व्याप्त है। केन्द्रीय सरकार को वे क्षेत्र अपने नियंत्रण में ले लेने चाहिये, और उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दे देनी चाहिये। सरकार को उनकी शिकायतें दूर करने की कोशिश करनी चाहिये अन्यथा ये पहाड़ी आदिम जातियां जो हमारी सीमा पर है, हमारे लिये हमेशा एक सिरदर्द बने रहगे। बल प्रयोग द्वारा एकीकरण नहीं किया जाना चाहिये। बल प्रयोग के माध्यम से एकता कभी नहीं लाई जा सकती। हमें आदिम जाति के लोगों के मनों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिये। हमें अनुसूचित जातियों के नेताओं की भांति उनके नेताओं को भी मान्यता देनी चाहिये और उनसे सम्पर्क स्थापित करना चाहिये।

जहां तक मद्यनिषेध का सम्बन्ध है यदि सरकार इस नीति का अनुसरण करना चाहती है तो पहले निष्पक्ष रूप से उसके सामाजिक परिणामों पर विचार करना आवश्यक है। इसके लिये कुछ विशेष सामाजिक वातावरण तैयार करना आवश्यक है। कानूनों द्वारा अथवा मद्यनिषेध से सामाजिक आदतों को बदला नहीं जा सकता।

आपात स्थिति के बारे में एक इस आशय का वक्तव्य दिया गया था कि जब तक "ला आफ इंडेम्निटी" पारित नहीं हो जाता, सरकार आपात स्थिति को पूर्णत: हटा सकती। किन्तु मेरी राय में इस स्थिति को अब एक मिनट के लिये भी नहीं बनाये रखा जाना चाहिये क्योंकि आम जनता में अविलम्बनीयता की कोई भावना नहीं है। इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। निष्कृति कानून (लॉ आफ इन्डेम्निटी) पारित करने के बाद इस बात का पता लगाने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिये कि क्या आपात काल की विधियों को उचित रूप से लागू किया गया है अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये उनका दुरुपयोग किया गया है। केवल तभी सरकार विधि तथा व्यवस्था में विश्वास पुन: कायम कर सकेगी क्योंकि विधि तथा व्यवस्था का आधार अन्ततोगत्वा नैतिकता है जिस पर सरकार चलती है और न कि डंडा।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : While discussing the demands of the Ministry of Home Affairs one has to look dispassionately at various problems and situations which are facing our society and facing in a big way the Home Ministry, so as to have a vivid picture of the Ministry's performances. The main problem which this ministry has to deal with is that of law and order. But every situation is not connected with law and order. There are different types of situations, and all these should not be treated as a law and order problem.

The question of law and order arises out of a situation when anti-social elements take law and legislation in their hand, secondly where there is a trouble in the due to shortage of foodgrains, oil etc. and lastly where the Government face a situation wherein integrity and sovereignty of the country is challenged. And the Home Ministry has to tackle all these types of situations. The riots caused by anti-social and communal elements certainly created a law and order problem as was the case in Calcutta, Jamshedpur and Bhillai and in such situations the Government was justified in resorting to firing and stringent measures. But when there is a trouble due to shortage of foodgrains, kerosene oil, etc. the Government should consider the matter cooly and sympathetically instead of resorting to firing and danda, because in democratic set-up like ours every one has a right to resort to hunger strike and demonstration in order to press for his demands. When the Government faces a situation wherein integrity and sovereignty of the country is challenged as was the case in Nagaland, Mizo Hills and Jammu and Kashmir, firm, strong and stringent measures should be taken to handle such a situation.

In the name of cease-fire, anti-social and anti-national elements are working in Nagaland and the Mizo Hills today. The strong policy pursued by the Government in the Mizo Hills deserves support. The Government should enter into negotiations with those people only who recognised the sovereignty of India and repress the anti-national and anarchic elements who are engaged in disruptive activities and sabotages. It should also give weapons to the loyal people in Manipur so that they could fight the rebels.

Emergency should not be continued very longer because it has now lost the sense of urgency and emergency in the public at large, hence it should be lifted.

The left communists have been arrested under D.I.R. because of the security risk. They do not recognise in true sense the sovereignty of India, for them it rests somewhere else. They are not loyal to the country and they support China which is claiming on our soil and caveting over territory and which has illegally occupied a large part of our territory both in NEFA and Ladakh.

If Emergency is to be retained in certain border areas like Jammu and Kashmir, Mizo Hills and Nagaland, an amendment should be made in the Constitution for this purpose. There is no justification for continuing the present emergency throughout the country.

It is said that administrative machinery should be reoriented. It needs radical change. The hon. Home Minister is bent upon eradicating corruption from the services. There also the administrative machinery comes in his way. The administration has not acquitted itself well whether it is the question of the spread of the national language or whether it is the question of implementation of our programmes and policies. Without the Defence of India Rules, it would have been very difficult to carry on the administration of the country. Big loans are being taken from foreign countries. The major portion of these loans goes into the pockets of those officers, politicians and contractors who are the worst unsocial elements and the Defence of India Rules should have been used against such unsocial elements.

So far as the question of administrative reforms is concerned, Government have appointed an Administrative Reforms Commission, but there are many things which can be set right by issuing administrative orders only.

We wish the hon. Home Minister all success in his efforts, but at the same time he should be bold enough to scrap the emergency and the Defence of India Rules.

Shri Laxmi Das (Miryalguda) : Mr. Deputy Speaker, Sir, at the time of discussion on the Demands of Ministry of Home Affairs, we have to think over the past activities of this Ministry. The main task of this Ministry is to maintain to law and order. It must treat the citizens of the country as human beings. I am sorry to say that the Home Ministry has been looking after the interests of ruling party only and its policy has been to suppress all the opposition partics. The Ministry has rather adopted a policy of instigating one opposition party against the other.

In 1962 at the time of Chinese aggression, the Communist Party was made the target of suppression by Ministry of Home Affairs. It adopted the old tactics of the British, that is the policy of divide and rule. The D.I.R. was used to safeguard the interests of the ruling party. I want to know the number of persons detained under the D.I.R. and the number of those who were guilty of sabotage and anti-national activities. We know that it is being used against the opposition parties. Thousands of persons belonging to opposition Parties have been arrested. In 1964, thousands of Communists were detained. A white paper was issued in this regard. It was perhaps based on the information given by Central Intelligence Department, but they cannot substantiate even one allegation. We want that the detained people should be tried in a court of law. It would then be known whether these people are guilty of anti-national activities or not. Only then the utility of having this Intelligence Department would be known. About Rs. 5 crores are being spent annually on this Department. Thousands of Public workers are arrested for no fault of theirs but no action is taken against black-marketeers. Dr. Sen has mentioned about those people who indulge in corrupt practices and nothing is done against them.

They say that it is democracy in our country and democratic socialism would be established here. It is all tall talk. I do not believe that there is democracy in this country where opposition parties are being suppressed. Democracy demands that these people should be tried and if they are found guilty they should be punished. A part from our party, they have not spared even Jan Sangh, Swatantra Party and the other parties. They want to crush all opposition Parties except their own. All these parties have been opposing D.I.R. now. Previously it was only the Communist Party against it. I find that even some Congressmen are against the continuance of emergency but the Ministry of Home Affairs does not want to end it. It is highly deplorable. I want that the D.I.R. should be scrapped and emergency revoked immediately.

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

A few hon. friends were saying that they were Chinese agents. On what grounds one can say so? We had said it about 10 years ago that we could not solve our differences by military force. It is only through negotiations that

[Shri Laxmi Das]

problems could be solved. Shri Nehru had also said this. I find that same thing is now being repeated by Shri J. P. Narayan, Shri Khadilkar and other Congress leaders. How can you say that we are agents of China. We are nationals of this country. We have been brought up here. It is wrong to label us as Chinese agents. We are the agents of the toiling people of India. They are the agents of monopoly capitalists who call us as Chinese agents. We are neither Chinese agents nor Russian agents. We are the agents of masses of India. We are prepared to make any sacrifice for the economic progress of this country as was done for the independence of this country.

You are aware of the misuse of D.I.R. in Calcutta and Kerala. I want to tell you about the same in Andhra Pradesh. A conference was convened to consider the question of safeguarding the civil liberties. It was attended by thousands of people. About 50 persons were detained under D.I.R. and sent to Jail. These people had no connection with right or left communists.

They had sympathy with us. These persons were advocates and doctors. It is very unfortunate that such people were detained. You can very well imagine how D.I.R. is being misused.

Now they say that some of these persons are being released. Then they say that some of the detenues constitute hard core and others soft core. I can say that they treat some persons as belonging to hard core because these persons criticise Government's policies. Shri A. K. Gopalan, Shri E. M. S. Namboodripad and Shri Basvapunniah are the persons who fought against the British regime while remaining within Congress. These persons are very popular with the masses. The Ministry of Home Affairs should consider over this matter seriously. You cannot keep these people in jail for long. We have democracy. In a democracy all parties should be treated alike and they should have equal opportunities to work.

These arrests are ordered by the Central Government and the State Governments act upon these orders. When we demand that the necessary facilities should be provided we are informed by the Cenral Government that it is the job of State Governments. We had demanded that at least those facilities should be provided in all States as are provided by Madras Government, and keeping in view the rising prices of food articles, the daily allowance should be adequately increased. I am sorry to say that the Home Ministry informed us that it is for State Governments to do that. It is not proper. The Central Government should take initiative and insist upon State Governments to do the needful.

I demand that the D.I.R. and the emergency should be lifted immediately.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : गृह-कार्य मंत्रालय भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है इसलिये इसे अनिश्चित नीतियां नहीं अपनानी चाहियें। उसे यह सिद्ध कर देना चाहिये कि वह दृढ़ निश्चय कर सकता है और उन्हें कार्यान्वित भी कर सकता है। ऐसा करके ही वह जनता में विश्वास उत्पन्न कर सकता है और देश का शासन चला सकता है।

सरकारी सेवाओं के माध्यम से ही गृह-कार्य मंत्रालय अपने प्रयोजन सिद्ध करा सकता है और अपने निर्णयों को क्रियान्वित करा सकता है। स्वाधीनता के पश्चात् बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार सरकारी सेवाओं को भी अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये था। परन्तु इसके विपरीत उनके दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सरकारी सेवायें ही लोगों के दैनिक जीवन में उनके सम्पर्क में आती है। यदि सरकारी कर्मचारी जनता से उचित व्यवहार करते है तो सरकार के प्रति लोगों का रवैया एक जैसा ही होगा और यदि वे उचित व्यवहार नहीं करते है तो लोगों का रवैया एक जैसा नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों को अपनी नई जिम्मेदारियों को समझना चाहिये। अंग्रेजी शासन काल में ऊपर से आदेश दिये जाते थे और नीचे के कर्मचारियों का काम उनका पालन करना था। लेकिन अब उन्हें केवल ऊपर के अधिकारियों की ओर ही नहीं देखना है अपितु जनता के हितों की ओर अधिक ध्यान देना है। उन्हें लोगों के विचारों को ध्यान में रखकर सरकारी आदेशों का पालन करना है।

मै यह नहीं चाहता कि सेवाएं कमजोर हों अथवा उनमें दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता न हो। मैं चाहता हूं कि वे मानवोयता से कार्य करें। यदि सरकारी कर्मचारी सावधानी तथा सूझबूझ से कार्य करते तो इतने आन्दोलन न होते। प्राक्कलन समिति ने भी सरकारी सेवाओं सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में इस ओर निर्देश किया है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार कार्य करना चाहिये जिससे लोगों को यह विश्वास हो जाये कि उनके निजी विचारों तथा अधिकारों की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा। प्राक्कलन समिति ने यह भी कहा है कि सरकारी कर्मचारियों ने उस भावना से कार्य नहीं किया है जिसकी कि लोगों को उन से आशा थी और उन्होंने लोगों की सुनवाई आदि में बहुत देर-दार की है। समिति ने यह विचार व्यक्त किया है कि यही कारण है कि लोगों को अपने साधारण काम पूरे कराने के लिये भी विधायकों आदि की शरण लेनी पड़ती है।

प्राक्कलन समिति ने यह भी कहा है कि प्रशासन को लोगों के प्रति जागरूक बनाने के प्रयत्नों के बावजूद प्रशासन की विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उसने अपने को एक कल्याण कारी राज्य की विचारधारा के अनुरूप नहीं ढाला है। सरकार को समिति के इन सुझावों की ओर ध्यान देना चाहिये।

सरकारी सेवाओं में नये भरती होने वाले कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाना चाहिये जिससे वे जनता के साथ प्रतिदिन के व्यवहार में एक जिम्मेदार सरकार के प्रतिनिधि के रुप में अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। सरकारी सेवाओं में सब से योग्य व्यक्तियों को ही स्थान दिया जाना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी शासन काल में किया जाता था। भ्रष्टाचार को न फलने देने के लिये यदि भरती के तरीके में परिवर्तन करना आवश्यक हो तो वसा किया जाना चाहिये।

कोई ऐसा कानून बनाया जाना चाहिये जिससे सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के तुरन्त पश्चात् वाणिज्यिक फर्मों में नौकरी न कर सकें।

श्री उ० मु० त्रिवेदी(मन्दसौर) : सरकार दिल्ली प्रशासन विधेयक के बारे में ढील-ढाल कर रही है जिससे लोगों में असन्तोष फैलता जा रहा है और वे समझते है कि इस विधयक को पारित नहीं कराया जायेगा। गृह-कार्य मंत्रालय ने भ्रष्टाचार की समस्या को हल करने का प्रयत्न किया है और उसके लिये वह बधाई का पात्र है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि गृह-कार्य मंत्रालय में इस समस्या को हल करने की शक्ति नहीं है। इस समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया है और इसे तभी हल किया जा सकता है जब सरकार इस बारे में दृढ़ता से कार्यवाही करे। भ्रष्ट कर्मचारियों से विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। उन कर्मचारियों तथा पुलिस अधिकारियों को जिन्हें 1942 से 1947 की अवधि में देश की कीमत पर पदोन्नतियां दी गई थी नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिये। ये एसे व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार की कला में माहिर है और जिन्हें देश के अहित में काम करने के लिये प्रशिक्षण दिया गया था।

यह बड़े खेद की बात है कि सरकार कुछ लाख नागाओं पर काबू नहीं पा सकी है। नागालैण्ड, मिजो पहाडियो तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में अभी स्थिति अनुकूल नहीं है। घुसपैठिये लाखों की संख्या में हमारे देश में आ रहे है और सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस समस्या का एकमात्र हल यह है कि उन्हें गोली से उड़ा दिया जाये।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

यदि सरकार वास्तव में मद्यनिषेध लागू करना चाहती है तो उसे सारे देश में संविधान के निदेशक-तत्वों को दृढ़ता से लागू करना चाहिये। मद्यनिषेद को या तो बिल्कुल लागू ही न किया जाये या पूरे देश में लागू किया जाये। वर्तमान नीति के परिणामस्वरूप बहुत ही भ्रष्ट प्रथायें उत्पन्न हो गई हैं।

यह बड़े खेद का विषय है कि मंत्रालय के प्रतिवेदनों में नीमच में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस मुख्यालय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि वहां पर रखी गई बहुत सी बटालियनों का क्या हुआ। उनको धीरे धीरे वहां से क्यों हटाया जा रहा है और उन्हें विभिन्न स्थानों पर किराये की इमारतों में क्यों बसाया जा रहा है? उनके लिये बैरक न बनाए जाने के कारण उन्हें बड़ी कठिनाई हो रही है। क्या कारण है कि उनके लिए रखी गई 1 करोड़ 60 लाख रुपये की धन-राशि को अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है?

पहले हमें बताया गया था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिये एक आचरण संहिता तैयार की जा रही है। आचरण संहिता बहुत ही आवश्यक है और इसको लागू किया जाना चाहिये।

बस्तर दुर्घटना की उचित ढंग से और अधिक गम्भीरता से जांच की जानी चाहिये। शासकों तथा उनके उत्तराधिकारियों को उचित आधारों पर मान्यता प्रदान की जानी चाहिये।

Shri R. S. Pandey (Guna) : This Ministry has profound influence over the various spheres of our lives—political, economic and social. The problems that this country faced after independence were stupendous. We want the progress of our country and bring about some improvement in the economic position of the down-trodden. We have not been able to give social and economic justice to our tribals, scheduled castes and scheduled tribes. Seven crores of Harijans were treated as untouchables. They are no more treated as such but economic and social justice is still not being done to them. Until that is done, dissatisfaction will continue to prevail amongst them.

The foreigners come in India and incite the people against the government. Mr. Michael Scott tells the Nagas that they have nothing to do with this nation. He may be asked to leave this country for ever because the situation in Nagaland gets aggrevated due to people like him who misguide the Nagas. We should try to understand the economic, social and political feeling of the Nagas. We should try to win their hearts by love, affection and service. An agency should be created by the Ministry to prepare a scheme for winning them over, with service and sympathy. This is a part of politics. It is no proper for us to use force or send police or army. They are our own people. We must try to know their problems and tackle them.

Shri Trivedi has referred to the incidents at Bastar. Every body is shocked at the firing there but we should see that the Members of Lok Sabha should not give wrong statements. They should not exaggerate the fact as they have done in case of Bastar. Our 12 or 13 persons died there as a result of police firing on the tribals but it is being propagated that 1200 to 1500 persons have been killed. Such things harm the country. Judicial enquiry is being held into the happenings at Bastar and nothing should be said which may be inciting.

The States of Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh are concerned with the question of Chambal ravines. The Central Government should formulate a scheme in co-operation with those Governments for the reclamation of those ravines. That will not only put an end to dacoit menace but also open a vast area

[R. S. Pandey]

for communication system and agricultural purposes. The total cost on the whole scheme would be between 100 and 200 crore rupees and can be completed in two or three phases.

A provision of Rs. 108 crores was made during the third five year Plan for the welfare schemes for scheduled castes and scheduled tribes. The provision of Rs. 180 crores in the fourth five year Plan for this purpose should be doubled as the total outlay in the fourth Plan will be to the tune of 21,500 crores whereas in the Third Plan it was 10,500 crores. At least Rs. 250 crores should be provided for this purpose in the fourth Plan.

There should be no delay by the administration. Official delay is one of the main reasons of corruption. Those in lower should try to avoid the delays.

I appeal to all the political parties not to incite the people on the questions of social and economic progress and law and order situation. Political capital should not be made of the shortage of foodgrains.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : गृह-कार्य मंत्री को गृह-कार्य तथा देश में लोकतन्त्र का विकास करने का कार्य सौंपा गया था परन्तु उन से यह विभाग लेने का प्रयत्न किया गया क्योंकि यह सच है कि गृह कार्य मंत्री को शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिये परन्तु वह एक कमज़ोर व्यक्ति है। इस लिए देश में लोक-तंत्रात्मक संस्थाओं का संरक्षण करने और उन्हे बढ़ावा देने की इच्छा के बावजूद भी वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है।

सरकारी व्यवस्था का प्रयोग दल के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। यह लगभग एकदलीय शासन बन गया है। सभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि कांग्रेस के दुर्गापुर अधिवेशन के लिए सरकार ने लगभग 7 लाख रुपये खर्च किये है। दल के हितो के लिए आपातकाल की शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। आपातकाल को वापिस लेने के बारे में गृह-कार्य मंत्री की घोषणा खोदा पहाड़ निकला चूहा के समान है। हम देखते है कि केन्द्रीय सत्ता न होने के कारण राज्य सरकारों को ही अधिक महत्व प्राप्त है। देश की नीति वे ही बनाते है। इस सभा में तथा बाहर इस बात की लगातार मांग की जा रही है कि आपात की स्थिति का अन्त किया जाय परन्तु राज्यों के बड़े अधिकारियों ने सरकार को उसे जारी रखने पर विवश कर दिया है। हम देखते है कि चाहे खाद्य समस्या हो अथवा विधि और व्यवस्था की प्रथा अथवा कोई और मामला, केन्द्रीय सरकार बिलकुल कुछ नहीं कर सकती।

हम लगभग प्रतिदिन गोली चलाने की बातें सुनते है। कई बार मांग की गई है कि जब भी कही गोली चले तो न्यायिक जांच करने की नीति अपनाई जानी चाहिये। अब शायद ब्रिटिश शासन की तुलना में गोली अधिक चलाई जाती है। इस बात के होते हुये यह आशा कैसे की जा सकती है कि देश में उचित प्रगति हो रही है।

लोगों की विपत्तियों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है परन्तु समूचे देश में विखण्डन के चिन्ह दिखाई दे रहे है और असन्तोष विद्यमान है। लोग यह अनुभव करते है कि उनकी शिकायतें दूर करने के लिए पर्याप्त संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। अशान्ति तथा हिंसा के सम्बन्ध में हैरान होने की कोई बात नहीं। सिविल अधिकारी विधि तथा व्यवस्था नहीं बनाये रख सकते। राज्यों में छोटी छोटी घटनाओं के लिए भी सेना बुला ली जाती है। ऐसी परिस्थितियों में हम लोकतन्त्र के लिए उचित वातावरण नहीं बना रहे हैं।

मैं काश्मीर में घुसपैठियों का सामना करने वाले संगठन को बधाई देना चाहता हूं। सुरक्षा दल स्थापित करने का स्वागत है परन्तु तालमेल न होने के कारण गड़बड़ी है जिनके कारण यह सफल सिद्ध नहीं हो सकी है। सीमा सुरक्षा दल प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत होना चाहिये और प्रतिरक्षा सेवाओं तथा सीमा सुरक्षा दल में समन्वय होना चाहिये।

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

केन्द्रीय जांच विभाग का काम बहुत अच्छा है। गुप्तचर सूचना सेवा का कार्य बहुत खेदजनक तथा निंदाजनक हैं। काश्मीर के मामले में वह बहुत बुरी तरह असफल रही है। मिज़ों पहाड़ियों तथा अन्य स्थानों के मामले में भी वह असफल रहे है। उस सेवा में प्रशासनिक अधिकारी बहुत अधिक है। उस में कर्मचारियों की संख्या स्वतन्त्रता के बाद 15 गुना बढ़ी है परन्तु कार्य में वह सभी स्थानों पर असफल रहे है। क्षेत्र कर्मचारी सूचनायें भेजते है परन्तु ऊपर के अधिकारी उन पर कार्य करने की बजाय पहले तथ्यों की पड़ताल करने का प्रयत्न करते है। स्थानीय, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर गुप्तचर सूचना सेवाओं में कोई तालमेल नहीं है। इस व्यवस्था में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को संरक्षण अथवा पदोन्नति के अवसर नहीं मिलते यद्यपि वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे है। गृह-कार्य मंत्रालय को इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिये।

केन्द्रीय जांच विभाग के प्रतिवेदन से पता लगता है कि पहले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष भ्रष्टाचार के मामले अधिक हुए है परन्तु इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि राजनैतिक लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय जांच विभाग के प्रतिवेदन में यह भी दर्ज नहीं है कि उसे राजनैतिक लोगों के विरूद्ध जांच का मामला सौंपा गया था। सन्तानम समिति ने 108 सिफारिशे की है और सरकार ने उनमें से अधिकांश सिफारिशें मान ली है। उन्होंने केवल आठ सिफारिश नहीं मानी ह। विचार योग्य बात यह है कि इन आठ सिफारिशों का सम्बन्ध राजनैतिक मामलों से है जिनमें इस समय भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। इसका परिणाम यह है कि भ्रष्टाचार पहले की भान्ति बहुत अधिक है और भ्रष्टाचार के वास्तविक साधनों का पता ही नहीं लगाया गया है क्योंकि यदि वे सिफारिशें मान ली जातीं तो विश्व के समक्ष स्वयं कांग्रेस दल का ही पर्दा उठ जाता। भ्रष्टाचार का अन्त करने के लिये हमें अवश्य ही एक अच्छी प्रक्रिया का पता चलाना चाहिये। समिति ने सिफारिश की थी कि कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दा देना बन्द कर दिया जाना चाहिये। सरकार ने इसे नहीं माना है। उन्होंने यह भी नहीं माना है कि सरकारी सेवा से निवृत्ति के बाद अफसरों को 2 वर्ष तक किसी व्यापारिक फर्म में न लगाया जाये।

सुरक्षा सेनाओं को रविवार और अन्य सरकारी छुट्टियां मिलनी बंद कर दी गई है और इसके लिए उन्हें कोई प्रतिकारात्मक भत्ता नहीं दिया जाता है। मंत्री महोदय को इस विषय पर ध्यान देना चाहिये। केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं, विशेषतया क्लर्कों तथा असिस्टंटोंमें असन्तोष पाया जाता है क्योंकि पदोन्नति तथा वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों से उन्हें हानि हो रही है। वे चाहत है कि उनको सिलक्शन ग्रेड दिये जायें।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जलोर) : इस समय गृह-कार्य मंत्री के समक्ष बहुत सी कठिनाइयां है। इनको बहुत सी समस्याओं का समाधान करना है। कोई भी गृह-कार्य मंत्री स्थिति से पूरी तरह नहीं निपट सकता जब तक उसे प्रधान मंत्री का विश्वास प्राप्त न हो तथा अपने दल का पूरा समथन और संसद का सम्मान प्राप्त न हो। इसलिये प्रधान मंत्री को सभा में तथा देश को यह बताना चाहिये कि उन्हें गृह-कार्य मंत्री पर पूण विश्वास है। गृह-कार्य मंत्री पर भी यह दायित्व है कि वह सभा को यह बतायें कि क्या वह अपनी जिम्मेदारियां प्रभावी रूप से वहन कर सकते है अथवा नहीं?

देश की सुरक्षा का प्रश्न न तो निजी प्रश्न है और न ही यह प्रश्न किसी दल का प्रश्न है। यह एसा प्रश्न है जिसके लिये सभा क सभी वर्गों को गृह-कार्य मंत्री का समर्थन करना चाहिये। विरोधी दल तथा कांग्रस दल भी आपात काल के उपबन्धों को जारी रखने के विरूद्ध है। इन उपबन्धों का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये प्रयोग तो समझ में आ सकता है परन्तु इन उपबन्धों का देश में आर्थिक और राजनैतिक असंतोष को दबाने के लिये प्रयोग समझ में नहीं आ सकता है। सीमावर्ती क्षत्रों में आपात को स्थिति जारी रखना तो उचित हो सकता है परन्तु उसे दूसरे राज्यों में जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

मैं प्रशासनिक त्रुटियों का वर्णन नहीं करता परन्तु मैं प्रशासनिक सुधार आयोग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। उसे सौंपा गया कार्य आसान नहीं है। उसे न केवल निर्माण सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करना है बल्कि उसे कार्यकारी पहलू तथा संघीय ढांचे से भी आगे विचार करना है। आयोग सभा की सहायता के बिना यह कार्य नहीं कर सकता। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि आरम्भ से ही आयोग इस बात पर ध्यान रखेगा कि अन्य आयोगों की तुलना में इस पर व्यय कम हो। आयोग ने यह भी निर्णय किया है कि वह जानकारी वाले अधिक से अधिक लोगों से परामर्श करेगा जिससे दृष्टिकोण तथा नीति अपनाने में उनके पथ-प्रदर्शन में लाभ प्राप्त हो सके। मैं सब से प्रार्थना करूंगा कि वे आयोग से मिले और अपने सुझाव देकर उसकी सहायता करे।

चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास द्वारा बीस लाख नई नौकरियां निकलने का प्रस्ताव है। यदि फालतू कर्मचारी हों तो उनका अधिक अच्छा प्रयोग किया जाना चाहिये। प्रशासनिक सुधार आयोग अपना कार्य करेगा परन्तु उस बात का कोई कारण नहीं है कि गृह-कार्य मंत्रालय स्पष्ट कार्य स्वयं न करे। प्रशासन सम्बन्धी त्रुटियां क्षमायोग्य नहीं है। क्या सरकार को यह भी बताने के लिये प्रशासनिक आयोग की आवश्यकता है कि पद समय पर भरे जाने चाहिये।

मैं 1963 से अपने दल में यह कह रहा हूं कि वह भ्रष्टाचार को नीचे के स्तर पर ही न देखे। उन्हें चाहिये कि वह ऊपर के स्तर पर से साफ कह और फिर देखेंगे कि नीचे के स्तर पर से वह स्वयं साफ कर देंगे। मैंने मार्च 1963 में श्री नेहरू से भी कहा था। परन्तु कुछ हो नहीं पाया। सन्तानम समिति की रिपोर्ट के बावजूद भी हम इस दिशा में कुछ नहीं कर पाये हैं। यह कहने से काम नहीं चल जावेगा कि प्रशासनिक सुधार समिति इन मामलों पर विचार करेगी। मैं तो कहता हूं कि कुछ अन्तरिक इन्तजाम भी तो होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

जहां तक केन्द्र तथा राज्यों के संबंध का प्रश्न है मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री बहुत महत्वपूण व्यक्ति है और उन से परामर्श करना चाहिये तथा उनकी कठिनाइयों को समझना चाहिये। परन्तु केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि उनका नेतृत्व करें और निर्णय केन्द्र के होने चाहिये। परन्तु अभी थोड़े दिन हुए बिहार के मुख्य मंत्री ने जोश में आकर कह दिया कि राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री को कोई हक नहीं है कि किसी राज्य के मुख्य मंत्री के विरूद्ध जांच करा सके। बाद में उन्होंने ऐसा कहने पर दुःख प्रकट किया।

इसलिये आपको मुख्यमंत्रियो के मन में यह बिठाना है कि उनके प्रति पूरा आदर है परन्तु उन्हें भी केन्द्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिये और एक सर्वभारतीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में मेरा कहना यह है कि हम ने देखा है कि उन्हें सदा काबलियत के आधारपर ही नियुक्त नहीं किया है अपितु कुछ अन्य कारणों से भी किया है। मुझ आशा है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और जो आवश्यक है वह करेंगे।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The cry for peace should be put an end to now. Now we cannot get even a rifle from foreign countries. Though the population of Denmark is only 20 lakh people and that of Holland only 52 lakh people, yet they are giving aid to us.

Shri Nanda has done good things in the battle against corruption and he has separated from the government those people who were considered to be piller of the country.

[Shri Yashpal Singh]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The country will progress when the inequality will be removed. Then there would be honesty. I was present at the Karachi Session of the Congress and before the Congress in 1947. You have put restrictions on the land holdings but have done nothing with regard to urban property. There should be a similar ceiling on urban holdings. The time has come when you should revise your policies.

You call to the Rastrapati Bhawan and entertain people from Nagaland and other places who are agitating against the country. The same people indulge in sabotage activities against us.

The laborious people are not honoured in the country. Only the black marketeers are honoured. We call dhobi who cleans clothes a low man and the man who makes clothes dirty, as belonging to a high caste. The country cannot progress unless people who want to serve people come forward.

It is strange that C.I.D. people still note our speeches there is much talk of secularism these days. We should live like brothers here. We should view problems of the country from a higher angle.

If you want democracy to survive here you will have to form a national government. Congress is not the sole repository of the talent of the country.

The old bureaucratic procedures should change. I know of a case when an application for licence of an arm by an M.L.A. was rejected on the plea than the application was not recommended by the collector of the district. These things should go now.

We should create an impression here when everyone may consider himself be the ruler and defender of this country.

The country can be built only by the formation of character by the people. The country can be developed by character-building and body-building. Unless and until Pakistan and China are paid in their own coins, the country cannot be saved.

I would again request the government to revise its policies.

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं गृह-मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। मुझे 1947 से 1962 तक गृह-कार्य मंत्रालय के सम्पर्क में आने का अवसर मिला है। इस मंत्रालय के मंत्री बड़े बड़े व्यक्ति हुए है जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय जो भी बात केन्द्रीय सरकार कहती की उसे कोई राज्य सरकार टाल नहीं सकती थी। साथ ही उस समय गृह-कार्य मंत्रालय को केन्द्र के बाकी मंत्रालयों का सहयोग प्राप्त होता था। परन्तु दुःख से कहना पड़ता है कि आज यह बात नहीं है।

प्रधान मंत्री, खाद्य मंत्री तथा अन्य मंत्रीयों के सामने समस्या है, परन्तु गृह-कार्य मंत्रालय की समस्या सब से अधिक है।

अभी पाकिस्तान से खतरा समाप्त नहीं हुआ है। चीन भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मैंने 1962 में विदेश मंत्रालय की अनदानों की मांगों पर बोलते हुए कछ बातों का जिक्र किया था परन्तु उन पर कुछ भी नहीं हुआ हालांकि श्री नेहरू उस समय यहां थे और मेरी बात सुन रहे थे। सरकार का यह कत्तव्य है कि देश को विदेशी हमले से सुरक्षित रखें।

सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने का प्रयत्न कर रही है परन्तु हमें यह भी देखना चाहिये कि इस कार्य में हम सरकार को कितना सहयोग दे रहे है।

मुझे दु:ख से कहना पड़ता है कि श्री नन्दा उन बातों से पीछे हट रहे है जो यह पहले कह चुके है। मुझे पता है कि उन पर जोर दिया जा रहा है।

जम्मू तथा काश्मीर में तो परिस्थिति पहले से खराब होती जा रही है। पाकिस्तान के साथ गत युद्ध में 78,000 व्यक्ति दूसरी ओर चले गये थे और अब वापिस आये हैं, उनमें 10,000 तो ऐसे हैं कि उन्होंने आक्रमणकारियों का साथ दिया था। और उनके साथ मिलकर अत्याचार किये थे। उनमें एक एम० एल० ए० है तथा एक एम० एल० सी० है। यह सारी बाते केन्द्रीय सरकार को बता दी है। वहां के जनरल, ब्रिगेडियर, आयुक्त तथा पुलिस सुप्रिन्टेन्डेट ने भी अपनी अपनी रिपोर्ट में लिखि है परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं उस पर कार्यवाही की गई। मैं उन सैनिकों तथा खुफिया विभाग के लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने पूंछ में 5 जासूसों को पकड़ा। परन्तु उनके विरूद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। राज्य सरकार के अधिकारी जिनके विरूद्ध कार्यवाही करने को कहते है, क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है? जो लोग पाकिस्तान से लौट रहे है उन्हें हथियारों के लाइसेंस दिये जा रहे है। कल वह उन से हम को ही मारेंगे। आप ऐसी स्थिति कितने दिन तक सहन करेंगे?

श्री ही० ना० मुकर्जी के प्रति मेरा पूरा आदर है परन्तु उनके अब भाषणों से यह दिखाई देता है कि वह काश्मीर के बारे में अपने नीति बदल रहे है। इस से हमें चौकस रहना है। यदि जम्मू-काश्मीर में कोई मजबूत सरकार होती तो वहां घुसपैठिये आ ही नहीं सकते थे और वहां कोई आक्रमण होता ही नहीं। आज भी शरणार्थियों के भेस में पाकिस्तान से घुसपैठिये आ रहे है।

मै बिना डर से यह सकता हूं कि बख़शी गुलाम मुहम्मद अपनी थोडी बहुत त्रुटियों के बावजूद भी एक देश भक्त है।

हमें आज जम्मू तथा काश्मीर में कोई भारत-समर्थक आधार दिखाई नहीं देता। यह कार्य यदि कोई कर सकता है तो वह बख़शी गुलाम मुहम्मद तथा श्यामलाल सर्राफ ही कर सकते है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

मैं श्री हाथी से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह वहां भारत-समर्थक आधार स्थापित नहीं कर सके तो एक दिन सारा देश आग की लपटों में दिखाई देगा।

Shri Lahri Singh (Rohtak) : There are riots in Bengal and Kerala as other places the army has been called to quell the rioters. It is all because there is no initiative in the government. The government is not realistic. These days the same canditions are appearing as appeared at the time of downfall of Mughal Empire. Infiltrators are coming into the state in large numbers. Now everybody believes that the Home Minister cannot save the country.

The demand of the people in Nagaland and Mizo hills is the same as was the demand of the people of Maharashtra and Andhra Pradesh. We should recognise that the Congress Party should not think that you can solve the problem of Mizo land by killing the 3 lakh Mizos.

In Punjab people demanded Punjabi Suba and Haryana on the lines of what had been done in Andhra and Maharashtra. By appointment of the Commission there, government has tried to create quarrel between the people there. After all

[Shri Lahri Singh]

this parliament in 1957 created a Punjabi region and Hindi region after consulting the Punjab Government. Why then the same thing was not done this time? The government consulted neither the Akalis nor us and appointed a commission. Why do the Government want this quarrel to be enacted between us.

I proposed Haryana there would be only 4 to 5 districts. Why do not you merge certain districts of U.P. into proposed Haryana? There has alredy been an agitation in Delhi on 29th instant that some areas of U.P. might be merged to Delhi.

There has been confusion in the policies of the government doing the last 18 years.

Our Government is not following a realistic policy. Confusion is prevailing everywhere in the country due to the weak policies of the Government. There had already been Punjab and regions which were carved out of the existing Punjab in 1957 with due approval of Parliament. It would have been better had the Government converted these regions into fullfledged states with minor adjustments here and there. By setting up a commission, Government, have given a state to both these parties to fight among themselves. One connot understand why Government did not adhered to the demarcation of 1957 and set up a Commission for the division of Punjab without consulting the concerned parties. It seems that Government is very much anxious for the formation of these states that the minister delivered speeches in favour of this without even waiting for the report of the Punjabi Suba Committee. This commission should be disbaned. Government should follow a realistic policy and merge few districts of Rajasthan and Western Uttar Pradesl with the proposed Harayana State.

Corruption has assumed great heights. What is even worse, the corrupt official have approach upto high level with the rsult that no action is taken against them. This is a fact that corrupt Chief Ministers have been removed from the various States but no enquiry has been held thereafter, the respective Chief Ministers still have hold in tneir states.

Government should try to understand the problems of Adivasis and Mizos. They should also try to understand the problem of Kashmir and if necessary the present Government of Kashmir should be changed.

Goonda element is gaining upper hand in Delhi the Capital of the Country. These goondas, too, have approaches upto high level. People dare not go to the courts for giving evidence against the Goondas because of intimidation. All this is happening even in the capital of the country but nobody takes care. Ultimately left communists and other parties will be blamed for all that is happening.

D.I.R. is being misused Government take recourse to that even for pretty matters. More ever it has breeded corruption. It should be revoked.

---

*संयुक्त राज्य अमेरीका के साथ जोखिम प्रत्याभूति करार

**RISK GUARANTEE AGREEMENT WITH U.S.A.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I raised this point in Starred Question also in December. The hon. Minister did not reply at that time also.

---

*आधे घंटे की चर्चा ।

**Half-an-hour discussion.

The Risk Guarantee Agreement was signed in 1957 with U.S.A. under Article 413 of U.S. Mutual Security Act, 1954. The relevant portion of that Act should have been included in the Agreement in order to make it clear. It would have been better had this Article 413 of U.S. Security Act, been placed before the House.

The U.S. Mutual Security Act and the system of guarantee was designed to spread the system of capitalistic civilization economy all over the world. In one of his speeches Mr. Kennedy had stated that the Act aimed at creating favourable climate for private capital.

The whole system of guarantee provides for sending foreign exchange to America and thwarting our programme of nationalisation etc. How our policy of socialism is compatible with the Scheme of guarantee? It is strange that while we had entered into Risk Guarantee Agreements with U.S.A. no such agreements have been signed with Japan and West Germany more particularly with U.K. whose investment in our country is much more than that of America. Our standard of living has fallen down as compared to the Atlantic countries during the last 19 years.

From the book 'United States-Latin American Relations' meant for the information of the Senate, it is learnt that the U.S. capital in Latin America allied itself with reactionary forces and thwarted the advance of the progressive forces.

Our defence on U.S.A. is increasing in the matter of food imports, economic assistance and capital. If it is not checked in time, socialism and sovereignty of the country will be in danger. I will, therefore request the Government to bring basic changes in the policy.

Shri Siddheshwar Prasad (Nalanda) : Whether the Government would lay on the Table of the House details regarding terms and conditions attached to the U.S. Capital and also capital invested by other countries in India?

I would also like to know the decison taken by Government on the recommendation of the Public Accounts Committee and Estimates Committee for getting the approval of the House whenever loans are taken from foreign countries.

श्री वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): जिन तीन जोखिम प्रत्याभूति करारों पर अमरीका के साथ हस्ताक्षर किय गये है वास्तव में वे प्रत्याभूतियां अमरीका सरकार ने अपने नागरिकों को दी हैं जो भारत से निजी तौर पर गैर-सरकारी क्षेत्रों में पूंजी लगाना चाहते हैं। ये करार 1957, 1959 और 1966 में किये गये थे।

प्रथम करार में यह व्यवस्था है कि यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करने वालें किसी अमरीकी नागरिक को अपने धन को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती तो उस नागरिक के प्रति अमरीका की सरकार जिम्मेदार होगी। परन्तु अमरीका सरकार वह धन रुपये के रुप में भारत में खर्च कर सकेगी।

दूसरे करार पर 7 दिसम्बर 1959 को हस्ताक्षर किये गये थे। इस करार में अमरीकन नागरिको को भारत में संपत्ति हरण के विरूद्ध प्रत्याभूति दी गई है।

[श्री शचिन्द्र चौधरी]

तीसरा करार 2 फरवरी 1966 को किया गया था। इस करार में अमरीका सरकार द्वारा अपने नागरिकों को क्रांति, उपद्रव और अन्य प्रकार के जोखिम के विरूद्ध प्रत्याभूति दी गई है।

इन करारों में बताई गई सभी प्रत्याभूतियां अमरीका की सरकार ने अपने नागरिकों को दी है जो भारत में धन लगाना चाहते हैं। भारत सरकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति अपने देश के विकास, अपने उद्योग तथा लोगों की सहायता के लियेहि अमरीका के नागरिको से करार करेगी ताकि वे यहां आकर हमारे लाभ के लिये कार्य करे न कि अमरीका की सरकार के लिये। यह ठीक है कि धन लगाने वाला अपने मुनाफे को ध्यान में रखेगा परन्तु यह परीक्षा की बात है कि भारत इनसे कितना लाभ उठाता है और कितना कम धन देश से बाहर जाता है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि आमतौर पर हम विदेशियों को बैंक, व्यापार तथा वाणिज्यक गतिविधियों में भाग नहीं लेने देते। उनको केवल उद्योग स्थापित करने के लिये कहा जाता है। उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी आवेदन पत्र को पूरी तरह जांच की जाती है कि क्या यह विशेष उद्योग स्थापित करना हमारी आवश्यकताओं के अनुसार होगा।

अनाज का आयात तभी किया जाता है जबकि ऐसा करना आवश्यक होता। हम इस बात के लिये सभी सम्भव प्रयत्न कर रहे जिससे कि हमे अनाज का आयात न करना पड़े। इसी कारण हम देश उर्वरक के कारखाने लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। विदेशी सहयोग से उर्वरक के कारखाने लगाने का निर्णय देश में अनाज का उत्पादन बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता समाप्त करने के लिये ही लिया गया है। यह ठीक है कि तीसरी योजना में हमने इतनी प्रगति नहीं की है जितनी हमें करनी चाहिये थी परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वित्तीय सहायता तथा ऋण लेने की आवश्यकता ही नहीं रही। जो व्यक्ति कार्य करेगी उससे गलती भी होगी।

लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर पूरी तरह विचार किया जाता है।

गैर-सरकारी विदेशी पूंजी अब तक 99 उद्योगों में लगाने दी गई है। अधिकलाभांश पूंजी पर ब्याज और सहयोग की सीमा के बारे में इन समझौतों का परीक्षण सरकार द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार इन समझौतों का अनुमोदन तभी करती है जब यह हमारी आवश्यकताओं तथा देश के हितों के अनुकूल हो।

देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है फिर भी हम भीख नहीं मांग रहे है बल्कि केवल ऋण के लिये बातचीत कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार 28 अप्रैल, 1966/8 वैशाख, 1888 (शक) ग्यारह बजे के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday April 28, 1966/ Vaisakha 8, 1888 (Saka).

7518

भा०स०मु०ना०—वि० 2—64 लोक सभा/66—28-9-67—565.